खण्ड-419, अंक-2
सोमवार, 30 आषाढ़, शक संवत् 1919
(21 जुलाई, 1997 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1997)

खण्ड 419 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाओं को उठाए जाने का प्रयास	1-2
प्रश्नोत्तर	2-59
जनपद बदायूं के बबराला काण्ड की जांच अध्यक्ष राजस्व परिषद् से कराये जाने की मांग	59-63
विभिन्न सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी	64
महामहिम उपराष्ट्रपति श्री के० आर० नारायणन के भारत के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने पर बधाई का प्रस्ताव (स्वीकृत)	64-66
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हनुमान प्रसाद कुरील, श्री राम समुझ तिवारी श्री हफीज भारती, श्री बैजू राम, श्री महन्थ दीप नारायणन बन तथा श्री गंजी प्रसाद के निधन पर शोकोद्गार	66-69
भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री हरिकृष्ण शास्त्री के निधन पर शोकोद्गार ...	69-72
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं	72-73
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) द्वारा अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग कर रहे किसानों पर पुलिस फायरिंग तथा लाठी चार्ज विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी)	73-79
कार्य-स्थगन का प्रस्ताव सत्तारूढ़ दल के सदस्य के द्वारा लाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न...	79-81
श्री पारसनाथ यादव, स०वि०स० पर ए०के०–47 से हुए आक्रमण विषयक नियम–311 के अन्तर्गत सूचना को सुने जाने की मांग ...	81-83
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) द्वारा किसानों अधिगृहीत भूमि के मुआवजे की मांग कर रहे किसानों पर फायरिंग एवं लाठी चार्ज विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	84-88
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	88
तहसील मुख्यालय मनकापुर जनपद गोण्डा में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88-89
बस्ती जनपद के दुघौरा वी० डी० बन्धे के कटान को रोकने के लिये सरकार द्वारा धन की व्यवस्था करने एवं ठेकेदारों का बकाया भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं, जनपद जौनपुर में मड़ियाहूं बाई पास बनवाने एवं दो माह पूर्व बनी सड़क के ध्वस्त हो जाने की जांच करवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
जनपद बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर एवं पचपेड़वा नगर व देहात में बिजली की नियमित आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90

विषय	पृष्ठ संख्या
फिरोजाबाद नगर में नालों की सफाई न होने से उत्पन्न जल भराव की समस्या के निदान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	90
गोरखपुर जनपद में सहजनवां के पास किसानों के आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
मेरठ महानगर में नालों की सफाई एवं सीवर व्यवस्था ठीक करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	91
उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत राज्याधीन सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन विधेयक, 1997 ... (पुरःस्थापित)	92
उत्तर प्रदेश बेरोजगारी निवारण विधेयक, 1997 ..... (पुरःस्थापित) ...	92
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	93
कतिपय सदस्यों को सदन त्यागने हेतु श्री अध्यक्ष का निर्देश	93-94
नत्थी	95

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 21 जुलाई, 1997

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय राय, श्री	वाराणसी	बंशीधर भगत, श्री	नैनीताल
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	बाबू खां, श्री	हरदोई
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	बाबू लाल, श्री	आगरा
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती	बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी	भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ	मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
* आलमबदी, श्री	आजमगढ़	मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	गढ़वाल
उवैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा	राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
ओइमूवेश, स्वामी	बिजनौर	रामदेव आचार्य, श्री	बाराबंकी
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
के० सी० सिंह, "बाबा"	उधम सिंह नगर	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ	*वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया	गोरखपुर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री	गोरखपुर	विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर	विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात	वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली	वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा०	बिजनौर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
		सुशील शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद

नोट–* मा० सदस्य ने अभी शपथ नहीं ग्रहण की है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 21 जुलाई, 1997

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के ।। बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जाएं प्रश्न काल हो जाने दें ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, प्रदेश में एक ऐसा वातावरण प्रारम्भ हो गया है । मुख्य मंत्री और महामहिम राज्यपाल के बीच विवाद चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

इस विवाद पर प्रश्न काल के बाद सुन लेंगे ।

श्री अवधेश प्रसाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह अध्यक्ष के विवेक पर है इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी और जो कुछ अवधेश प्रसाद जी ने बोला है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । आपको तो संसदीय ज्ञान है आपको यह मालूम होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न इस सदन में उठाने चाहिए । यह प्रेस में भी जो बातें अवधेश प्रसाद जी ने कही हैं, प्रकाशित नहीं होगा न ही एक शब्द लिखा जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बबराला काण्ड जो पहले दिन सदन में उठा था उस पर तो सी० बी० आई० जांच कराई जानी चाहिए लेकिन मैं एक और मामला आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । बबराला काण्ड की तरह गीडा में भी काण्ड हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्नकाल के बाद सुन लिया जायेगा ।

जितनी भी नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं आई हैं मैं उनको प्रश्नकाल के बाद सुन लूंगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, पिछले दिनों बबराला के संबंध में विपक्ष की तरफ से निवेदन किया गया था कि इसकी जांच सी० बी० आई० द्वारा कराई जानी चाहिए । आपने निर्देश दिया था कि सचिव स्तर का अधिकारी इसकी जांच करेगा हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि राजस्व परिषद् के चेयरमैन के द्वारा

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

करवा ली जाएगी । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी जांच हो उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर आ जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस संबंध में प्रश्नकाल के बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानकारी प्राप्त कर लूंगा ।

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित

आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

**।–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार उक्त रिपोर्ट की संस्तुतियों को लागू करने के लिये उसे सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री हरी किशन)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, गरीब की कोई जाति नहीं होती है, चाहे अनुसूचित जाति; अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग या सामान्य वर्ग के लोग हैं, सब में गरीब हुआ करते हैं और हम और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव इस समाज को समन्वित विकास की ओर ले जाना चाहते हैं । इसी भावना को दृष्टिगत रखते हुए समाज में समरसता और समन्वयवादी व्यवस्था पैदा हो, माननीय मुलायम सिंह यादव ने कौशिक समिति गठित की थी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शाक्य जी आपने अपने प्रश्न में कौशिक समिति का जिक्र नहीं किया है आप अपने प्रश्न का प्रथम पैरा देख लें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कौशिक समिति की रिपोर्ट आ गयी है या नहीं ?

श्री हरी किशन–

जी नहीं ।

श्री औतार शाक्य–

मान्यवर, दूसरा सवाल यह है कि यदि आपके संज्ञान में नहीं है, रिकार्ड में नहीं है तो क्या आप पुनः कोई आयोग गठित करेंगे जिसमें 10 प्रतिशत सामान्य वर्गों के लिये आरक्षण की व्यवस्था हो ?

श्री हरी किशन–

यह प्रश्न संवैधानिक स्थिति से जुड़ा हुआ है । इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ का मुकदमा हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को अस्वीकार कर दिया । अतएव जो उत्तर उस समय के माननीय कल्याण मंत्री भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश शासन को भेजा था उसमें भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था उसकी अंतिम पंक्ति मैं पढ़ दे रहा हूं । केन्द्र सरकार इस मामले पर हर पहलू से विचार कर रही है, जब तक संविधान में आर्थिक पहलू पर भी आरक्षण का कोई संशोधन नहीं होता तब तक उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य कोई सरकार इस पर कोई निर्णय ले ही नहीं सकती ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से इस सरकार की नीति जानना चाहता हूं, पिछली सरकारों ने क्या किया उस पर नहीं जाना । माननीय मंत्री जी को स्मरण दिलाता हूं कि केरल और कर्नाटक में जहां 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण हुआ है, वहां सदन से प्रस्ताव पारित कराकर भारत सरकार को लिखा गया, प्रस्ताव भेजा गया और 50 प्रतिशत की जो बन्दिश थी उसके ऊपर जाया गया । मैं भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार की नीति को जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की मंशा आर्थिक रूप से पिछड़े हुये सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत का आरक्षण नौकरी में देने की है या नहीं ?

श्री हरी किशन–

मान्यवर, यह नीति संबंधी प्रश्न कर रहे हैं जो कि इस प्रश्न से बिल्कुल भिन्न है । परन्तु हमारी सरकार संविधान के अन्तर्गत रहकर उसी के प्राविधानों के अन्तर्गत पूर्ण रूप से कार्य कर रही है । यदि आपको इसके बारे में उत्सुकता है और जानकारी चाहते हैं तो इसमें सूचना की आवश्यकता है और आप अलग से प्रश्न करें उसका उत्तर आ जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मुझे आपका संरक्षण चाहिए । मेरा सिर्फ एक प्रश्न है । माननीय हरी किशन जी भूल रहे हैं कि इस समय वह अध्यक्ष नहीं हैं, अध्यक्ष आप है, आपने जो प्रश्न स्वीकार कर लिया है उसको वह डिस्एलाऊ कर रहे हैं । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सरकार की कोई इच्छा, प्रस्ताव या कोई मर्जी आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के पिछड़े हुये लोगों को आरक्षण देने की है या नहीं है ?

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न यह था कि क्या रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, उत्तर आया, जी नहीं । अब अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो दूसरा प्रश्न कर लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

जब माननीय मंत्री जी ने इन्दिरा साहनी प्रकरण ला दिया तो यह प्रश्न जरूरी हो गया । यदि वह इसे न लाते तो मेरा प्रश्न नहीं होता । उन्होंने इस केस का जिक्र कर दिया, इसीलिये मैं भारतीय जनता पार्टी और बसपा की सरकार की मंशा जानना चाहता हूं ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप भी इलाहाबाद के हैं, यह भी वहीं के हैं, आपका ध्यान केवल इलाहाबाद और गंगा यमुना सरस्वती की ओर ही जाता है, कृपया दूसरों की तरफ़ भी देख लिया करें।

श्री अध्यक्ष–

मेरे लिये पूरा उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आप प्रश्न की मूल भावना पर ध्यान दें और यह भी देखें की क्या जवाब आया है। जो सामान्य वर्ग में गरीब लोग हैं उनको 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के संबंध में क्या सरकार, भारत सरकार को अपनी संस्तुति भेजेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये एक अलग से प्रश्न कर लें। इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

(प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों से खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया।)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आरक्षण दिये जाने के बारे में सरकार की मंशा साफ नहीं है, इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं नियम–59 के अन्तर्गत इस विषय पर आधे घन्टे की चर्चा की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजियेगा, मैं विचार कर लूंगा।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, आरक्षण दिये जाने के संबंध में मूल प्रश्न का सरकार स्पष्ट उत्तर नहीं दे रही है, जो अनुपरक प्रश्न किया गया है, उसका भी स्पष्ट उत्तर मंत्री जी की तरफ से नहीं आया है, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करते हैं।

(श्री धनीराम वर्मा ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री रामजग–

मान्यवर, मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का त्याग करता है।

(श्री रामजग अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

आयुर्वेदिक घोटाले में पूर्व स्वास्थ्य सचिव तथा अन्य लोगों के विरुद्ध सी० बी० आई० द्वारा मुकदमा चलाने की जानकारी

**2–श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक घोटाले में पूर्व स्वास्थ्य सचिव श्री शर्मा तथा अन्य लोगों के विरुद्ध सी० बी० आई० ने उत्तर प्रदेश शासन से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी ? यदि हां, तो क्या मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

जी हां ।

जी हां ।

तत्कालीन निदेशक, डा० शिवराज सिंह, श्री सी० बी० सिंह, कार्यालय अधीक्षक, श्री एस० के० पी० मिश्रा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री आर० के० जायसवाल, लिपिक के विरुद्ध अभियोजन करने एवं अपराधों के लिए सक्षम न्यायालय में संज्ञान की स्वीकृति शासन द्वारा दिनांक 24-1-97 द्वारा सी० बी० आई० को भेजी गयी । श्री आर० के० शर्मा, तत्कालीन सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री बलराम यादव के विरुद्ध अभियोजन और अपराधों के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान करने की स्वीकृति शासन द्वारा दिनांक 29 मई, 1997 को प्रदान की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

मान्यवर, यह जो आयुर्वेद निदेशालय में घोटाला हुआ है, यह कितने रुपये का है और यह घोटाला किस-किस प्रकार का है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, वर्ष 1993-94 में आयुर्वेद निदेशालय में 31 करोड़ 43 लाख 87 हजार 392 रुपये 11 पैसे का घोटाला प्रकरण का मामला प्रकाश में आया है ।

मान्यवर, वर्ष 1993-94 में दो करोड़, चौव्वन लाख, चौरानवे हजार, छः सौ, साठ रुपया बजट था इसके अगेन्स्ट 43 करोड, 96 लाख, 82 हजार, 58 रुपये 11 पैसे की स्वीकृतियां जारी हुई इसमें से कुछ स्वीकृत पैसा-आहरण नहीं हो पाया जो बच गया था । जो पैसा आहरण हो गया था उसकी धनराशि है 31 करोड़, 43 लाख, 87 हजार, 392 रुपये, 11 पैसे । यह वर्ष 93-94 का मामला प्रकाश में आया है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह अनावश्यक प्रश्न है, इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

इसमें विलम्ब का क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह आपने प्रश्न में मान लिया कि विलम्ब हुआ यह उत्तर में नहीं कहा गया कि विलम्ब हुआ ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस प्रश्न के संबंध में जो हमारे सब क्लाज 2 में है, जो सी० बी० आई० ने अनुमति मांगी है, जो सी० बी० आई० ने चार्जशीट लगायी है, उस आरोप पत्र में क्या-क्या प्रमुख बिन्दु हैं ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो सी० बी० आई० ने जांच की है और सी० बी० आई० ने जांच करके चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी है । न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है इसलिए जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष–

जो आरोप है वह बता दें वे गुण-दोष की बात नहीं कर रहे हैं । क्या खास-खास मुद्दे हैं, क्या आरोप लगाया है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो जांच सी० बी० आई० द्वारा हुई यह उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह विषयान्तर कर रहे हैं जो आरोप पत्र है उसमें बतायें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी और अभी भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर सी० बी० आई० जांच कर रही है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने जो पूछा है उसे बतायें ।

श्री अध्यक्ष–

आपने अभी अपने उत्तर में कहा था कि इतने करोड़ की स्वीकृतियां हुई और 45 करोड़ कुछ रुपये आहरण किये गये हैं इसलिए उसमें जो अन्तर है उसका हरण किया गया, यही मुख्य मुद्दा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कभी-कभी क्लास ले लिया करें अपने स्पीकर रूम में ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जिन बिन्दुओं पर सी० बी० आई० को जांच रिफर की गयी माननीय हाईकोर्ट द्वारा कहा गया कि इन पर कार्यवाही करें, तो वह रिफर किये हुए बिन्दु क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष–

इसकी अनुमति नहीं है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जितने नाम दिये गये हैं, जो अभियुक्त बनाये गये हैं और राज्य सरकार ने उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति दी है तो क्या इसके अलावा गैर विभागीय कुछ व्यक्तियों के नाम हैं और साथ ही मेरा प्रश्न यह भी है कि क्या इसमें ऐसा भी कोई गैर विभागीय व्यक्ति है जिसने एक एक्टर जो हारा हुआ प्रत्याशी है, का चुनाव संचालन किया था ?

श्री अध्यक्ष–

केवल प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं निवेदन कर चुका हूं कि यह जो जांच चल रही है इसमें एक ही वर्ष का नहीं है, केवल वर्ष 93-94 का ही नहीं वर्ष 90-91, 91-92, 92-93 का भी है तीन वर्ष इसमें सम्मिलित हैं । परन्तु चूंकि यह सब कागज सील हैं और उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सी० बी० आई० के कब्जे में हैं इसलिए इस पर कितना गबन हुआ है कितने-कितने लोग इन्वाल्व हैं इसके ऊपर पूरी जानकारी नहीं उपलब्ध है ।

(नत्थी–ख, प्रश्न संख्या–1 पर प्रश्नकर्ताओं के नाम पुकारे जाने पर)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आलू के भण्डार के संबंध में जो यह प्रश्न नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या–1 के रूप में आ रहा है, मेरा भी इसी से संबंधित प्रश्न है, इसलिए उस प्रश्न को इससे जोड़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न थोड़ा सा भिन्न है । अनुपूरक प्रश्न आप पूछ लीजिए ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जब एक ही विषय पर कई सवाल आ जाते हैं तो उन्हें एक साथ जोड़ लिया जाता है और यही परम्परा भी रही है ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं इस पर विचार कर लूंगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में आलू के उचित समर्थन मूल्य निर्धारित करने एवं उसके भण्डारण एवं विपणन की समुचित व्यवस्था किये जाने विषयक रूपरेखा की जानकारी की मांग

*1–श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री राम औतार शाक्य, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री धर्मज्ञ मिश्र तथा श्री अवधेश प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि इस वर्ष प्रदेश में हुए आलू के रिकार्ड उत्पादन के कारण किसानों के समक्ष शीतगृहों में आलू के भण्डारण की समस्या उत्पन्न हो गयी है और काफी आलू शीतगृहों के बाहर पड़ा सूख रहा है ? क्या यह सही है कि शीतगृह मालिक निर्धारित दरों से अधिक

शुल्क किसानों से वसूल रहे हैं और किसानों के स्थान पर व्यापारियों को आलू भण्डारण में प्राथमिकता दे रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इस समस्या से निपटने के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार आलू के उचित समर्थन मूल्य निर्धारित करने तथा उसके भण्डारण एवं विपणन की समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भोला शंकर मौर्य)–

जी हां ।

शासन द्वारा कोई भण्डारण प्रभार निर्धारित नहीं किया गया है किन्तु उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा–29(3) के अन्तर्गत यदि शासन को यह प्रतीत हुआ कि शीतगृह मालिकों ने अयुक्तियुक्त दरें निर्धारित की है तो उक्त धारा–29(3) के अन्तर्गत उपयुक्त प्रतिभार निर्धारित करने में संकोच नहीं किया जायेगा । शासन ने कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया है जिससे आलू भण्डारण में व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1997 का भण्डारण सत्र समाप्त हो गया है । वैसे भी समर्थन मूल्य घोषित किया जाना व्यवहारिक एवं संभव नहीं है क्योंकि आलू भण्डारण हेतु लगभग 900 अतिरिक्त शीतगृहों की आवश्यकता होगी । इन शीतगृहों के निर्माण एवं आलू क्रय करने हेतु लगभग 10 अरब रुपये की धनराशि की आवश्यकता होगी, जिसका व्यय भार प्रदेश शासन द्वारा वहन किया जाना संभव नहीं है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो पढ़ रहे हैं, वह सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी थोड़ा जोर से बोलें, जिससे माननीय सदस्यों को उत्तर स्पष्ट सुनाई दे ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आलू भण्डारण की जो पूर्व नीति थी और जो प्रतिकर सरकार द्वारा निर्धारित होता था, वह 44 रुपये का रेट था । परन्तु मान्यवर, इस सरकार के पदारूढ़ होते ही, शीतगृह मालिकों द्वारा प्रतिकर वसूल करने पर जो नियंत्रण था, उसे इस सरकार ने अनियंत्रित कर दिया और उन्हें प्रतिकर निर्धारित करने का अधिकार दे दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि जो 44 रुपये का रेट था वह बढ़कर 90 रुपये से 100 रुपये तक हो गया है । 50 रुपये पहले ले लिये हैं और 40 रुपये बाद में लेंगे । 20 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रिश्वत ली गई । इसी दुरनीति के कारण आलू बाहर पड़ा रहा । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस रेट को पुनः नियंत्रित करने पर विचार करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, अधिनियम में जो संशोधन किया गया है, उसी में यह व्यवस्था कर दी गई है कि अगर कोई कोल्ड स्टोरेज का मालिक रीजनेबिल रेट निर्धारित नहीं करता है तो धारा 29(3) के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार है कि अगर वह यह समझेगी कि रीजनेबिल रेट नहीं है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि रीजनेबिल रेट होने चाहिए । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह रीजनेबिल रेट क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

आप लोग पहले कृपया स्थान ग्रहण करें । मैं एक-एक करके पूछ लूंगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, एक बार पुनः पत्रावली देखकर माननीय मंत्री जी बतायें कि रीजनेबिल रेट्स क्या हैं ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, हमने कोई छूट नहीं दी है कि वह जो चाहे तय कर लें । हमने यह कहा कि अगर अनरीजनेबिल रेट्स तय किये हैं तो हम नियंत्रित करने के लिए धारा–3 में कार्यवाही करने में कोई संकोच नहीं करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले मूल प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ लें उसके बाद नेता विरोधी दल को भी समय में दे दूंगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आप बड़े ही विद्वान हैं और विधिवेत्ता भी है । नियमों के बारे में आपको जानकारी भी है और यह मामला जनहितकारी भी है । एक तरफ कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं तो दूसरी तरफ आलू उत्पादक किसान हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, रीजनेबिल रेट्स की परिभाषा तो इन्होंने नहीं बतायी है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत नियंत्रण रखने के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी, जिला पंचायत कोआपरेटिव बैंक और किसानों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त कमेटी बनाकर रेट तय करने के लिए सरकार कदम उठायेगी ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, धारा–3 में यह व्यवस्था दी गयी है । अगर सरकार यह देखेगी कि रीजनेबिल रेट्स नहीं दिये जा रहे हैं तो हम धारा–3 के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं । इसमें नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग मैं करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

पहले मूल प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ लें। आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मूल प्रश्न के पैरा–1 में स्वीकार किया गया है कि "हां आलू सूख रहा है"। जब जवाब आया था तो उस समय जून का महीना था और अब जुलाई का महीना आ गया है। आलू सूख तो गया है और अब सड़ भी रहा है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किसानों का कितना आलू सूख गया है और कितना आलू सड़ गया है ? अगर इनको जानकारी में नहीं है तो मैं यह बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 33 सहकारी शीतगृहों में आलू सूख रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सोहावल में 70 हजार बोरा आलू सड़ रहा है और व्यापारी उसे फेंक रहा है जिससे महामारी फैल रही है। लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं और 12 जानवर मर गये हैं और 15-20 लोग मर गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया इतना बतला दें कि क्या शासन के पास जानकारी है कि कितना आलू सूख गया है और कितना सड़ गया है ? आप मात्रा बता दें।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मैं सूचना दे दूंगा।

श्री अवधेश प्रसाद–

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी को मात्रा की जानकारी नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोल्ड स्टोरेज के मालिकों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह न्यूनतम प्रभार का उल्लेख करेंगे लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने मनमाने ढंग से रुपये प्रति कुन्तल की दर से वसूली की है। मैं जानना चाहता हूं कि देवरिया, कसयां और फर्रुखाबाद में आन्ध्र प्रदेश के बड़े-बड़े व्यापारी लोगों का आलू भंडारित किया गया है और उनसे 130 रुपये 135 रुपये लिया गया है, जब कि उत्तर प्रदेश के किसानों

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

का भण्डारण नहीं हो सका, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रीजनेबिल रेट की क्या प्रक्रिया बनायी है, उसे यहां पर बतला दें ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मैंने पूरी सूचना मंगाई है । फर्रुखाबाद में 57.50 रुपये की दर निर्धारित की गयी है ।

(स्पष्ट सुनाई न पड़ने पर)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

खुद ही बोलेंगे और खुद ही सुनेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आप शाही जी के प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मैंने अभी बताया कि फर्रुखाबाद में 57.50 रुपये और कसयां में 65 और 70 रुपये के बीच निर्धारित किया गया है...

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मुंह में आलू रखकर बोल रहे हैं, क्या ?

(माननीय मंत्री जी की आवाज स्पष्ट सुनाई न पड़ने के कारण श्री अवधेश प्रसाद वेल में आ गये और प्रश्न के उत्तर की मांग करते रहे जिससे व्यवधान हुआ)

श्री अध्यक्ष–

आप अपने स्थान पर जायें । अपना स्थान ग्रहण करें ।

(श्री अवधेश प्रसाद ने अपना स्थान ग्रहण किया)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, तारांकित प्रश्न सं०–1 आलू के किसानों से जुड़ा हुआ है । इस मूल प्रश्न का सही उत्तर नहीं आया है और जितने भी अनुपूरक प्रश्न किये गये हैं, उनके भी उत्तर सही नहीं आये हैं । मैं आप से अनुरोध करूंगा कि इसको नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा के लिये स्वीकार कर लें, जिससे सदस्यों की आशंका का समाधान हो जाये और साथ ही साथ माननीय मंत्री जी को निर्देशित किया जाये कि वह पूरी तैयारी करके आयें, और सही उत्तर दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप इसको लिखकर दे दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

एक-एक करके बोलें तो ठीक रहेगा (कई सदस्यों के खड़े होने पर) मैंने माननीय पाल जी को बुलाया है।

(श्री राम विशुन आजाद एवं श्री धर्मज्ञ मिश्र के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय आजाद जी आप अनावश्यक अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं मैंने पाल जी को अनुमति दी है माननीय मिश्र जी आपको पहले मैंने अनुमति दी थी आपने प्रश्न नहीं पूछा। आप प्रश्न नहीं पूछेंगे और अनर्गल बातें करेंगे। (व्यवधान) आप कृपया बैठ जायं। (व्यवधान) मैंने पाल जी को अनुमति दी है। इस तरह से बोलने से कोई बात नहीं सुनी जायेगी (व्यवधान) आप बैठ जांय, यह कोई तरीका नहीं है।

(श्री धर्मज्ञ मिश्र सदन के मध्य आ गये)

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायं, आप अपना स्थान ग्रहण करें (व्यवधान) कुछ नहीं लिखा जायेगा। इस तरह के व्यवहार की मैं अपेक्षा नहीं करता, माननीय सदस्य को यह शोभा नहीं देता। जब मैंने एक माननीय सदस्य को अनुमति दी है उन्हीं की बात मैं सुनूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है। वर्ष 1997 का भण्डारण सत्र समाप्त हो गया है। वैसे भी समर्थन मूल्य घोषित किया जाना व्यावहारिक एवं संभव नहीं है क्योंकि आलू भण्डारण हेतु लगभग 900 शीतगृहों की आवश्यकता होगी। इन शीतगृहों के निर्माण एवं आलू क्रय करने हेतु लगभग 10 अरब रुपये की धनराशि की आवश्यकता होगी जिसका व्यय भार वहन किया जाना संभव नहीं है।

इस सरकार के बनते ही शासन ने आलू के संबंध में एक नीतिगत निर्णय की घोषणा की थी कि वह बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत किसानों के आलू भण्डारण और उसके वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये नाफेड द्वारा आलू खरीदने की व्यवस्था करेगी। तो एक तरफ सरकार ने नाफेड द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में स्पष्ट नीतिगत घोषणा की थी और आज इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा रहा है सरकार द्वारा आलू खरीदना संभव नहीं है क्योंकि उसमें 10 अरब रुपये का खर्च आयेगा तो दोनों में विरोधाभाष है। अतः मैं विशेषाधिकार हनन की मौखिक सूचना देता हूं लिखित मैं बाद में दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आपने अनुपूरक प्रश्न तो कोई पूछा नहीं। (कुंवर रेवती रमण सिंह का नाम पुकारने पर व्यवधान)

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको अनुमति दी थी अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये, भाषण की अनुमति नहीं दी। (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं आलू के भण्डारण की दर क्या थी ? (व्यवधान) पिछले वर्ष सरकार द्वारा किस रेट पर मूल्य निर्धारित किया गया था और इस वर्ष जब कोल्डस्टोरेज मालिकों को खुली छूट दे दी तो किस रेट पर आलू भण्डारण के लिये लिया गया ? (व्यवधान) पिछले वर्ष और इस वर्ष के रेट्स में भारी अंतर रहा इसके लिये क्या सरकार ने किसी कोल्ड स्टोरेज मालिक के खिलाफ कोई कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी, आपका अनुपूरक प्रश्न बहुत लंबा है, मैं माननीय मंत्री जी को उत्तर देने के लिये नहीं कहूंगा। इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरे सदन को इससे चिंता है अगर किसी को चिंता नहीं है तो केवल सरकार को चिंता नहीं दिखायी पड़ती। कृषि मंत्री जी स्वयं सदन में मौजूद थे और कृषि मंत्री अब यहां से लापता हैं। राज्य मंत्री बेचारे पूरी तैयारी करके नहीं आये। यह सरकार किसान विरोधी है। मैं आग्रह करूंगा कि माननीय धर्मज्ञ मिश्र जी नये सदस्य हैं उनको एक मिनट का समय प्रश्न करने के लिये दे दें।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, यह जो किसानों का करोड़ों रुपयों का आलू सड़ गया है और किसान भुखमरी के कगार पर है तो उसका जो अरबों रुपयों का आलू सड़ गया, सूख गया है उसका मुआवजा सरकार किसानों को देगी और क्या जो किसानों पर ऋण बकाया हैं उन ऋणों को सरकार माफ करेगी ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

सरकार की ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने एक जिले के लिये एक दर बतायी और दूसरे जिले के लिये दूसरी दर बतायी और यह भी कहा कि नियम 29 के अन्तर्गत शासन कार्यवाही कर सकता है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष नियम 29 को लागू करने में पूरे प्रदेश में आलू की क्या दरें नियत की गयी थीं और इस बार उसको वापस लेने से कोई अंतर पड़ा ? दूसरा प्रश्न यह है कि 21 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब ओथ ली तो कहा कि 130 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू सरकार खरीदेगी। मुख्य मंत्री की इस घोषणा के बाद कितना आलू खरीदा गया ?

(उत्तर के लिये माननीय मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, नियमावली में स्पष्ट है कि प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष–

हां स्पष्ट है, माननीय सदस्य व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, आपने आज्ञा दी और माननीय धर्मज्ञ मिश्र जी ने एक प्रश्न पूछा। उनके प्रश्न का उत्तर नहीं आया और आपने माननीय अग्रवाल जी को बुला लिया। यहां की ध्वनि व्यवस्था समाप्त हो गयी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय धर्मज्ञ मिश्र जी के प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने दिया है कि सरकार का मुआवजा देने का कोई इरादा नहीं है।

(शोर)

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री अवधेश प्रसाद, श्री राम विशुन आजाद, श्री धर्मज्ञ मिश्र, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल आदि अनेक सदस्य सदन के वेल में आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपने स्थान पर चलें।

(कई सदस्य सदन के वेल में खड़े होकर नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

श्री जगदम्बिका पाल–

इस सरकार द्वारा किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है सरकार फिर से मूल्यों का निर्धारण करे।

(मा० सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

यह सरकार किसान विरोधी है ....

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य मेरी बात सुनने के पहले ही वेल में आ गये। मैंने कहा था कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना

चाहते थे । माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि इस पर चर्चा स्वीकार कर ली जाय । मैंने कहा कि लिख कर दे दीजिये । देखिये मेरे हाथ में कागज है मैं दिखा रहा हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी व्यवस्था दे रहा हूं । (व्यवधान होने पर) आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, आप व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

आपने चर्चा की मांग की है । मेरे पास जो लिखित सूचना है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें । थोड़ा बहुत धैर्य रखने से समस्या का निराकरण हो जाता है । मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकार कर रहा हूं और कार्य-मंत्रणा समिति की राय से दिन और समय निर्धारित हो जायेगा । मैं कह रहा हूं कि यह महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मंत्री जी से कह दीजिये तैयार होकर आयें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

अगर उतना समय पर्याप्त नहीं समझेंगे तो मान्यवर, समय और मिल जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 49 में आधे घण्टे की चर्चा का प्रस्ताव है ।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री नारायण राम दास–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जनपद फिरोजाबाद में डकैती, हत्या, लूट, अपहरण, दलित उत्पीड़न की घटनाएं एवं सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

*2–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष 1996 में जनपद फिरोजाबाद में डकैती-हत्या,-लूट,-अपहरण,-दलित उत्पीड़न की कुल कितनी घटनायें हुई ? क्या उनमें नामजद अभियुक्त आज भी फरार है ? क्या उक्त घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बी० आर० वर्मा–

वर्ष 1996 में डकैती की 18, हत्या की 103, लूट की 75, अपहरण की 32 तथा दलित उत्पीड़न की 83 घटनायें घटित हुई ।

इन घटनाओं में से हत्या की 7, लूट के 4 तथा अपहरण के 7 अभियुक्त फरार हैं ।

जी हां, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये 107/116, 110, एन० एस० ए०, गुण्डा ऐक्ट, शस्त्र निलम्बन आदि के निरोधात्मक कार्यवाही की गयी ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि फिरोजाबाद में जैसा आपने बताया कि वर्ष 96 में 103 हत्या, डकैती के 18 और अपहरण की 75 घटनाएं हुईं । इसी संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि अपहरण की इन 75 घटनाओं में से कितने लोग बरामद करके आपने सुरक्षित उनके मां-बाप के पास भेज सके और ऐसे कितने हैं जो फरार हैं और पुलिस की निगाह में कहीं बैठे हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

वर्मा जी ने चिन्ता व्यक्त की है । मैंने उत्तर दिया है कि हत्या के 7, लूट के 4 और अपहरण के 7 अभियुक्त फरार हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैंने यह नहीं....

श्री अध्यक्ष–

आपने सूचना मांगी । सूचना आ गई है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, 75 घटनायें अपहरण की हुई उसमें जो लोग अपहृत हुए उसमें कितने वापस घर लौट चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न आपने नहीं पूछा है आप अपना प्रश्न देख लें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

पूछा है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न के किसी अंश में यह बात नहीं आती है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

सात-आठ आदमी फरार हैं उसमें क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अध्यक्ष–

फरार के बारे में पूछिये अपहरण के बारे में नहीं पूछना है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने फरार लोगों के लिए कोई इनाम घोषित किया है, या उनके घर पर दबिश हुई है ? मैं बताना चाहूंगा इस तरह के लोगों की घर की कुर्की भी नहीं की गई है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जहां तक फरार लोगों का सवाल है उसमें अभियुक्तों के घर की कुर्की की गई है दबिश दी गई है। ऐसे लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है वह जब भी मिलेंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

एक बात और पूछना चाहता हूं। आपने कहा शस्त्र निलम्बन में निरोधात्मक कार्यवाही की गई है। जिन अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है जो अपराधी लाइसेंस पा गए हैं और जिन अपराधियों को लाइसेंस देने की दरोगा या जिसके द्वारा संस्तुति की गई है कि इनको हथियार दे दिया जाए तो क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाएगी ?

श्री बी० आर० वर्मा–

यह मूल प्रश्न से बात नहीं निकलती है यह प्रश्न तो इस तरह बहुत विस्तृत हो जाएगा।

जनपद सोनभद्र में औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने से प्रदूषित वातावरण के रोकथाम की व्यवस्था

*3–श्री विजय सिंह (अनुपस्थित)–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के औद्योगिक क्षेत्र ओबरा तापीय परियोजना ओबरा हिंडालको इन्डस्ट्रीज लि० रेनूकूट उ० प्र० विद्युत बोर्ड अनपरा रेनू पावर प्रोजेक्ट रेनूसागर, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, शक्ति नगर एवं रिहन्द नगर, सी० पी० डब्लू० प्लान्ट गाढ़ा, हाईटेक कार्बन प्लाण्ट मुर्धवा, कनौरिया केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लि० कनौरिया रेनूकट जो रिहन्द जलाशय एवं रिहन्द नदी के किनारे स्थित है, के चिमनियों से प्रतिदिन सैकड़ों टन धूल, धुवां तथा विषैली गैसें वातावरण एवं जलाशय तथा रिहन्द नदी में लाखों गैलन उत्सर्जित विषैले पदार्थ (वेस्टज वाटर) के रूप में छोड़ने से सारा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है जिससे सोनभद्र एवं आस-पास के क्षेत्रों के निवासियों के स्वास्थ्य पर, जीव-जन्तु वनस्पति एवं फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रदूषण से वातावरण का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने का अध्ययन या शोध शासन स्तर पर कराया है ? यदि हां, तो जल एवं वायु प्रदूषण कितना है और प्रदूषित वातावरण के रोकथाम के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बी० आर० वर्मा–

जी नहीं।

संदर्भगत इकाइयों में से मात्र ओबरा तापीय परियोजना को छोड़कर समस्त इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था है और इनका उत्प्रवाह/उत्सर्जन निर्धारित मानकों के अनुरूप है। ओबरा तापीय परियोजना में प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित न होने के कारण इसे भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अंतर्गत उद्योग को नोटिस प्रेषित किया है जिसका उत्तर देने हेतु उद्योग द्वारा भारत सरकार से समय की मांग की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुये पूर्व में "सिंगरौली एक्शन प्लान" बनाया गया उत्सर्जन/उत्प्रवाह निर्धारित मानकों के अनुरूप है और प्रदूषित वातावरण की रोकथाम हेतु "सिंगरौली एक्शन प्लान" के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० में विगत वर्षों में हुई अपहरण-फिरौती की घटनाएं एवं कार्यवाही तथा कोयला व्यापारी श्री नन्द किशोर रुंगटा के अपहरण पर अपराध शाखा का अनुसंधान प्रगति

*4–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत 3 वर्षों में राज्य में अपहरण-फिरौती की कितनी घटनायें प्रकाश में आयीं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विश्व हिन्दू

परिषद् के केन्द्रीय कोषाध्यक्ष और पूर्वांचल के प्रमुख कोयला व्यापारी श्री नन्द किशोर रूंगटा का दिनांक 22 जनवरी, 1997 को वाराणसी से अपहरण किये जाने के पश्चात् अभी तक पता न लगा पाने में पुलिस की विफलता का कारण क्या है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

विगत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में अपहरण फिरौती की घटनाओं का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	घटनाओं की संख्या
1994	267
1995	213
1996	187

उपरोक्त घटनाओं में वर्ष 1994 में 237, वर्ष 1995 में 180 तथा वर्ष 1996 में 194 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

इस प्रकरण में अपराधियों की गतिविधियां विभिन्न प्रान्तों में फैली हुई हैं । इस अभियोग के अनावरण हेतु अलग-अलग टीमें गठित की गयीं । वादी के निवास स्थान पर आ रहे टेलीफोन से सुराग लगाकर गोरखपुर, दिल्ली, रांची, लखनऊ से आये हुये दूरभाष स्थान पर छापे मारे गये, परन्तु जिन स्थानों से वादी को दूरभाष किये गये थे, वह स्थान पी० सी०ओ० पाये गये । श्री नन्द किशोर रूंगटा की बरामदगी नहीं हो सकी है । अभियोग का अनावरण करने एवं अपहृत व्यक्ति की बरामदगी हेतु अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग के सहचर्य से सघन प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, जैसा कि उत्तर से ज्ञात हो रहा है विभाग द्वारा दिया गया उत्तर बहुत ही लचर है । सात महीने हो गए इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के बाद भी पुलिस अभी तक सिर्फ यह बताने में सक्षम है कि पी० सी० ओ० से फोन आया तो मान्यवर, ऐसा तो नहीं है कि अपराधी आएगा और आकर आत्मसर्मपण कर देगा मैं जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है । मुझे अफसोस है कि स्थानीय पुलिस इसे गम्भीरता से नहीं ले रही है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि क्या सरकार इस मामले को गम्भीरता से देखते हुए कोई उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? क्या कोई उत्तर देगी कि एक निश्चित अवधि के अन्दर जांच करा ली जाएगी ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, पहले से ही इस केस की गम्भीरता को ध्यान में रखकर किसी एस० आई० से नहीं बल्कि तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री जे० पी० सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित करके कार्यवाही की गई थी और जहां जहां सुराग देही मिली वहां-वहां छापे मारकर जांच की गई थी । इस समय भी इस केस की गम्भीरता को ध्यान में रखकर डिप्टी एस० पी०, क्षेत्राधिकारी भेलूपुर और दशाश्वमेघ के श्री उपाध्याय और श्री अशोक प्रसाद ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को इस केस की जांच में लगाया गया है । इस प्रकार प्रदेश के कई जिलों में इसमें सघन कार्यवाही की जा रही है । इसलिए सरकार पूर्णरूपेण गम्भीर है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस एस० पी० और सी० ओ०, भेलूपुर का नाम लिया है उनका स्थानान्तरण हो चुका है और वे बहुत ही शिथिल और निकम्मे अधिकारी थे । इसलिये

निवेदन है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए क्या सरकार वहां सक्षम अधिकारियों को नियुक्त करके इस मामले की छान-बीन करायेगी ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर जैसा कि पहले अभी बता चुका हूं कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाकर इस काम में लगाया है ।

(व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

टीम के एक सी० ओ० का तो स्थानान्तरण हो चुका है अब उसमें कौन-कौन अधिकारी लगाए गए हैं ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, एक सी० ओ०, भेलूपुर का स्थानान्तरण हो गया है तो दूसरे सी० ओ० को वहां लगा दिया गया है । इस प्रकार वहां क्षेत्राधिकारी भेलूपुर और क्षेत्राधिकारी दशाश्वमेघ एवं अन्य दूसरे अधिकारी इस काम को गम्भीरता से देख रहे हैं ।

श्री हरीश चन्द्र "हरीश जी"–

मान्यवर, श्री नंद किशोर रूंगटा, जो बड़े व्यवसायी ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है । वह सात महीनों से गायब हैं, जिससे वाराणसी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चिन्ता व्याप्त है । इसलिए कहना चाहता हूं कि अब तक सारे प्रयत्न करने के बावजूद वहां की प्रशासनिक व्यवस्था विफल हो गयी है उनका पता लगाने में । इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे जनता में विश्वास उत्पन्न हो सके कि श्री नंद किशोर रूंगटा को वापस मिल सकेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, प्रकरण काफी गंभीर है और उसी गंभीरता से सरकार इसको ले भी रही है । अभी जो टीम बनायी गई है उसी ने अपना एक प्रोग्राम बनाया है जिसे मान्यवर, यहां बताना उचित नहीं होगा । मान्यवर, इसके पहले इनके पिता का भी अपहरण हुआ था, इसलिए इसको सरकार गंभीरता से ले रही है ।

इसलिए इस सरकार ने जिस गंभीरता से और जिस तत्परता से इस पर ध्यान दिया है उसी का परिणाम है कि एक जनवरी, 1997 से 15 मार्च, 1997 तक जो अपहरण और फिरौती की 61 घटनाएं हुई थीं तथा 16 मार्च, 1997 से 30 जून, 1997 तक यह सरकार की प्रभावी रणनीति का ही परिणाम है कि केवल 43 फिरौती की घटनाएं हुईं । तो यह कहना गलत है कि सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)-

अभी तक इस मामले के संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया ? मंत्री जी ने जवाब दिया था कि इनके बाप का भी अपहरण हुआ था तो क्या यह मान लिया जाए कि बाप का अगर अपहरण होना है तो बेटे का भी अपहरण होगा ?

श्री वी० आर० वर्मा–

इस संबंध में एक व्यक्ति को जो रांची में रंगटा के आवास पर रहता था उसको शंका के आधार पर पकड़कर लाया गया था उससे पूछ-ताछ हुई थी उससे कोई जानकारी हासिल नहीं हुई ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण व्यक्ति को गायब करने का मामला है । यह पूर्वांचल के कोयला व्यवसायी हैं तथा विश्व हिन्दू परिषद् के कोषाध्यक्ष भी हैं । इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति का अपहरण किन कारणों से किया गया उनके खिलाफ क्या किसी किस्म की शिकायतें शासन और पुलिस को प्राप्त हैं ?

श्री वी० आर० वर्मा–

यह एक व्यवसायी तथा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । यह अपने कार्यालय में बैठे थे कि मारुति वैन में सवार कुछ व्यक्ति उनको पकड़ कर ले गए बाद में कुछ टेलीफोन भी इसके संबंध में आए उसी के तहत कार्यवाही की गई ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों ने इनका खुद अपहरण किया है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी कहा कि सी० ओ० स्तर के अधिकारी इस मामले को देख रहे हैं । आपने जिन अधिकारियों का नाम अभी लिया उनकी कार्यक्षमता और दक्षता पर मुझे यकीन नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इनकी अक्षमता को देखते हुए क्या वह एस० एस० पी० स्तर के या डी० आई० जी० स्तर के अधिकारी द्वारा इसकी जांच करवाएंगे ?

श्री वी० आर० वर्मा–

जो अपहरण हुआ है मकसद उन्हें प्राप्त करना है । बड़े स्तर के अधिकारी ज्यादा व्यस्त होते हैं उनके पास समय की कमी होती है । माननीय चौधरी जी को विश्वास में लेकर इस मामले में कार्यवाही कर दी जायेगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

श्री पाल जी जो कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा । माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि वह मा० सदस्य से परामर्श कर लेंगे ।

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*5-श्री अब्दुल कलाम-

[अश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उ० प्र० में बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत फैजाबाद मण्डल में आलू के क्रय की जानकारी

*6 श्री अजय कुमार पोइया-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि [illegible]र प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1066 (एन)-68-1-97-100(17)/97, दिनांक 22-3-97 एवं शासनादेश संख्या-1068/अट्ठावन-5-97-100(17)/97, दिनांक 25-3-97 के द्वारा प्रदेश में बाजार हस्तक्षेप योजना (एम० आई० एस०) के अन्तर्गत चालू सीजन, 1997 में पी० सी० एफ० में प्रदेश के 5 जनपदों (फैजाबाद मण्डल के) से 7000 मै० टन आलू क्रय करने का लक्ष्य [illegible] था ? यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी के विभिन्न सहकारी [illegible]यों के माध्यम से आलू क्रय किया गया ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्या आलू क्रय न करने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री आर० के० चौधरी)-

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1066 (एन)/58-1-97-100 (17)/97 दिनांक 22 मार्च, 1997 तथा शासनादेश संख्या-1068/अट्ठावन-5-97-100 (17)/97 दिनांक 25-3-97 द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना (एम० आई० एस०) के अन्तर्गत चालू सीजन 1997 में पी० सी० एफ० के लिये 5 जनपदों हेतु 7000 मै० टन आलू क्रय करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें फैजाबाद मण्डल के दो जनपदों हेतु 2000 मै० टन आलू खरीद का लक्ष्य सम्मिलित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसानों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता का आलू निर्धारित दरों पर क्रय हेतु पी० सी० एफ० के क्रय केन्द्रों पर न लाये जाने के कारण आलू का क्रय नहीं हुआ, अतएव किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का औचित्य नहीं है ।

प्रदेश में भूमि/भवन के क्रय पर स्टाम्प शुल्क की कमी के मामलों की अलग-अलग व्यवस्था

*7-श्री सुधाकर सिंह (अनुपस्थित)-

क्या सरकार को जानकारी है कि भूमि/भवन के क्रय पर स्टाम्प शुल्क की कमी के ऐसे मामले जिनमें एक लाख रुपये से अधिक का स्टाम्प शुल्क आरोपित किया जाना है उनकी सुनवायी/अपील रेवेन्यू बोर्ड, इलाहाबाद में किये जाने का प्राविधान है जिससे प्रदेश के लाखों लोगों को अपने मामले की पैरवी के लिये इलाहाबाद जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या भूमि की सरकारी दरों में वृद्धि और रुपये की गिरती कीमत को दृष्टिगत रखते हुये 5 लाख रुपये तक के स्टाम्प शुल्क की कमी के मामलों की सुनवाई मंडल स्तर पर किये जाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)-

पचास हजार रुपये से अधिक स्टाम्प शुल्क कमी के मामलों में स्टाम्प निगरानी की सुनवाई का अधिकार मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी (राजस्व परिषद्) इलाहाबाद में निहित है ।

जी नहीं ।

स्टाम्प निगरानी सुनने का अधिकार 10 हजार रुपये तक की स्टाम्प शुल्क की कमी की विवादित धनराशि के मामलों में अपर आयुक्त को एवं दस हजार रुपये से अधिक और 50 हजार रुपये से अनधिक के मामलों में मण्डलायुक्त को वर्ष 1994 में दिए गए हैं । दिनांक 31-3-97 तक मण्डलायुक्त न्यायालयों में स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत 6 माह पुराने लम्बित वादों की संख्या 6407 थी जबकि परिषद् स्तरीय न्यायालयों में स्टाम्प शुल्क की कमी के कुल 1200 वाद उक्त तिथि को लम्बित थे । अतः मण्डल स्तर पर लम्बित निगरानी की अधिक संख्या एवं राजस्व परिषद् न्यायालयों में इनकी कम संख्या को देखते हुये स्टाम्प शुल्क की कमी के मामलों में निगरानी सुनने के और अधिक अधिकार मण्डल स्तर पर दिया जाना उचित नहीं होगा ।

*8–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

। राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।

प्रदेश के सभी बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने हेतु हवाई पट्टियों के निर्माण की योजनाएं

*9–श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या नागरिक उड्डयन मंत्री बनने की कृपा करेंगे कि कुशीनगर में बौद्ध तीर्थ यात्रियों के आवागमन की सुविधा के लिये कुशीनगर लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी के बीच वायुयान सेवा प्रदान करने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है और उसे लागू करने में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

प्रदेश के विभिन्न अंचलों, जिनमें बौद्ध तीर्थ स्थल सम्मिलित हैं, को वायुसेवा से सम्बद्ध किए जाने के लिए विगत कई वर्षों से शासन द्वारा समय-समय पर भारत सरकार के पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया गया है । इसी उद्देश्य से बौद्ध परिपथ के सभी महत्वपूर्ण स्थानों जैसे कुशीनगर में कसिया हवाई पट्टी के सुदृढ़ीकरण, श्रावस्ती एवं पिपरहवा बाजार (कपिलवस्तु) जनपद सिद्धार्थनगर में नये हवाई पट्टियों के निर्माण की योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं ।

(श्री भोला शंकर मौर्य, माननीय मंत्री के पढ़ने पर)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मंत्री जी जो कुछ बोल रहे हैं वह सुनायी नहीं दे रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी माइक पर बोलें ताकि आपकी आवाज माननीय सदस्यों को सुनायी दे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, बौद्ध परिपथ योजना के अन्तर्गत करोड़ों रुपया खर्च करके कसिया हवाई पट्टी का सुदृढ़ीकरण हुआ और केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने उसका उद्घाटन किया था । उस समय यह घोषित किया गया था कि यहां पर यू०पी० एअरवेज की नियमित सेवायें चालू की जायेंगी । जैसा कि आप विदित हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस को छोड़कर कहीं भी हवाई सुविधा नहीं है । जबकि बौद्ध तीर्थ यात्री कसिया, सारनाथ, गोरखपुर के पास सिद्धार्थनगर में आते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कसिया को हवाई मार्ग से जोड़ने की दिशा में क्या प्रयास कर रही है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, सरकार ने इसको संवेदनशीलता से लिया है । इस पर अगस्त, 1988 से कार्यवाही शुरू की गयी थी और इसमें अब तक 644.62 लाख रुपये सरकार ने दिये हैं । इसमें राइट्स (रेल इण्डिया टेक्नीकल इकोनामिक सर्विस) की देख-रेख में निर्माण की कार्यवाही की जा रही है और यह प्रगति पर है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह पूछा था कि 7 करोड़ रुपये की लागत से हवाई पट्टी बनायी गयी, हवाई पट्टी बनना ही पर्याप्त नहीं था । आशय यह था कि उसको हवाई मार्ग से जोड़ा जायेगा और इसके लिये तत्कालीन राज्यपाल और केन्द्रीय उड्डयन मंत्री ने यहां से यू०पी० एअरवेज सेवा चलाने की घोषणा भी की थी । यू०पी० एअरवेज में उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा भी है । किन कारणों से यह एअरवेज नहीं चालू की जा सकी है । एअर सेवा से जोड़ने के लिए यह सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

इसमें बराबर भारत सरकार को लिखा जा रहा है और इसके लिये शीघ्र कार्यवाही करायी जा रही है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जब राज्यपाल महोदय कुशीनगर गये थे, उन्होंने गोरखपुर में इस बात की घोषणा की थी कि पहले जैसे गोरखपुर में नागरिक विमानपत्तन वहां चल रहा था, जिसकी अब सुविधा नहीं रह गई है, उसे फिर से बहाल कराया जायेगा और दिल्ली, बम्बई आदि के विमानों को उतरने की सुविधा दी जायेगी, क्या इस तरह के किसी प्रस्ताव पर सरकार कार्य कर रही है और इसे कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इस प्रकार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, उस समय राष्ट्रपति शासन था और राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी, उनकी घोषणा को हल्केपन से नहीं लिया जा सकता ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, अभी शाही जी ने जो प्रश्न किया था, उसी के संबंध में जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पिपरहवा आदि स्थानों को जोड़ते हुये कोई हवाई सर्वेक्षण कराकर, इस प्रकार की सेवा प्रारम्भ करने का सरकार प्रयास करेगी ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, पहले ही कह चुका हूं कि इस पर विचार कराया जा रहा है और भारत सरकार को लिखा जा रहा है, इसमें भारत सरकार ही सक्षम है, जब उनकी स्वीकृति मिल जायेगी, तभी यह संभव है ।

श्री राम औतार शाक्य–

| × × × |

नोट :– | × × × | यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न की अनुमति नहीं है ।

प्रदेश में नकली नोटों का चलन एवं इससे सम्बन्धित गिरोहों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग

*10–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में सुनियोजित तरीके से नकली नोटों का चलन बढ़ रहा है ? यदि हां, तो इन गिरोहों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? प्रदेश में इस रवैये को समाप्त करने हेतु कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बी० आर० वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत व्यापक है, इसलिये सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपकी पीठ से शासन को निर्देश आना चाहिये कि यह अत्यन्त गम्भीर समस्या है और जो जानकारी है, उसके अनुसार प्रदेश में जाली नोटों का प्रचलन बहुत बढ़ चुका है, इस संबंध में पूरी जानकारी सरकार सदन के पटल पर रखेगी, किस-किस जगह यह समस्या है । माननीय सदस्यों को उत्तर पाने का अधिकार है । यह बात प्रदेश सरकार के संज्ञान में है, मैं यही जानना चाहता हूं कि इस संबंध में कोई कार्यवाही हुई है, कोई पकड़ा गया है ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न पूरे प्रदेश से संबंधित है, किसी भाग से तो संबंधित है नहीं, इसलिये इसमें विस्तृत सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, इससे पूरे प्रदेश को आर्थिक नुकसान हो रहा है, इस पर शीघ्र कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष–

जब शासन द्वारा यह कहा जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है तो वह प्रश्न दुबारा कार्यसूची में आता है । जब यह दुबारा आयेगा, तब अनुपूरक प्रश्न कीजियेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसके व्यापक महत्व को देखते हुए जो सम्मानित सदस्य ने बताया है या इसके जांच की बात है तो यह प्रश्न मान्यवर, करेन्सी का है, माननीय सदस्य जो जानकारी दे रहें हैं इसे प्रश्न के रूप में न भी लें तो भी सरकार को निर्देशित कर दें । एक ही मुद्रा के पैरलल करेन्सी चल रही है और यह पूरी तरह से आर्थिक बाजारों को बढ़ा देगी । इसके माध्यम से आई०एस०आई० हत्याएं करा रहा है और साम्प्रदायिक तनाव पैदा कर रहा है । मान्यवर, विषय की गम्भीरता को देखते हुए माननीय मंत्री जी से कह दें कि सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठायें और इस करेन्सी का चलन रोके । अगर इस पर हम प्रश्न करते हैं तो वह दो सप्ताह के बाद आता है इस बीच में तो करोड़ों रुपये का लेन देन हो जायेगा इसके बाद जो करेन्सी चला रहे हैं वह राजग हो जायेंगे । इस तरह से इसका मकसद क्या रह जायेगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपने जो चिन्ता व्यक्त की है कि सजग हो जायेंगे । इसलिए आधा अधूरा उत्तर नहीं आना चाहिए । माननीय मंत्री जी इसको संज्ञान में ले लेंगे और पूरी जानकारी करेंगे । प्रश्न के माध्यम से जो समस्या बताई है इस पर विचार कर लेंगे जो माननीय सदस्य ने बात कही है ।

(व्यवधान)

जनपद मथुरा में साम्प्रदायिक संघर्ष एवं मृतकों के आश्रितों को मुआवजा

*11–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 25/26 मार्च, 1997 को जनपद मथुरा में दो समुदायों में संघर्ष के परिणामस्वरूप पुलिस फायरिंग से तीन दर्जन लोग घायल एवं दो लोगों की मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो घटना के कौन लोग दोषी हैं ? घटना का मुख्य रूप से कारण क्या है ? सरकार ने अभी तक क्या कारगर कार्यवाही की है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

जी नहीं । दिनांक 25/26 मार्च, 1997 को जनपद मथुरा में दो समुदायों में हुए संघर्ष के परिणामस्वरूप पुलिस फायरिंग से न तो कोई घायल हुआ है और न किसी की मृत्यु हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 25 मार्च, 1997 को अल्पसंख्यक समुदाय के तीन युवकों द्वारा वाल्मीकि समुदाय के एक युवक पप्पू उर्फ दिलीप की चाकू भोंक कर हत्या किया जाना, तदुपरान्त वाल्मीकि समुदाय के बीच साम्प्रदायिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होना तथा इसके अगले दिन पुनः वाल्मीकि समुदाय तथा अल्पसंख्यक समुदाय के मध्य हुए पथराव और फायरिंग में वाल्मीकि समुदाय के एक और युवक अर्जुन की मृत्यु हो जाना घटना के मुख्य कारण हैं ।

दिनांक 25 मार्च, 1997 को वाल्मीकि युवक दिलीप उर्फ पप्पू की हत्या के संबंध में थाना कोतवाली, जनपद मथुरा पर मुकदमा अ०सं० 123/97 धारा 147/148/149/302 भा०द०वि० व धारा 3(1)10 अ०जा०/अनु०ज०जा० अत्याचार निवारण अधिनियम व 7 पी०सी०आर० एक्ट पंजीकृत हुआ। दो अभियुक्त जफर तथा कल्लू गिरफ्तार हुए तथा अबरार ने आत्म समर्पण किया । तीनों अभियुक्तों पर रा०सु० अधि० लगाया गया ।

दिनांक 25-3-97 को ही हुए उपद्रव के संबंध में थाना कोतवाली पर अ० सं० 123ए/97 धारा 147/148/149/336/426 भा०द०वि० बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ ।

दिनांक 26-3-97 को हुए पथराव में अर्जुन की मृत्यु अस्पताल में हो गयी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर अ०सं० 124/97 धारा 147/148/149/307/302 भा०द०वि० व 3(1) (2) (5) (10) अ०जा० व अ०ज०जा० अत्याचार निवारण अधिनियम एवं 7 "ग" व "घ" पी० सी०आर० एक्ट पंजीकृत हुआ । विवेचना में 8 अभियुक्त प्रकाश में आये जिसमें से 6 को गिरफ्तार किया गया और दो ने आत्म समर्पण किया । इन सभी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

दिनांक 26-3-97 को ही प्रतिक्रिया स्वरूप हुई आगजनी की घटना के संबंध में थाना कोतवाली पर मु०अ०सं० 124ए/97 धारा 147/148/149/336/307 भा०द०वि० पंजीकृत हुआ जिसमें 24 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी ।

दोनों मृतकों के आश्रितों को रुपये एक-एक लाख का मुआवजा दिया गया ।

(संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उत्तर पढ़ना प्रारम्भ करने पर)

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय, मैं प्रश्न करता हूं

श्री अध्यक्ष–

उत्तर की प्रति आपको तो प्राप्त हुई है पर अन्य माननीय सदस्यों को नहीं प्राप्त हुई है उनकी जिज्ञासा है, इसको पढ़ा जायें ।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की प्रक्रिया

*12–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत पंजीकृत अपराधों की विवेचना की प्रक्रिया में कोई संशोधन कर दिया गया है ? यदि हां, तो वह संशोधन क्या है ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम के तहत किसानों को क्षतिपूर्ति व्यवस्था

*13–श्री श्याम लाल रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी शीतगृहों में किसानों का रखा गया आलू किसी यांत्रिक अथवा विद्युत गड़बड़ी के कारण खराब हो जाने पर किसानों की हुई हानि की पूर्ति के लिये सरकार ने कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उ० प्र० कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त/नाश, हानि की क्षतिपूर्ति का प्राविधान विद्यमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर में स्थापित ओरियन्टल सिरेमिक्स लिमिटेड औद्योगिक इकाई द्वारा कथित प्रदूषण

*14–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि ओरियन्टल सिरेमिक्स लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर में स्थापित है ? यदि हां, तो क्या उक्त इकाई के गन्दे पानी द्वारा उक्त क्षेत्र की नालियां चोक करने से भारी पैमाने में प्रदूषण फैल गया है ? यदि हां, तो इसके समाधान के लिये सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बी० आर० वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या 11 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

सरकार गठन के बाद वस्तुओं पर व्यापार कर में राहत से राजस्व पर प्रभाव

*15-श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के गठन के बाद किन-किन वस्तुओं पर व्यापार कर में राहत दी गई तथा किसमें-किसमें वृद्धि की गई ?क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि चालू वर्ष में उपरोक्त दी गई राहतों से व्यापार कर क्या प्रभाव पड़ेगा ? इस राहत से पिछले वर्ष के मुकाबले कितने राजस्व के बढ़ने की सम्भावना है ?क्या इस राहत से सरकार को चालू वर्ष में घाटा उठाना पड़ेगा ?सरकार इसकी भरपाई कैसे करेगी ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

सरकार के गठन के बाद निम्न वस्तुओं पर कर की दर घटाई गयी है :–

(1) कीटनाशी और नाशक जीवमार ।

(2) फोटोग्राफी और अन्य कैमरा और एन्लार्जर लैसेज और उसके संगठक भाग, पुर्जे और सहायक सामान जो फोटोग्राफी में प्रयोग के लिये अपेक्षित हों ।

(3) फोटोग्राफी में प्रयोग के लिये अपेक्षित कागज प्लेट और कपड़ा ।

(4) रूम कूलर और एयर कूलर ।

(5) खुली चाय ।

(6) बेसन जो चना व मटर से निर्मित है, एवं जिस पर उ० प्र० व्यापार कर ऐक्ट के अधीन कर का भुगतान कर दिया गया है ।

(7) मसाले तथा गरम मसाले ।

(8) फीता और निवाड़ (सूती निवाड़ को छोड़कर) और लैसेज जिसमें बांधने के प्रयोग के लिये या कपड़ा सुखाने के लिये प्रयोग की जाने वाली डोरी, रस्सी या सूत्र सम्मिलित है ।

(9) जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का ।

(10) जिल्क फास्टनर, जिपरोल और इसके संगठक भाग ।

(11) प्रान्त के अन्दर कर देकर खरीदे गये दलहन की केन्द्रीय बिक्री पर कर-मुक्ति ।

(12) ग्यारह श्रेणियों की रसायनिक उर्वरकों के पोटाश एवं फास्फेटिक कम्पोनेन्ट की बिक्री पर दिनांक 1-4-97 से दिनांक 31-3-98 तक कर-मुक्ति ।

(13) 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक फ्लाईऐश का प्रयोग करने वाली इकाइयों को जनपदों के वर्गीकरण के आधार पर 8 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिये व्यापार-कर में छूट दी गई है ।

(14) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक फ्लाईऐश का प्रयोग करने वाली इकाइयों को 12 वर्ष की अवधि अथवा स्थिर पूंजी विनिधान का 250% तक, जो भी पहले हो, कर की दर से छूट अथवा कर की दर में कमी की गई है ।

(ख) सरकार के गठन के बाद जर्दायुक्त पान मसाला पर कर-मुक्ति को समाप्त करते हुए कर लगाया गया है ।

फ्लाई–ऐश का प्रयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दी गई राहत पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जनहित में दी गई है । उक्त राहत को राजस्व की वृद्धि/कमी से सम्बद्ध नहीं किया गया है । शेष वस्तुओं के संबंध में दी गई राहत से व्यापार-कर के राजस्व में कमी की सम्भावना नहीं है ।

अनुमान देना सम्भव नहीं है ।

ऐसी सम्भावना नहीं है ।

लागू नहीं होता है ।

*16-श्री श्याम देव राय चौधरी-

[तीसरे सोम में ता० प्र० सं० 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद अम्बेडकर नगर थाना सम्मनपुर में दलित महिला का अपहरण तथा हत्या किये जाने विषयक रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

*17-श्री रामपाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि भूमि विवाद को लेकर दलित महिला की अपहरण कर उसकी हत्या करके एक निर्जन कुयें में फेंक दिये जाने विषयक सचिव, गृह के फैक्स दिनांक 22-10-96 व 25-10-96 तथा शासकीय पत्र दिनांक 18-11-96 द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, फैजाबाद को रिपोर्ट लिखकर हत्यारों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो अभी तक नामजद रिपोर्ट न लिखे जाने का क्या कारण है ? क्या इस संबंध में शासन द्वारा सी० आई० डी० जांच कराने का निर्णय लिया जा चुका है ? यदि हां, तो जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

थाना सम्मनपुर, जनपद अम्बेडकर नगर पर अप० सं० 188/96 धारा 302/201 भा० दं० वि० विरुद्ध अज्ञात दिनांक 26-9-96 को ही चौकीदार श्री छोटे लाल द्वारा पंजीकृत कराया गया है । इसमें किसी अभियुक्त का नाम अंकित न होने के कारण नामजद अभियोग कायम नहीं किया गया था । अभियुक्तों का नाम विवेचना के मध्य ही प्रकाश में आयेगा । नामजद रिपोर्ट पुनः लिखे जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां ।

अपराध शाखा के विवेचक को तत्परता से जांच करने का निर्देश दिया जा चुका है । जांच को 6 माह के अन्दर अंतिम रूप दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर ग्राम भलसवा ईसापुर, थाना नागल में श्री सोमदत्त शर्मा की हत्या विषयक अपराध की जांच

*18-श्री दीपक कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि ग्राम भलसवा ईसापुर, थाना नागल, जनपद सहारनपुर में दिनांक 14-1-97 को श्री सोमदत्त शर्मा की हत्या कर दी गई थी जिसकी रिपोर्ट स्थानीय पुलिस द्वारा भा० द० वि० की धारा 302 के स्थान पर धारा 304 में अंकित की गई है ? यदि हां, तो क्या स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त अपराध की गम्भीरता का कम आंकलन करने के संबंध में मृतक की पत्नी व पुत्र द्वारा स्थानीय पुलिस तथा क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध शासन के गृह विभाग एवं लोक शिकायत को कोई शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

मृतक श्री सोमदत्त शर्मा की पत्नी श्रीमती किलाशी देवी व पुत्र श्री सुनील शर्मा के अनुरोध पर प्रकरण की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी गयी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बिक रही अन्तर्राज्यीय लाटरियों को रोकने के लिये शासन द्वारा की जा रही कार्यवाही

*19-श्री अखिलेश कुमार सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश से बाहर की लाटरियों के बिकने पर प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो प्रदेश में बिक रही अन्तर्राज्यीय लाटरियों को रोकने के लिये अभी तक शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि हां,तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत राज्य की अथवा राज्य के बाहर की सभी निजी लाटरियों के टिकटों की बिक्री प्रतिबंधित है । जिन राज्य की आयोजित लाटरियों के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि वे मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश हरियाणा राज्य बनाम सुमन इन्टरप्राइजेज (1994) द्वारा निर्धारित सभी शर्तों की पूर्ति करती है और उन्हें राज्य लाटरियों की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, उनके संचालन पर प्रतिबन्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित पिकनिक स्पाट रोड पर बिना प्रदूषण लाइसेंस प्राप्त किये चलाई जा रही फैब्रीकेटिंग इण्डस्ट्रीज को आवश्यक निर्देश

*20-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि इन्दिरा नगर, डी ब्लाक लखनऊ स्थित पिकनिक स्पाट रोड पर अनेकों फैब्रीकेटिंग इण्डस्ट्रीज बिना प्रदूषण लाइसेंस प्राप्त किये रिहायशी कालोनी में चलाई जा रही है, जो ध्वनि प्रदूषण तथा एसीटिलीन जैसी घातक गैस का प्रदूषण फैला रही है ? यदि हां, तो क्या वहां पर सरकार ध्वनि का डेसिबल मापन कराकर उन फैब्रीकेटिंग इण्डस्ट्रीज को वहां से हटाने की कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बी० आर० वर्मा-

जी हां ।

इन इकाइयों में एसीटिलीन गैस का उपयोग नहीं होता है । इस स्थल पर स्थापित इकाइयों का परिवेशीय ध्वनि अनुश्रवण दिनांक 11 जुलाई, 1997 को कराया गया जो निर्धारित मानकों से अधिक पाया गया । उपर्युक्त इकाइयों को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण जनित करने वाली कार्यवाही तात्कालिक प्रभाव से बन्द करने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

कानपुर नगर में थाना-नौबस्ता के पुलिस दल द्वारा अन्तर्राज्यीय-गैंग के मुखिया बसीर को मुठभेड़ में मार गिराने पर उन्हें पुलिस पदक से सम्मानित किये जाने की मांग

1-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राज्यीय गैंग के मुखिया को पुलिस दल द्वारा मुठभेड़ में मार गिराये जाने पर संबंधित पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है ? यदि हां,तो क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 में कानपुर नगर में थाना-नौबस्ता के पुलिस दल ने

अन्तर्राज्यीय गैंग के मुखिया "बसीर" को मुठभेड़ में मार गिराया था ? यदि हां, तो क्या उनके इस सराहनीय कार्य के लिये संबंधित पुलिस दल को तत्समय पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर ने पुलिस पदक से सम्मानित किये जाने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त अन्तर्राज्यीय गैंग के मुखिया "बसीर" को मुठभेड़ में मारने वाले पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किये जाने की संस्तुति केन्द्र सरकार से करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

अदम्य साहस और असाधारण जोखिम उठाने पर पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

घटना की मजिस्ट्रीयिल जांच चल रही थी जो पूरी हो गयी है । जी हां, केन्द्र सरकार से संस्तुति की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत थाना खंडासा अम्बानीगंज में दलित उत्पीड़न, हत्या, मारपीट, लूटपाट सम्बन्धी घटनायें एवं कार्यवाही

2–श्री मित्रसेन यादव–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जनवरी, 1996 से माह जनवरी, 1997 तक जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत थाना खंडासा अम्बानीगंज में कितनी व कौन-कौन सी दलित उत्पीड़न, हत्या, मारपीट, लूटपाट, आगजनी, छेड़खानी व अन्य उत्पीड़न की घटनायें दर्ज की गई हैं ? उनको सम्य से अंकित कर एवं उन पर कार्यवाही न करने के लिये कौन लोग दोषी हैं ? दर्ज की गई घटनाओं की प्रगति रिपोर्ट क्या है ?

सुश्री मायावती–

माह जनवरी, 1996 से माह जनवरी, 1997 तक जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत थाना–खण्डासा में 12 दलित, उत्पीड़न, 10 मारपीट, 2 आगजनी, 3 हत्या, 20 मारपीट, 6 आगजनी, 4 छेड़खानी, 8 लूटपाट व 3 अन्य उत्पीड़न की घटनायें घटित हुई हैं ।

दलित उत्पीड़न के 12 अभियोग में से 9 अभियोग में चार्जशीट, 3 अभियोग में फाइनल रिपोर्ट लगी है । हत्या के सभी तीनों मामलों में चार्जशीट दी गयी है । मारपीट के 20 अभियोगों में से 18 अभियोग में चार्जशीट, 2 अभियोग में अंतिम रिपोर्ट लगी है । आगजनी के 6 अभियोगों में से 3 अभियोग में चार्जशीट व 3 अभियोग में फाइनल रिपोर्ट लगी है । छेड़खानी के चारों मामलों में चार्जशीट दी गयी है । लूटपाट के 8 मामलों में 6 अभियोग में चार्जशीट, 2 अभियोग में फाइनल रिपोर्ट लगी है । अन्य 3 उत्पीड़न की घटनाओं में चार्जशीट दी गयी है ।

व्यापार कर अधिकारी (एटा) के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायत एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही

3–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के अत्यक्त व्यापार कर, लखनऊ को संबोधित पत्र दिनांक 3.3.97 पर व्यापार कर अधिकारी (एटा) के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हैं ? क्या जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो [illegible] ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जांच के आधार पर व्यापार कर अधिकारी, एटा के द्वारा की गई कुछ अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं ?

शिकायती-पत्र में वर्णित कुछ शिकायतों के संबंध में संबंधित व्यापार कर अधिकारी को निन्दित किया जा चुका है एवं सत्यनिष्ठा संदिग्ध मानी गई हैं तथा उन्हें प्रशासनिक आधार पर एटा से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ?

जनपद एटा के थाना सिढ़पुरा में (अक्टूबर, 1996 से फरवरी, 1997 तक) हुये अपराधों का विवरण

4–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि अक्टूबर, 1996 से फरवरी, 1997 तक जनपद एटा के थाना सिढ़पुरा में गम्भीर अपराधों में भारी वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त अवधि में हुये अपराधों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं। आलोच्य अवधि में जनपद एटा के थाना सिढ़पुरा में गम्भीर अपराधों में सामान्य वृद्धि हुई है।

उक्त अवधि में थाना सिढ़पुरा में हत्या के 8, लूट के 3, फिरौती हेतु अपहरण का 1 तथा अन्य 24 अपराध घटित हुये हैं।

जनपद आगरा के अन्तर्गत थाना निबोहरा के अन्तर्गत पुलिस चौकी धनौला कला को घोषित "रिपोर्टिंग चौकी" बनाने बाबत

5–श्री विजय पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत धनौला कला पुलिस चौकी, थाना निबोहरा रिपोर्टिंग चौकी स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त चौकी पर उक्त सुविधा प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के थाना निबोहरा के अन्तर्गत पुलिस चौकी धनौला कला जनपद स्तर से अस्थाई रूप से कार्यरत है, अतः इसे "रिपोर्टिंग चौकी" की सुविधा नहीं है।

अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, लखनऊ द्वारा विज्ञापन संख्या–3/94–95 के अन्तर्गत निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय हेतु चयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र जारी करने बाबत

6–श्री कनवारी लाल दोहरे–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, लखनऊ द्वारा विज्ञापन संख्या–3/94–95 के अन्तर्गत निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय हेतु कितने अनुदेशकों का चयन किया गया था ? चयनित अनुदेशकों में कितने अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र जारी किया जा चुका है ? क्या शेष चयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)--

अधीनस्थ चयन सेवा आयोग लखनऊ द्वारा विभिन्न व्यवसायों में कुल 630 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था।

चयनित अनुदेशकों में 600 को नियुक्ति पत्र जारी किया जा चुका है।

शेष 30 चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित व्यवसायों में पद रिक्त न होने के कारण नियुक्ति पत्र जारी नहीं किये जा सके हैं ? भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश के अन्तर्गत कार्यरत दैनिक वेतन अनुदेशकों के संबंध में याचिका का निस्तारण होने के उपरान्त सेवानिवृत्त अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर नियुक्ति की जायेगी।

शिव हर्ष किसान पी० जी० कालेज बस्ती में वेतन भोगी कर्मचारी सहकारी समिति में कथित अनियमिततायें

7-श्री बनवारी लाल दोहरे-

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि शिव हर्ष किसान पी०जी० कालेज, बस्ती में वेतन भोगी कर्मचारी सहकारी समिति है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त समिति में परगनाधिकारी द्वारा लाखों रुपये की अनियमितता की गई है ? क्या इस संबंध में श्री राम प्रकाश, पूर्व विधायक, जनपद बस्ती ने वर्ष 1996 में कोई रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, बस्ती को भेजा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मामले की जांच कराकर दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

जिलाधिकारी बस्ती को प्रश्नगत शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

8-श्री सुधाकर सिंह-

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

जनपद बलिया के थाना फेफना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवनिर्मित सरकारी भवन में स्थानान्तरित किये जाने की मांग

9-श्री अम्बिका चौधरी-

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के थाना फेफना का निर्माण कार्य वर्षों पहले होने के बावजूद अधिकारी एवं कर्मचारी अपने नवनिर्मित थाना भवन में न जाकर पंचायत भवन में ही कार्यरत हैं ? थाना नवनिर्मित सरकारी भवन में कब तक स्थानान्तरित हो जायेगा ?

सुश्री मायावती-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद अलीगढ़ में डी०जी०सी० (आर०के०) पद पर की गई नियुक्तियां

10–श्री दलवीर सिंह–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में डी०जी०सी० (आर०के०) पद पर वर्ष 1988 में कतिपय नियुक्तियां हुई थीं ? क्या यह सही है कि उक्त नियुक्तियों को 10 जून, 1990 को रद्द कर दिया गया था ? क्या इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि उपरोक्त नियुक्तियों को माना जाय ? यदि हां, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ? कब तक इन आदेशों का पालन करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के थाना कोतवाली मुसाफिर खाना के इन्सपेक्टर तथा अन्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी एवं उसकी विवेचना

11–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के थाना कोतवाली मुसाफिरखाना के इन्सपेक्टर तथा अन्य के विरुद्ध याचिका संख्या 3521/एम- बी०/96 दिनांक 3–12–96 द्वारा अपराध सं० 600/96 धारा 406 आई०पी०सी० दर्ज की गई थी ? यदि हां, तो किसी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस रेग्युलेशन एक्ट में विभागीय कार्यवाही का क्या प्राविधान है ? क्या उक्त के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । थाना मुसाफिर खाना जनपद सुल्तानपुर के अ०सं० 600/96 भा०दं०वि० के अन्तर्गत निरीक्षक मुसाफिरखाना के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी गौरीगंज द्वारा प्रचलित है ।

अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के दण्ड एवं अपील संबंधी नियमावली के अनुसार अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध युक्तियुक्त और पर्याप्त कारण होने पर विभागीय कार्यवाही की जा सकती है । कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने की स्थिति के लिये कोई पृथक प्राविधान नहीं है ।

जी नहीं ।

अभियोग की विवेचना के मध्य प्रकाश में आये तथ्यों के परिपेक्ष्य में यदि दण्डात्मक कार्यवाही आवश्यक प्रतीत होगी तो विभागीय कार्यवाही पर विचार किया जायेगा ।

जनपद बिजनौर स्थित धामपुर व स्योहारा शुगर मिल इकाइयों को मानक के आधार पर प्रदूषण नियंत्रित कर संचालित किये जाने के निर्देश

12–डा० वेद प्रकाश सिंह–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर स्थित धामपुर व स्योहारा शुगर मिल इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण यूनिट सही ढंग से कार्य कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी जन-

जीवन एवं क्षेत्रीय पशुधन एवं कृषि के लिये अत्यन्त ही घातक हो रही उक्त इकाइयों को इस हेतु सचेत करने का प्रयास करेंगे ? क्या यह भी सही है कि जन जीवन में भीषण रूप से बीमारियों का कारण हो रही उक्त इकाइयों को मानक के आधार पर प्रदूषण नियंत्रित कर इकाइयां संचालित करने हेतु बाध्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बी० आर० वर्मा–

जनपद बिजनौर स्थित मे० अपर गंगेज शुगर मिल स्योहारा तथा मे० धामपुर शुगर मिल द्वारा क्रमशः 10000 टन/दिन तथा 9000 टन/दिन गन्ने की पिराई कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। मे० अपर गंगेज शुगर मिल स्योहारा में प्रदूषण उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु प्राथमिक व द्वितीय चरण का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। दि० 6 मार्च, 1997 को इस उद्योग द्वारा निस्तारित शुद्धिकरण उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित कर निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया। मे० धामपुर शुगर मिल द्वारा प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह तथा अपनी स्ट्रा बोर्ड यूनिट के उत्प्रवाह के संयुक्त शुद्धिकरण हेतु संयंत्र निर्मित किया गया है परन्तु इसका प्रभावी रूप से लगातार संचालन नहीं किया जाता है। बोर्ड द्वारा दिनांक 9 अप्रैल, 1997 को निरीक्षण के समय स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की कई इकाइयां कार्यरत नहीं पाई गई। अतः जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत उद्योग की सहमति वर्ष 1997 हेतु अस्वीकार की गई है। इस उद्योग को जल अधिनियम की धारा 33 अ के अन्तर्गत आगामी क्रसिंग सत्र प्रारम्भ होने के 15 दिन के अन्दर शुद्धिकरण संयंत्र से वांछित संशोधन/सुचारु रूप से अनवरत संचालन करने एवं स्टेबलाइज कर उत्प्रवाह बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत करने के निदेश दिये गये हैं।

मे० धामपुर शुगर मिल बिजनौर द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के सुचारु कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

मे० अपर गंगेज शुगर मिल स्योहारा द्वारा उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकरण कर निस्तारित किया जा रहा है। मे० धामपुर शुगर मिल की उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत करने के निर्देश "उक्त निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974" की धारा 33 अ के अन्तर्गत दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं।

सी० आई० डी० विभाग लखनऊ के कार्यरत उपनिरीक्षक/निरीक्षकों का निर्धारित नीति के अनुरूप स्थानान्तरण

13–श्री पारस नाथ यादव–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ में सी० आई० डी० विभाग में कितने उप निरीक्षक, निरीक्षक कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या सरकार 5–5 वर्षों से ऊपर के तैनात इन कर्मियों को बाहरी जनपदों में स्थानान्तरित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद लखनऊ के सी०आई०डी० विभाग में 5 उप निरीक्षक एवं 169 निरीक्षक कार्यरत हैं।

जी हां।

निर्धारित नीति के अनुरूप 5 वर्षों से ऊपर तैनात कर्मियों को जनपदीय पुलिस में रिक्तियों के सापेक्ष स्थानान्तरण की कार्यवाही निरन्तर प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

14–श्री अरुण प्रताप सिंह–

। स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।

श्री उमेन्द्र प्रताप सिंह आरक्षी चिरैयाकोट, मऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

15–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि श्री अफजाल अंसारी सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 2–10–96 जो श्री उमेन्द्र प्रताप सिंह, सिपाही, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ के संबंध में था, प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ था ? क्या इस संबंध में गृह पुलिस अनुभाग के पत्रांक 112–बी/6–1–20(548)/96 दिनांक 17–12–96 द्वारा कोई पत्र जांच हेतु भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसके अनुरूप क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां । यह सही है कि आरक्षी श्री उमेन्द्र प्रताप सिंह, जनपद जौनपुर का रहने वाला है । इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि वह हर माह बिना अवकाश के अपने गांव जाता है ।

आरक्षी श्री उमेन्द्र प्रताप सिंह दिनांक 5–7–96 से 17–7–96 के मध्य अवकाश पर था । जनपद जौनपुर के थाना खुटहन पर दिनांक 16–7–96 को वादी श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री गया प्रसाद सिंह निवासी ग्राम भेलपुर की लिखित तहरीर पर मुकदमा अ सं० 96/96 धारा 323/324 भा०दं०वि० विरुद्ध उमेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह व श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्रगण श्री राम सूरत सिंह साकिनान भेलपुर थाना खटहन जौनपुर पंजीकृत किया गया । मुकदमें की विवेचनोपरान्त उपनिरीक्षक श्री एल० बी० सिंह द्वारा आरोप-पत्र दिनांक 16–8–96 तीनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्रेषित किया जा चुका है ।

आरक्षी श्री उमेन्द्र प्रताप सिंह भी इसमें अभियुक्त है । मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री उमेन्द्र प्रताप सिंह, आरक्षी द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर भर्ती होने के संबंध में मामले की जांच माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से कराई गई । विवरण का मिलान कान्स० श्री उमेन्द्र प्रताप सिंह की चरित्र पंजिका में संलग्न शैक्षिक प्रमाण-पत्र से किये जाने पर समस्त विवरण सत्य पाये गये ।

गोपन अनुभाग–7 द्वारा प्रश्नकर्ता को भेजा गया सी०आई०डी० जांच विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

16–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता को गोपन अनुभाग–7 द्वारा पत्रांक एम० एल० ए० 325/92 गो०–7, दिनांक 31–7–92 भेजा गया था जिसमें सी० आई० डी० जांच होना सूचित किया गया है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या इसमें अब तक कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री भगेलू राम, पूर्व सदस्य, विधान सभा उ० प्र० के शिकायती-पत्र पर जांच

17–श्री चेतराम–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि श्री रामदेव पुत्र श्री राम स्वरूप अनुसूचित जाति (पासी) निवासी ग्राम अड़हनपुर, थाना मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर का, श्री भगेलू राम पूर्व सदस्य, विधान

सभा, उ० प्र० के पत्र संख्या 356/का/वि०म०दल (बसपा)/95 दिनांक 27 जुलाई, 1995 जो सवर्ण सामन्तों एवं अराजक तत्वों द्वारा निकास के रास्ते पर दीवाल बनाकर उत्पीड़न करने एवं जान से मार डालने विषयक था और जो प्रार्थना पत्र दिनांक 19 जुलाई, 1995 के विषय में था, पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर तथा मा० मुख्य मंत्री उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उल्लिखित पत्र पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को नहीं प्राप्त हुआ है परन्तु मुख्य मंत्री कार्यालय में प्राप्त हुआ है ।

श्री रामदेव पुत्र श्री रामस्वरूप पासी निवासी ग्राम अढ़नपुर की लिखित सूचना पर श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र राज बहादुर सिंह आदि के विरुद्ध दिनांक 14-12-96 को अ०सं० 592/96 अन्तर्गत धारा 504/506 भा० दं० वि० तथा 3(1) दस-एस-सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत दर्ज करके क्षेत्राधिकारी मुसाफिर खाना से जांच कराई गई । जांच से आरोप असत्य पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एवं प्रधानाचार्यों की संख्या एवं आरक्षित वर्गों के प्रधानाचार्यों की संख्या की जानकारी

18–श्री राम औतार मिश्र–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०) केन्द्र हैं ? उक्त संस्थानों में कुल कितने प्रधानाचार्य कार्यरत हैं ? कार्यरत प्रधानाचार्यों में से कितने पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के हैं तथा इनमें से कितने विभागीय प्रोन्नति/चयन समिति द्वारा चयनित किये गये ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

प्रदेश में 230 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई) हैं इनमें से 161 मुख्य आई०टी०आई० हैं तथा शेष 69 शाखा संस्थान हैं ।

उक्त संस्थानों में 95 प्रधानाचार्य/अधीक्षक कार्यरत हैं ।

उपरोक्त में 08 पिछड़ी जाति तथा 02 अनुसूचित जाति के हैं । इनमें से 16 विभागीय प्रोन्नति चयन समिति द्वारा नियमित चयनित तथा 06 तदर्थ रूप से कार्यरत हैं ।

जनपद हरदोई के कस्बा शाहाबाद एवं अन्य निकटतम गांवों को फल पट्टी घोषित किये जाने का औचित्य

19–श्री बाबू खां–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के कस्बा शाहाबाद एवं उसके निकटतम लगभग 90 गांवों को फरवरी, 1997 में फलपट्टी क्षेत्र घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या फल पट्टी क्षेत्र घोषित करने से पूर्व इसका सर्वे कराया गया था कि उक्त क्षेत्र में कितने प्रतिशत बागान हैं ? यदि नहीं, तो बगैर सर्वे कराये फल पट्टी क्षेत्र घोषित करने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार इसका सर्वे कराकर इस क्षेत्र की फल पट्टी की घोषणा को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां । सर्वे कराया गया था । उक्त क्षेत्र के 90 गांवों में 29 प्रतिशत बागान हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस बल के कर्मियों को आउट आफ टर्न प्रोन्नति देने की शासन की नीति

20–श्री श्याम लाल रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्तव्य पालन में जोखिम भरा कार्य करने के उपलक्ष्य में पुलिस बल के कर्मियों को आउट आफ टर्न प्रोन्नति देने की शासन की नीति है ? यदि हां, तो उक्त नीति की रूपरेखा क्या है ? इस नीति के अन्तर्गत कितने कर्मी प्रोन्नत किये जा चुके हैं ? कितने मामले शासन अथवा माननीय न्यायालयों में विचाराधीन हैं ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

कुख्यात आतंकवादियों अथवा जघन्य अपराधियों के साथ मुठभेड़ में उन्हें मार गिराने में या गिरफ्तार करने में अदम्य साहस एवं शौर्य प्रदर्शित करने वाले, अथवा अपने कर्तव्य पालन के दौरान जोखिम भरा कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को, आउट आफ टर्न निःसंवर्गीय पद पर एक रैंक अपर स्थानापन्न प्रोन्नति दिये जाने की नीति है । ऐसी प्रोन्नति हेतु विचार करने एवं निर्णय हेतु महानिदेशक उ० प्र० को अधिकृत किया गया है । पुलिस महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत उच्च स्तरीय विभागीय समिति सभी प्रकरण में गहनतापूर्वक विचार करने के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर प्रोन्नति हेतु निर्णय लेती है, जिसे पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के अनुमोदन के उपरान्त नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रोन्नति आदेश निर्गत किया जाता है । इस नीति के अन्तर्गत 91 पुलिस कर्मी प्रोन्नति किये जा चुके हैं ।

कुल 37 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं ?

जनपद बुलन्दशहर स्थित डी० फार्मा लि० औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में फैक्टरी के मजदूरों की संख्या एवं उनके वेतन आदि की नीति

21–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० फार्मा लि० जो औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर में स्थित है, में कुल कितने मजदूर कार्यरत हैं और उनमें कितने स्थायी और अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि उक्त फैक्ट्री मालिक ने ठेके पर फैक्ट्री चलवाकर मजदूरों का शोषण किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार मजदूरों को स्थायी कराने तथा दोषी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्यवाही कराने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

प्रतिष्ठान में कुल 258 श्रमिक कार्यरत हैं । स्थायी श्रमिकों की संख्या 132 है अस्थायी श्रमिकों की संख्या शून्य है । प्रतिष्ठान के कुल 258 कर्मकारों में से 126 श्रमिक संविदा श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं ।

नहीं । संविदा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रामपुर शहर स्थित खेतान फर्टीलाइजर फैक्ट्री के गैस रिसाव बन्द कराने की मांग

22–श्री अफरोज अली खां–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर शहर के बीच खेतान फर्टीलाइजर फैक्ट्री है जिसकी गैस का रिसाव आये दिन होता रहता है जिसका पेड़ पौधों, आम के बागों, जीव जन्तुओं पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त फैक्ट्री के गैस रिसाव बन्द कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वी० आर० वर्मा–

जी हां ।

यदा-कदा गैस रिसाव की शिकायतें बोर्ड को प्राप्त होती रहती हैं । मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, रामपुर तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, रामपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 15 जुलाई, 1997 द्वारा गैस रिसाव से जीव-जन्तु व मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की किसी भी घटना की पुष्टि नहीं की गई है । जिला उद्यान अधिकारी द्वारा फैक्ट्री के आस-पास स्थित आम के बागों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना बताया है तथा यह भी सूचित किया है कि फैक्ट्री के आस-पास के पौधे स्वस्थ नहीं हैं । इस गैस रिसाव से पेड़ पौधे, आम के बागों मृदा आदि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन बोर्ड द्वारा भारतीय विष विज्ञान संस्थान, लखनऊ से कराया जा रहा है ।

सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथा समय उचित कार्यवाही की जायेगी । उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत दिनांक 08 जुलाई, 1997 को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

23–श्री अफरोज अली खां–

[दूसरे वुध में अता० प्र० सं० 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद उधमसिह नगर में स्थित काशीपुर की मिलों के गन्दे पानी के रिसाव को रोकने की कार्यवाही किये जाने की मांग

24–श्री अफरोज अली खां–

क्या पर्यावरण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद उधमसिंह नगर में स्थित काशीपुर की मिलों का सारा कचरा कोसी नदी में आ रहा है जिससे पानी दूषित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार गंदे पानी के रिसाव को रोकने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बी० आर० वर्मा–

जनपद ऊधमसिंह नगर काशीपुर में स्थित तीन उद्योगों द्वारा सीधे उत्प्रवाह कोसी नदी में छः उद्योगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रवाह कोसी नदी में निस्तारित किया जाता हैं । मे० चीमा पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स प्रा० लि०, मे०डी०सी०एम० शुगर लि०, मे० सतनाम पेपर मिल्स प्रा० लि० द्वारा निस्तारित किया जा रहा शुद्धिकृत उत्प्रवाह बोर्ड मानकों के अनुरूप है । मे० गौराया स्ट्राबोड्र्स प्रा० लि०, बनवारी पेपर मिल लि०, मे० विश्वकर्मा पेपर एण्ड बोर्डस लि०, मे० जिन्दल वेजिटेबिल प्रोडक्ट्स लि० द्वारा निस्तारित किया जा रहा शुद्धिकृत औद्योगिक उत्प्रवाह में विभिन्न परिचालक बोर्ड मानकों से अधिक है । इन उद्योगों को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के समुचित संचालन एवं रख-रखाव के निर्देश दिये जा चुके है ।

मे० मल्टीवाल पल्स एण्ड बोड्र्स प्रा० लि० को पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं होने के कारण (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974" के प्राविधानों के तहत "कारण बताओ नोटिस" प्रेषित किया गया है ।

मे० इण्डिया ग्लाइकोल्स लि० को उद्योग के प्रस्ताव पर 240 दिन के जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के भण्डारण हेतु लीक प्रूफ सामग्री के लैगून्स निर्माण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव

25–श्री आफरोज अली खां–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की तनख्वाह पूर्व में प्रति हजार रुपये 35 थी जो बाद में घटाकर रुपये 28 प्रति हज़ार कर दी गयी ? इसका क्या औचित्य था ? क्या सरकार श्रमिकों का पैसा बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

शासनादेश सं०–2158/36-1-1164 (एसटी)/90 दिनांक 3 जनवरी, 1994 के द्वारा बीड़ी बनाने की न्यूनतम दर रु० 35/- प्रति हजार निर्धारित की गई थी । उक्त अधिसूचना के विरोध में प्रदेश स्थित बीड़ी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों की बंदी घोषित करते हुए अपने प्रतिष्ठानों को अन्य पड़ोसी प्रदेशों, जहां बीड़ी बनवायी की दर कम थी, को स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जाने लगी जिससे उद्योग में उत्पन्न अशांति को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 27 सितम्बर, 1995 को हुये त्रिपक्षीय सम्मेलन में लिये गये निर्णय के आधार पर श्रमिकों एवं सेवायोजक प्रतिनिधियों की एक उप समिति गठित की गई । उक्त समिति में उभय पक्षों के मध्य हुए सहमति के आधार पर शासन द्वारा बीड़ी उद्योग के हित में तथा सेवायोजन को बनाये रखने की दृष्टि से उक्त मजदूरी की न्यूनतम दर शासकीय अधिसूचना सं० 488/36-1-827 (एसटी)/94, दिनांक 5-6-96 के द्वारा संशोधित कर रु० 26/- प्रति हजार निर्धारित की गयी, जो दो वर्ष के लिए प्रभावी है ।

जी हां । इस संबंध में कतिपय प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर श्रमायुक्त से आख्या प्राप्त हो चुकी है और शासन के विचाराधीन है ।

26–श्री बाबू राम तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

।पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

बभनान शुगर मिल, बभनान गोण्डा में कथित बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण

27–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि बभनान शुगर मिल, बभनान गोण्डा में विगत दो वर्षों से बाल श्रमिक कानून का नजरअंदाज करते हुए प्रदेश के बाहर के हजारों मजदूरों से कारखाने संबंधी कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कानून विरुद्ध कार्य करने एवं उस क्षेत्र के बेरोजगारों की उपेक्षा के लिये आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं ।

मेसर्स बभनान शुगर मिल बभनान, गोण्डा जिसका वर्तमान में नाम मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, इकाई बभनान, गोण्डा है, में विगत दो वर्षों से न तो कोई बाल श्रमिक प्रदेश के कार्यरत हैं और न ही प्रदेश के बाहर के हजारों मजदूरों से कारखाने संबंधी कार्य लिया जा रहा है ।

यहां तक कि माह अप्रैल, 97 में दिनांक 8-4-97 से 20-4-97 तक कराये गए सर्वेक्षण के समय भी सर्वेक्षकों की सूचना के अनुसार कोई बाल श्रमिक कार्यरत नहीं पाये गये हैं । दिनांक 8-7-97 के निरीक्षण के समय भी बाल श्रमिक नियोजित नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट, अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा वाद सं० 18, वर्ष 1997 पर दिये गये निर्णय के अनुपालन की जानकारी

28–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट, अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा वाद संख्या 18, वर्ष 1997 के अन्तर्गत धारा 144 द० प्र० सं० ग्राम कजरी जमालुद्दीनपुर, जनपद अम्बेदकर नगर द्वारा पारित आदेश की प्रति सम्मनपुर, थाना जनपद अम्बेडकर नगर को अपने निर्देश के साथ भेजी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

29–श्री अरिमर्दन सिंह–

[दूसरे बुद्ध में अता० प्र० सं० 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में नागालैण्ड सरकार द्वारा जारी किये गये शस्त्रों की संख्या एवं उनकी जांच

30–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में नागालैण्ड सरकार के द्वारा जारी कितने लाइसेन्स पिछले 5 वर्षों से प्रकाश में आये हैं ? क्या इनके सही व गलत होने का सत्यापन कराया गया ? यदि हां, तो सही पाये जाने वाले शस्त्र लाइसेन्स धारकों को क्यों परेशान किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी जनहित में ऐसे शस्त्र लाइसेन्स धारकों का जिनका शस्त्र लाइसेन्स सही पाया गया है शस्त्र बेचने की अनुमति प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद शाहजहांपुर में पिछले पांच वर्षों में नागालैण्ड से जारी कुल 1604 शस्त्र लाइसेन्स प्रकाश में आये हैं ।

उक्त 1604 शस्त्र लाइसेन्सी में से 1195 की जांच हो चुकी है ।

स्थानीय पुलिस द्वारा किसी भी वैध लाइसेन्स धारक को परेशान नहीं किया जा रहा है ।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा सिविल मिस रिट याचिका सं० 33288/1994 प्रवेश कुमार आदि बनाम जिला मैजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर आदि में दि० 18-1-95 को दिये गये निर्णय में उप आयुक्त, मोन (नागालैण्ड) द्वारा निर्गत शस्त्र लाइसेन्स, जिनकी वैधता नियमतः उत्तर प्रदेश में नहं पायी गयी है, के धारकों को शस्त्र बेचने की अनुमति दिया जाना संभव नहीं है ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की मांग

31–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या न्याय मंत्री को जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की मांग पिछले कई वर्षों से लम्बित है ? क्या सरकार बेंच की स्थापना की घोषणा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खण्डपीठ की स्थापना का मामला मूलतः दिसम्बर, 1976 में उठा था और तभी से यह प्रकरण लम्बित है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने की संस्तुति जसवन्त सिंह आयोग द्वारा की गयी थी । इस विषय में तत्कालीन प्रधान मंत्री महोदय के दिनांक 23-5-94 के पत्र का उत्तर तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदया द्वारा दिनांक 5-9-95 को प्रेषित करते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया गया था कि भारत सरकार स्वयं निर्णय ले । भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–I (संघ सूची) की प्रविष्टि संख्या–78 पर की गयी व्यवस्था के अनुसार इस बिन्दु पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है । राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रस्ताव/अभिमत आदि भारत सरकार को प्रेषित किए जा चुके हैं एवं भारत सरकार का निर्णय प्रतीक्षित है ।

बंदी श्री उपदेश सिंह चौहान पुत्र श्री बाबू सिंह निवासी–बेबर, मैनपुरी का स्वास्थ्य परीक्षण

32–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि, अपराध सं०–153 ए/96, धारा 302 आई० पी० सी० थाना कोतवाली भोगांव, जनपद मैनपुरी के केस में जिला कारागार, मैनपुरी में निरुद्ध अपराधी श्री उपदेश सिंह चौहान पुत्र श्री बाबू सिंह निवासी–बेबर, मैनपुरी को बिना न्यायालय की अनुमति/आदेश के आगरा भेजा गया था ? यदि हां, तो कब ? तथा इसका औचित्य क्या है ? क्या यह सच है कि तत्कालीन जिलाधिकारी, मैनपुरी श्री विजय प्रकाश गुप्ता ने इस अनियमितता के संबंध में जांच कराये जाने हेतु आई० जी०, कारागार को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई और उसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये ?

कारागार एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन)–

जी हां ।

दिनांक 8-1-97 को जिला अस्पताल मैनपुरी के फिजीशियन द्वारा परीक्षण करने तथा उनकी सलाह पर आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुए बंदी को एस० एन० मेडिकल कालेज आगरा अधीक्षक, जिला कारागार मैनपुरी द्वारा भेजा गया, जिसकी स्वीकृति महानिरीक्षक कारागार द्वारा प्रदान की गई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में अपराध संख्या 109/95, अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम में थानाध्यक्ष तथा अन्य के विरुद्ध मुकदमें की जांच कार्यवाही

33–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना बिछवां, जनपद मैनपुरी में अपराध संख्या–109/95 धारा 395/364/342/376 एवं 120 बी० आई० पी० सी० तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम में तत्कालीन थानाध्यक्ष एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था ? क्या उक्त केस में सी० बी० सी० आई० डी० की विवेचना में किसी को दोषी पाया गया ? यदि हां, तो अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसमें हुए विलम्ब की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां, उक्त केस की विवेचना में एक पुलिस उपनिरीक्षक व 6 आरक्षीगणों तथा चार जनता के व्यक्तियों को दोषी पाया गया है । दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति का मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

चूंकि मामला अभी विचाराधीन है । अतः अभी विलम्ब का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जनपद मुजफ्फरनगर के ''रामपुर–तिराहा'' काण्ड के सरकारी गवाह श्री सुभाष गिरि कांस्टेबिल की हत्या संबंधी सम्पूर्ण तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध कराये जाने की मांग

34–श्री अजय भट्ट–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994 के अक्टूबर माह में जनपद मुजफ्फरनगर के ''रामपुर–तिराहा'' काण्ड की जो जांच संबंधी कार्यवाही देहरादून स्थित विशेष अदालतों में चल रही है, उस प्रकरण के सरकारी गवाह श्री सुभाष गिरि कांस्टेबिल (मुजफ्फरनगर के एस० पी० का गनर) की हत्या 4 जनवरी, 1997 को मोदीनगर मुरादाबाद के मध्य उस समय कर दी गयी जब वह ''देहरादून मुम्बई एक्सप्रेस'' से यात्रा कर रहे थे ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण पर सम्पूर्ण तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

दिनांक 4-1-97 को आरक्षी 90 सशस्त्र पुलिस सुभाष गिरि के जनपद मुजफ्फरनगर में नियुक्त था, देहरादून–बान्द्रे एक्स० ट्रेन नं० 9020 डा० से देहरादून से लौट कर अपने मूल निवास ग्राम हिन्डलपुर जनपद गाजियाबाद जा रहा था, तो रेलवे स्टेशन मोदीनगर व मुरादनगर के 3 अज्ञात बदमाश उसके पास पहुंचें और उसके ऊपर अवैध असलहा से 2-3 फायर किये, जिनमें से 2 फायर उसे लगे, जिसके कारण उसी ट्रेन के डिब्बे में ही उसकी मृत्यु हो गयी । इस घटना के संबंध में ट्रेन स्कोर्ट ड्यूटी पर नियुक्त मुख्य आरक्षी 1040 बृजपाल सिंह थाना जी० आर० पी० देहरादून ने थाना जी० आर० पी० मेरठ सिटी पर लिखित तहरीर प्रेषित की जिस पर मु०अप०सं० 6/97 धारा 302 भा०द०वि० बनाम 3 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत हुआ । इस अभियोग की विवेचना प्रारम्भ में थाना जी० आर० पी० मेरठ सिटी द्वारा की गयी । बाद में इस अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग के सेक्टर मेरठ द्वारा की जा रही है ।

थानाध्यक्ष जी० आर० पी० मेरठ सिटी की विवेचना के दौरान उस समय इस प्रकरण में यह तथ्य प्रकाश में आया था, कि मृतक आरक्षी वर्ष 1991 से लेकर घटना तक जनपद मुजफ्फरनगर में नियुक्त रहा । वर्ष 1994 में यह मृतक आरक्षी तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक मुजफ्फर नगर श्री जगदीश प्रसाद सिंह के साथ गनर ड्यूटी पर था । दिनांक 2-10-94 को उत्तराखंडियों के साथ हुई बहुचर्चित रामपुर तिराहे पर घटित फायरिंग व पत्थरबाजी की घटना में सी० बी० आई० संगठन द्वारा पंजीकृत कराये गये मु०अप०सं० 42/96 धारा 302/307/324/326 भा०द०वि० में तत्कालीन समय में जनपद मुजफ्फरनगर में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ मृतक आरक्षी भी अभियुक्त घोषित था । इस अभियोग में मृतक आरक्षी न्यायालय से जमानत पर था ।

श्री नागेन्द्र सिंह तात्कालीन वरिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी स० स० एवं पंचायतें लखनऊ राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ के विरुद्ध प्रपत्रों/पैडों की चोरी विषयक रिपोर्ट की जांच

35–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें नवभूतल इन्दिरा भवन लखनऊ उ० प्र० के पत्रांक 9048/लेखा–2 नाजिर दिनांक 11-10-95 द्वारा श्री नागेन्द्र सिंह तात्कालीन वरिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी स०स० एवं पंचायतें लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ के विरुद्ध विभागीय प्रपत्रों/पैडों की चोरी के मामले की रिपोर्ट हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो उक्त मामले में कितने पैसे लागत का गबन किया गया है ? क्या मंत्री जी जांच रिपोर्ट से सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

गबन की लागत/धनराशि का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है ।

श्री नागेन्द्र सिंह के विरुद्ध अभी विभागीय जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्सों की स्वीकृत करने की नीति एवं मैनपुरी में स्वीकृत लाइसेन्स की संख्या की जानकारी

36–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्सों को स्वीकृत करने की नीति क्या है ? जनपद मैनपुरी में नवम्बर, 1996 से अब तक कितने लाइसेन्स किन-किन व्यक्तियों को स्वीकृत हुए ? कितने प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में लम्बित हैं ? क्या सरकार लम्बित प्रार्थना-पत्रों में विरासत एवं ट्रांसफर के आधार पर शस्त्र लाइसेन्सों को प्राथमिकता पर स्वीकृत करने के निर्देश निर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्सों को स्वीकृत करने की कार्यवाही आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली, 1962 के प्राविधानों के अनुसार की जाती है ।

जनपद मैनपुरी में माह नवम्बर, 1996 से मई, 1997 तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 230 आग्नेयास्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये हैं । स्वीकृत लाइसेन्सों की सूची मा० संसदीय कार्यमंत्री जी के कार्यालय में उपलब्ध है, जिसे किसी कार्य दिवस में देखा जा सकता है ।

जिलाधिकारी, मैनपुरी कार्यालय में आग्नेयास्त्र लाइसेन्स का कोई प्रार्थना-पत्र लम्बित नहीं है ।

चूंकि जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी के कार्यालय में आग्नेयास्त्र लाइसेन्सों के कोई प्रार्थना-पत्र लम्बित नहीं है । अतः उनके निस्तारण हेतु कोई निर्देश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम व पोस्ट तरौली मुबारकपुर में दलित महिला आश्रितों को मुआवजा तथा भूमि आवंटन की मांग

37–श्री रामपाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि ग्राम व पोस्ट तरौली मुबारकपुर, थाना हंसवर जनपद अम्बेडकर नगर की विवादित भूमि संख्या 338 के संबंध में किसी दलित महिला की दिनांक 24 सितम्बर, 1996 को अपहरण करके हत्या किये जाने के संबंध में मृतका के आश्रितों को मुआवजा दिया गया है तथा उक्त विवादित भूमि को भूमिहीन के अन्तर्गत उसके आश्रितों के नाम जिलाधिकारी स्तर से आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? समस्त कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां । मृतका के आश्रित पुत्र को स्वीकृत आर्थिक सहायता 1 लाख के सापेक्ष 75,000/–दिया जा चुका है, शेष 25,000/–न्यायालय के आदेशों के उपरान्त दिया जायेगा ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रमाशंकर व करुणाशंकर तिवारी ग्राम पूरे कलन्दर मौजा हरिहरपुर थाना मुंशीगंज, सुल्तानपुर के भूमि विवाद का प्रकरण

38–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री रमाशंकर व करुणाशंकर तिवारी पुत्र श्री राम औतार, ग्राम–पूरे कलन्दर मौजा हरिहरपुर, थाना–मुंशीगंज, सुल्तानपुर का रजि० प्रार्थना-पत्र दिनांक 4-2-97, 6-2-97, 11-2-97 तथा 15-2-97 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच की गयी ? क्या सरकार इस संबंध में की गई जांच आख्या को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

प्रकरण भूमि विवाद से संबंधित है जो कि पक्षकारों के मध्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है ।

39–श्री हरदेव सिंह–

। चौथे मंगल में अता० प्र० सं० 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

क्रय-विक्रय समिति कासगंज (एटा) द्वारा संचालित शीत गृह में किसानों का आलू भण्डारण में कथित अनियमितता की शिकायत

40–श्री नेतराम सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्रय-विक्रय समिति कासगंज (एटा) द्वारा संचालित शीतगृह में किसानों का आलू भण्डारण न करके संचालक मण्डल ने समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर बाहरी व्यापारियों का आलू भण्डारण किया है ? क्या यह सही है कि भण्डारण करने वालों से अग्रिम धन भी लिया गया है ? प्रश्नकर्ता का क्या कोई शिकायती-पत्र तत्कालीन जिलाधिकारी, एटा को माह मार्च, 97 में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या जांच करायी गयी ? जांच के परिणाम क्या हैं ? जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जांच में शिकायत में उठाये गये बिन्दुओं की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

41–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

। न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जनपद शाहजहांपुर की साधन सहकारी समिति सरजूपुर जैतीपुर में गबन करने संबंधी शिकायती-पत्र पर जांच

42–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर जनपद की साधन सहकारी समिति सरजूपुर जैतीपुर के संबंध में श्री श्यामलाल पुत्र कालिका प्रसाद निवासी जैतीपुर शाहजहांपुर के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 326426 जो दिनांक 5-6-97 को भेजा गया है ? प्राप्त हुआ, जिसमें रुपया 10,000/–के गबन किये जाने की शिकायत है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

उप निबन्धक बरेली मण्डल से जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश निबन्धक सहकारी समितियां, उ० प्र० को दिए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस रेडियो शाखा में सहायक आपरेटरों के पदों की संख्या एवं आरक्षण कोटा पूरा किये जाने की मांग

43–श्री दीप लाल भारती–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि पुलिस रेडियो शाखा में सहायक आपरेटरों के कुल कितने पद 1-6-97 की स्थिति के अनुसार सृजित हैं एवं इन पर कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या सहायक आपरेटरों संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रशिक्षित कर्मशाला सहायकों की पदोन्नति से उक्त आरक्षण कोटा पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

दिनांक 1-6-97 के स्थिति के अनुसार कुल 1635 सहायक आपरेटरों के पद सृजित हैं एवं 1607 सहायक आपरेटर कार्यरत हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस रेडियो शाखा में कर्मशाला सहायकों को अन्य पुलिस कर्मियों की भांति एक माह का वेतन दिये जाने की मांग

44–श्री दीप लाल भारती–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि पुलिस रेडियो शाखा में कर्मशाला सहायकों से भी पुलिस विभाग के अन्य कर्मियों की भांति अवकाश के दिनों में भी कार्य लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन कर्मचारियों को भी अन्य पुलिस कर्मियों की भांति एक माह के अतिरिक्त वेतन का भुगतान सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मशाला सहायकों के कार्य की प्रकृति तथा परिस्थितियां पुलिस विभाग से भिन्न हैं ।

45-46-श्री श्याम देव राय चौधरी–

[तीसरे मंगल में अता० प्र० सं० 31-32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

श्री फूल चन्द यादव निवासी हरिपुर पट्टी जनपद इलाहाबाद के शिकायती-पत्र पर जांच

47–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फूल चन्द्र यादव, निवासी हरिपुर पट्टी जनपद इलाहाबाद के शिकायती-पत्र पर शिकायत प्रकोष्ठ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, लखनऊ द्वारा जांच कराने का निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद को आदेश सं०–1182/6/विविध, दिनांक 30 दिसम्बर, 96 को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण की गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

जांच रिपोर्ट अनुसार श्री फूल चन्द्र यादव तथा उनके पट्टीदार श्री राम खेलावन यादव के मध्य ग्राम प्रधानी के चुनाव को लेकर गांव स्तर पर पार्टीबन्दी चल रही है । दोनों पक्षों के मध्य पार्टी बन्दी एवं रंजिश को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही कर दी गई है । अतः जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ० प्र० लखनऊ द्वारा ले०प०अ० श्री श्रीकान्त मिश्र ग्रेड–2 का स्थानान्तरण

48–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या सी–57/अ–5/स्था/95 दिनांक 26-5-95 के द्वारा श्रीकान्त मिश्रा ले० प० अ० ग्रेड–2 का स्थानान्तरण बाहरी जनपदों में किया गया है ? क्या यह सही है कि स्थानान्तरण होने के बाद भी अन्य तिथियों में अधिकार पत्र जारी करके माल ऐशबाग मुद्रणालय से बाहर निकलवाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

सामान्य प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री मिश्रा द्वारा पद से कार्यमुक्त होने के बाद कोई अधिकार-पत्र जारी नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें इन्दिरा भवन लखनऊ में जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों का अन्तिम चयन एवं रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

49–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एव पंचायतें इन्दिरा भवन लखनऊ में जिला, लेखा परीक्षा अधिकारियों का अन्तिम चयन कब हुआ है ? वर्तमान में कितने पद रिक्त चल रहे हैं ? बिना पदोन्नति पाये कितने कर्मचारी सेवानिवृत्ति हो गये हैं ? कितने पदोन्नति के पात्र हैं, उनकी संख्या क्या है ? रिक्त पदों पर चयन कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन के अन्तर्गत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सम्वर्ग के रिक्त पदों को भरने हेतु अन्तिम चयन दिनांक 11 जून, 1997 को सम्पन्न हुआ था ।

वर्तमान में प्रश्नगत सम्वर्ग में 16 पद रिक्त हैं ।

चयन वर्ष 1996-97 में बिना पदोन्नति पाये 11 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गये हैं ।

वर्तमान में 7 ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–I पदोन्नति के पात्र हैं । रिक्त पदों पर चयन यथाशीघ्र कराया जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं है ।

जनपद उन्नाव के थाना अचलगंज में ग्राम दुआ में दलित उत्पीड़न से संबंधित पंजीकृत अपराध में सिपाही का नामजद किया जाना एवं उस पर कार्यवाही

50–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के थाना अचलगंज में ग्राम दुआ में दलित उत्पीड़न से संबंधित अपराध सं०–404/96 दिनांक 16-11-96 को धारा 376/342/363/365/ भारतीय दण्ड विधान एवं धारा–3 एस० सी० एस० टी० ऐक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ है ? क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त मुकदमें में पुलिस के सिपाही भी नामजद है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्य कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मु० नसीब पुत्र श्री जहीर अहमद निवासी पूरे नवाब सरेसर थाना जगदीशपुर, सुल्तानपुर द्वारा थानाध्यक्ष जामो के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र पर जांच

51–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित मु० नसीब पुत्र जहीर अहमद निवासी पूरे नवाब सरेसर थाना–जगदीशपुर का दिनांक 25-10-96 का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र जिसमें तत्कालीन थानाध्यक्ष–जामो श्री अभिमन्यु दुबे द्वारा एक ट्राली बबूल की लकड़ी तथा 1225 रुपये

जबरिया ले लेने तथा मारने-पीटने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच किसी अधिकारी द्वारा करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां । जांच से आरोप निराधार पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी समिति गोरियाबाद, सुल्तानपुर के सचिव के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच कार्यवाही

52–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक निबन्धक सहकारिता जनपद–सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री गयादीन पुत्र प्रसादी ग्राम गोरियाबाद ब्लाक–जामो का दिनांक 25-11-96 का रजि० प्रार्थना-पत्र जिसमें सहकारी समिति, गोरियाबाद के सचिव के विरुद्ध खाद के लोन को फर्जी तरीके से चढ़ाकर वसूलने, रसीद की पोस्टिंग न कर फर्जी वसूली की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गयी है ? जांचोपरान्त क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं । इसी संबंध में शिकायत कर्ता का अन्य तिथि का पत्र 29-3-97 को प्राप्त हुआ ।

जांच में समिति के अभिलेखों की स्थिति संदिग्ध पाए जाने के कारण जांच अधिकारी की संस्तुति पर मध्यस्थ की नियुक्ति कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामफल पासी ग्राम गुरुहिया का पुरवा कसमापुर थाना कोतवाली जायस, रायबरेली के प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

53–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को संबोधित श्री राम फल पासी ग्राम गुरुहिया, का पुरवा कसमापुर थाना कोतवाली जायस, रायबरेली का रजि० प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-3-97 जिसमें थाना जायस में रिपोर्ट न लिखने की शिकायत की गई है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई ? जांच के बाद क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । यह अवश्य है कि दिनांक 23-3-97 को श्री रामफल पासी द्वारा थाना जायस में यह सूचना अंकित करायी गयी कि उसके पड़ोसी गंगा राम, शिव नरायन, गंगाराम की मां, तथा पत्नी ने उसके साथ गाली गलौज कर, उसे मारा पीटा ।

श्री रामफल पासी की उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना जायस रायबरेली में अहस्ताक्षेपीय सूचना संख्या 14/97 धारा 323/504 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया । चूंकि यह अहस्ताक्षेपीय अपराध था एवं दोनों ही पक्ष अनुसूचित जाति के होने के कारण इसकी विवेचना नहीं की गयी । शान्ति भंग होने के अंदेशा के कारण स्थानीय पुलिस द्वारा विपक्षीगण सर्वश्री गंगाराम, शिवनरायन पासी व छेदी लाल पासी को उसी दिन दिनांक 23-3-97 को धारा 151/107/116 द० प्र० सं० के अन्तर्गत गिरफ्तार करके

परगना मैजिस्ट्रेट तिलाई के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां बाद में जमानत मुचलके पर उन्हें रिहा कर दिया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

54–श्री रामपाल वर्मा–

[दूसरे मंगल में अता० प्र० सं० 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार के गऊघाट और चित्रकूट में भगदड़ संबंधी दुर्घटना की जांच

55–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जुलाई, 96 में सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार के गऊघाट और चित्रकूट में भगदड़ से हुई दुर्घटना की कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

सुश्री मायावती–

15 जुलाई, 1996 को सोमवती अमावस्या के अवसर पर गऊघाट हरिद्वार में भगदड़ से हुई दुर्घटना की जांच हेतु श्री आर० के० अग्रवाल सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है ।

सम्प्रति जांच आयोग अभी जांच कर रहा है ।

चित्रकूट क्षेत्र में जो दुर्घटना घटित हुयी थी वह प्रदेश के क्षेत्र में नहीं हुयी थी अपितु उसका संबंध मध्य प्रदेश क्षेत्र से है । अतः प्रदेश शासन द्वारा जांच कराये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य के सत्र व अधीनस्थ न्यायालयों से मांगी गयी आख्या

56–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1996 में राज्य के सत्र व अधीनस्थ न्यायालयों से छोटे मुकदमों के विषय में कोई आख्या मांगी गई थी ? यदि हां,तो क्या वह आख्या शासन द्वारा भेज दी गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

सुश्री मायावती–

सर्वोच्च न्यायालय ने रिट संख्या–5943/80-कटरा पहाड़िया तथा अन्य बनाम बिहार राज्य में अपने आदेश दिनांक 4 अगस्त, 1995 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 260. 261 के अन्तर्गत संक्षिप्ततः परीक्षणीय छोटे अपराधों से संबंधित मुकदमों एवं धारा 320(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता से आच्छादित सुलह योग्य अपराधों से संबंधित मुकदमें तथा यातायात नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप उत्पन्न लम्बित मुकदमों की संख्या के विषय में सूचना मांगी थी ।

उक्त सूचना संकलित रूप में संयुक्त सचिव, विधि कोष्ठक, नई दिल्ली के माध्यम से भेजी जा चुकी है ।

उक्त वांछित सूचना में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 260. 261 व 320(1) तथा यातायात के लम्बित वादों को संख्या दी गई थी निम्न प्रकार थी :–

(क) धारा 260/261 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लम्बित वादों की संख्या 3,99,440

(ख) धारा 320(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता से आच्छादित वादों की संख्या 1,78,718

(ग) यातायात नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप उत्पन्न लम्बित वादों की संख्या 83,505

पुलिस अधीक्षक बहराइच को ग्रामवासी गण राजा बौण्डी थाना बौण्डी का कथित शिकायती-पत्र

57–श्री हरिशंकर तिवारी–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक बहराइच को ग्रामवासी गण राजा बौण्डी थाना बौण्डी का शिकायती-पत्र दिनांक 8-2-97 मिला था ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायती-पत्र की जांच 10-2-97 को क्षेत्राधिकारी, कैसरगंज द्वारा की गई तथा गवाह मुनीम तेली का बयान लिया गया था ? यदि हां, तो क्या उस बयान के आधार पर थाने के कांस्टेबिल एवं थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या संबंधित लड़की का बयान सी० आर० पी० सी० की धारा 164 के अन्तर्गत लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के ग्राम बौण्डी थाना बौण्डी में मृतक श्री आशुतोष पाण्डेय द्वारा अपनी रक्षा हेतु दुनाली बन्दूक के लाइसेंस हेतु सी० ओ० कैसरगंज के स्तर से की गई विलम्ब की जांच कराये जाने की मांग

58–श्री हरिशंकर तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 7 अप्रैल, 1997 को जनपद बहराइच के ग्राम बौण्डी थाना बौण्डी में दिन दहाड़े श्री आशुतोष पाण्डेय उर्फ सच्चिदानन्द पाण्डेय, पुत्र श्री श्याम पाण्डेय की हत्या कर दी गई ? क्या मृतक श्री आशुतोष पाण्डेय उर्फ सच्चिदानन्द पाण्डेय ने अपनी रक्षा हेतु दुनाली बन्दूक के लाइसेंस हेतु आवेदन किया था जो थाने बौण्डी से रिपोर्ट लगने के बाद भी काफी समय तक सी० ओ० कैसरगंज के यहां अनावश्यक रूप से पड़ा रहा ? क्या इस लाइसेंस को समय से जारी न किये जाने के बारे में सी० ओ० स्तर से की गई विलम्ब की जांच करवायेंगे ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । थाना बौण्डी से क्षेत्राधिकारी कार्यालय में दिनांक 5-2-97 को प्राप्त प्रश्नगत लाइसेंस प्रार्थना-पत्र क्षेत्राधिकारी, कैसरगंज द्वारा जांचोपरान्त दि० 16-2-97 को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित कर दिया गया ।

इस संबंध में जांच करवाये जाने का औचित्य नहीं है ।

एटा जिले के कासगंज नगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति किये जाने की मांग

59–श्री नेतराम सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि एटा जिले के कासगंज नगर में न्यायालय तथा न्यायाधीश के आवास की कमी के कारण अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पद सृजित नहीं किया गया था ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान में न्यायालय व न्यायाधीश आवास पूर्ण रूप से निर्मित हो चुके हैं ? यदि

हां, तो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति करके न्याय कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

सूचना प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सरकार के अधीन कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की मांग

60–श्री पारसनाथ यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार के अधीन कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विगत तीन चार वर्षों से मात्र 30/- एवं 40/- रुपयो प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाता है ? क्या मंत्री जी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की प्रतिदिन के वेतन में वृद्धि कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

दिनांक 19 जुलाई, 1997 से समूह "ग" एवं "घ" के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की दैनिक पारिश्रमिक की दरें क्रमशः 40/- एवं रु० 35/- प्रतिदिन से बढ़ाकर रु० 47.50 एवं 42.50 प्रतिदिन कर दी गई हैं ।

जनपद हरदोई के थाना मल्लावां के ग्राम बरौना की अनुसूचित जनजाति के कंजड़ लोगों पर निजी क्षेत्रों की फैक्ट्रियों द्वारा कथित उत्पीड़न

61–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के थाना मल्लावां के ग्राम बरौना जनपद हरदोई के अनुसूचित जनजाति के कंजड़ लोगों को निजी क्षेत्र की शुगर फैक्ट्री "पेट्रान इंडिया इण्टरनेशनल लिमिटेड, मल्लावां हरदोई" द्वारा उनके धार्मिक स्थल व कब्रिस्तान पर कब्जा कर उत्पीड़ित किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि उनके मृत लोगों का दाह संस्कार भी नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो उक्त उत्पीड़न को रोकने के लिये क्या उपाय किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

62–श्री नारायण रामदास–

[पहले गुरू में आता० प्र० सं० 156 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

"कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, रानीखेत" अल्मोड़ा की आसवारिष्टों की उत्पादन यूनिट को कथित रूप से अन्यत्र स्थापना

63–श्री अजय भट्ट–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, रानीखेत" अल्मोड़ा की तृप्ती शर्बत च्यवनप्राश एवं आसवारिष्टों की उत्पादन यूनिट को उक्त प्रतिष्ठान से अन्यत्र स्थापित किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त यूनिटों की अन्यत्र स्थापना का औचित्य क्या है ?

श्री आर० के० चौधरी–

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र शर्मा, अवर अभियन्ता, लो० नि० वि० इलाहाबाद द्वारा श्री एस० एन०, यादव सहायक अभियन्ता श्री सुरेन्द्र यादव एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज कराया गया फर्जी अभियोग

64–श्री रामपाल राजवंशी–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि श्री राजेन्द्र शर्मा, अवर अभियन्ता, लो० नि० वि० इलाहाबाद ने जिलाधिकारी अर्ध कुम्भ मेला इलाहाबाद ने मेसर्स विमल एण्ड कम्पनी को लगभग 43 हजार एवं 60 हजार के फर्जी मस्टर रोल से निकालने की शिकायत करते हुए थाना कर्नलगंज में 8 जनवरी, 96 को अपराध संख्या 42/96 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

सुश्री मायावती–

श्री राजेन्द्र शर्मा, अवर अभियन्ता, इलाहाबाद द्वारा फर्जी मस्टर रोल पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण श्री एस० एन० यादव, सहायक अभियन्ता तथा श्री सुरेन्द्र यादव एवं अन्य के द्वारा उनके साथ गाली गलौज करने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में दिनांक 8-1-96 को थाना कर्नलगंज इलाहाबाद में उक्त अवर अभियन्ता द्वारा अभियोग सं० 22/96 दर्ज कराया गया ।

विवेचनोपरान्त साक्ष्य के अभाव में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है ।

ग्राम महराजपुर, थाना निबोहरा, आगरा में घटित घटना व केताराम की थाना रकाबगंज में दर्ज की गई रिपोर्ट एवं कार्यवाही

65–श्री विजयपाल सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम महराजपुर, थाना निबोहरा, आगरा में दिनांक 18-10-96 को कोई घटना घटित हुई थी ? यदि हां,तो क्या केताराम की प्राथमिक रिपोर्ट थाना रकाबगंज में दिनांक 31-10-96 को डी० आई० जी० आगरा के आदेश पर दर्ज की गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । वादी श्री केतराम पुत्र फुन्दीराम जाटव निवासी महाराजपुर, थाना निबोहरा, आगरा का मुकदमा पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा के आदेशानुसार थाना रकाबगंज, जनपद आगरा पर अपराध संख्या–निल धारा–452/323/504/506–भा० दं० वि० के अन्तर्गत लाखन सिंह पुत्र

सुखराम निवासी रामनगर, थाना जगदीशपुरा, आगरा तथा राकेश सिंह पुत्र हुक्म सिंह निवासी 35/634 नौबस्ता थाना लोहामंडी, आगरा के विरुद्ध दिनांक 31-10-96 को पंजीकृत किया गया।

उक्त पंजीकृत मुकदमें की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति मूल थाना निबोहरा को दिनांक 1-11-96 को भेजी गई तथा थाना निबोहरा जनपद आगरा पर मुकदमा अपराध संख्या-97/96 अन्तर्गत धारा-452/323/504/506-भा० दं० वि० पंजीकृत करके विवेचना की गयी और दिनांक 29-11-96 को दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। दिनांक 16-11-96 को दोनों अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण करके अपनी जमानत करायी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

नवगठित जनपद कसया में जिला जज एवं दीवानी न्यायालयों का कार्य करने विषयक पत्र एवं कार्यवाही

66-श्री सूर्य प्रताप शाही-

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा नवगठित जनपद पडरौना के जिला जज एवं दीवानी न्यायालयों का कार्य कसया में प्रारम्भ कराने विषयक पत्र प्रमुख सचिव, न्याय को वि०/को०/एम० 1/7-81 देवरिया, 97 दिनांक 14-1-97 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था ? यदि हां,तो कसया में जिला जज एवं दीवानी न्यायालयों का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

पडरौना में भवन की उपलब्धता के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का अभिमत प्रतीक्षित है।

परगना मजिस्ट्रेट, भानपुर एवं परगना मजिस्ट्रेट खलीलाबाद जिला बस्ती द्वारा थानाध्यक्ष सोनहा एवं पुलिस अधीक्षक बस्ती को अवरोध हटवाने विषयक प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन

67-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा बाबूराम-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अन्तर्गत परगना मस्ट्रेट, भानपुर एवं परगना मस्ट्रेट, खलीलाबाद जिला बस्ती ने क्रमशः दिनांक 16-2-95 एवं 18-1-96 को कोई निर्णय पारित किया था तथा दिनांक 22-3-96 को थानाध्यक्ष, सोनहा एवं पुलिस अधीक्षक, बस्ती को अवरोध हटवाने हेतु कोई आदेश दिया था ? यदि हां, तो अवरोध को हटवाने में अब तक क्या कठिनाइयां आयी हैं ? क्या यह सत्य है कि ग्राम समाज भूमि पर अवैध कब्जा कर ग्राम के कुछ दबंग व्यक्तियों ने अवैध निर्माण कर लिया है ? यदि हां, तो अवैध निर्माण को कब तक गिरा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

अवरोध हटवाने से पूर्व सक्षम न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिनांक 24-5-97 को दिये गये। परिणाम स्वरूप अवरोध नहीं हटाया जा सकता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार यह सत्य नहीं है कि ग्राम समाज की भूमि पर कुछ दबंग व्यक्तियों ने कब्जा कर अवैध निर्माण करा लिया है, अपितु प्रकरण नाबदान को अवरुद्ध करके बहाव को रोकने वाले अवरोध से सम्बन्धित है। अवैध निर्माण सम्बन्धी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वर्तमान में इसका गिराया जाना सम्भव नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

कुमायूं/गढ़वाल कमिश्नरी में कोल्ड स्टोरेज की संख्या एवं निर्माण की तिथियों की जानकारी

68–श्री अजय भट्ट–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं/गढ़वाल कमिश्नरी में वर्तमान में कितने कोल्ड स्टोरेज है ? उनमें से कितने स्टोरेज उपयोग में आ रहे हैं ? यह कोल्ड स्टोरेज कब-कब निर्मित हुए ?

श्री आर० के० चौधरी–

केवल कुमायूं कमिश्नरी में सहकारी क्षेत्र का एक मात्र कोल्ड स्टोरेज काशीपुर, जनपद उधम सिंह नगर में स्थापित है ।

कोई नहीं ।

काशीपुर स्थित कोल्ड स्टोरेज वर्ष 1989 में यू० पी० स्टेट एग्रो से क्रम किया गया था ।

औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, चौबटिया, रानीकोत (अल्मोड़ा जनपद) में स्पेक्टोफोटो एनालाइजर का क्रय तथा उसके प्रयोजन की जानकारी

69–श्री अजय भट्ट–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा जनपद) में स्पेक्टोफोटो एनालाइजर (लीफ एनालाइजर) कब क्रय किया गया तथा उसका मूल्य एवं प्रयोजन क्या था ? क्या वह स्वदेश निर्मित था ? क्या उक्त उपकरण ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

एटोमिक एब्जोरशन स्पेक्ट्रोमीटर (टीश्यू एण्ड लीफ एनालाइजर) का क्रय वर्ष 1988-89 में किया गया था । इस उपकरण का मूल्य रु० 9,80,000 था । पौधों में पोषक तत्वों के स्तर का विश्लेषण करने के प्रयोजन से इसे क्रय किया गया था ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

इस उपकरण के उचित रूप से संचालन के लिए कांसटेन्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर की जरूरत होती है जिसकी स्वीकृति वर्ष 1991-92 में प्राप्त हो सकी । इस अवधि में लीफ एनालाइजर का निर्माण भारत में होने के कारण विदेशी एजेन्सी भारत में समाप्त कर दी गयी । फलतः प्रश्नगत उपकरण के लगाने तथा उसकी कार्य प्रणाली के प्रदर्शन का कार्य संबंधित फर्म द्वारा नहीं किया जा सका । प्रकरण की जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद नैनीताल में गागर नामक स्थान पर "सत्य आलू बीज" उत्पादन हेतु फार्म की स्थापना एवं कार्यरत लोक सेवक तथा बजट

70–श्री अजय भट्ट–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पर्वतीय क्षेत्र, चौबटिया (रानीखेत) द्वारा जनपद नैनीताल में गागर नामक स्थान पर "सत्य आलू बीज" उत्पादन हेतु किसी फार्म की स्थापना की गई है ? यदि हां, तो उक्त फार्म की स्थापना कब की गयी तथा उक्त प्रतिष्ठान में विभिन्न समूहों के लोक सेवक कार्यरत हैं ? फार्म की स्थापना के वर्ष से अब तक उसके प्रतिवर्ष कितना बजट दिया गया तथा उक्त फार्म में वर्षवार कितना आलू बोया गया तथा उत्पादन प्रतिवर्ष कितना हुआ ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

राजकीय आलू ब्रीडर बीज उत्पादन प्रक्षेत्र गागर की स्थापना वर्ष 1983-84 में की गयी थी वर्तमान में इस प्रक्षेत्र में विभिन्न समूहों के कुल 12 लोक सेवक कार्यरत हैं ।

सत्य बीज उत्पादन हेतु बजट का विवरण

वर्ष–1992-93 में	—	शून्य
वर्ष- 1993-94 में	—	शून्य
वर्ष–1994-95 में	—	रु० 2,22,000.00
वर्ष–1995-96 में	—	शून्य
वर्ष–1996-97 में	—	रु० 5,63,000.00
वर्ष- 1997-98 में	—	रु० 1,30,000.00
	योग	रु० 9,15,000.00

शेष वर्षों के लिए सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

सत्य आलू बीज बीज उत्पादन के अंतर्गत		सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत बोया गया	
1992-93	में 50 ग्राम सत्य बीज	1988-89–210	कुन्टल
		1989-90–234	कुन्टल
		1990-91–280	कुन्टल
		1991-92–196	कुन्टल
		1992-93–210	कुन्टल
1993-94	में 30 ग्राम सत्य बीज	1993-94–167.60	कुन्टल
,,	में 7.60 कुन्टल ट्यूबर लैट	1995-96–100	कुन्टल
		1996-97–110.40	कुन्टल
,,	में 0.67 कुन्टल पैरेन्ट लाइन	योग–1626.00	कुन्टल
1994-95	में 40 ग्राम सत्य बीज		
,,	में 7.67 कुन्टल ट्यूबर लैट		
,,	में 15.75 कुन्टल पैरेन्ट लाइन		
1995-96	में 90 ग्राम सत्य बीज		
,,	में 47.68 कुन्टल पैरेन्ट लाइन		

1996-97	में 225 ग्राम सत्य बीज
,,	में 2.60 कुन्टल
	ट्यूवर लैट
,,	में 32.42 कुन्टल
	पैरेन्ट लाइन

आलू सत्य बीज उत्पादन

1992-93 सत्य बीज ट्यूवर लेट
25.50 कुन्टल
1993-94 ,,
24.74 कुन्टल
आलू बीज
191.70 कुन्टल
पैरेन्टवलाइन्स
12.00 कुन्टल
हाईब्रीस सत्य बीज
1.230 किलोग्राम

सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत आधारित आलू बीज उत्पादन

1988-89–315.60 कुन्टल
1989-90–422.40 कुन्टल
1990-91–380.10 कुन्टल
1991-92–224.40 कुन्टल
1992-93–240.40 कुन्टल
1993-94–160.83 कुन्टल
1994-95–120.40 कुन्टल
1995-96–156.75 कुन्टल
1996-97–167.45 कुन्टल

योग– 2196.33 कुन्टल

आलू सत्य बीज उत्पादन

1994-95	सत्य बीज ट्यूवर लैस 4.01 कुन्टल
	आलू बीज 131.85 कुन्टल
	पैरेन्टल लाइन्स 93.69 कुन्टल
	हाईब्रीड सत्य बीज 2.821 किलो०
1995-96	सत्य बीज ट्यूबर लैड्स 7.97 कुन्टल
	पैरेन्टल लाइन्स 106.41 कुन्टल
	हाईब्रीड सत्य बीज 2.240 किलोग्राम
1996-97	सत्य बीज ट्यूवर लैड्स 15.00 कुन्टल
	आलू बीज 28.80 कुन्टल
	पैरेन्टल लाइन्स 126.07 कुन्टल
	हाईब्रीड सत्य बीज 3.875 किलोग्राम

साधन सहकारी समितियों के सचिव/कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भांति वेतन/पेंशन दिये जाने की मांग

71–श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समितियों के सचिव/कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भांति वेतन/पेंशन दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री आर० के० चौधरी–

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सस्ता न्याय सुलभ कराने हेतु इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेन्च पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने की मांग

72–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या न्याय मंत्री जनता को सस्ता न्याय सुलभ कराने के उद्देश्य से इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने की संस्तुति जसवन्त सिंह आयोग द्वारा की गयी थी । इस विषय में तत्कालीन प्रधान मंत्री महोदय के दिनांक 23-5-94 के पत्र का उत्तर तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदया द्वारा दिनांक 5-9-95 को प्रेषित करते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया गया था कि भारत सरकार स्वयं निर्णय लें । उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के संबंध में कोई भी निर्णय भारत सरकार को लेना है राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रस्ताव/अभिमत आदि भारत सरकार को प्रेषित किए जा चुके हैं एवं भारत सरकार का निर्णय प्रतीक्षित है ।

उद्यान विभाग फैजाबाद में कार्यरत दैनिक श्रमिकों का नियमितीकरण/स्थायीकरण किये जाने की मांग

73–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उद्यान विभाग फैजाबाद में विगत 15 वर्षों से कार्यरत दैनिक श्रमिक जो कमजोर एवं दलित तथा पिछड़े वर्ग के हैं, स्थान रिक्त होने पर भी उनका नियमितीकरण/स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन लोग जिम्मेदार हैं ? रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पद पर वरिष्ठता क्रम में पात्र व्यक्तियों का नियमितीकरण/स्थायीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

उद्यान विभाग में दैनिक श्रमिकों के नियमितीकरण/स्थायीकरण के लिए कोई प्राविधान नियमावली में नहीं है । अतः उनके नियमितीकरण/स्थायीकरण का प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में थाना कोतवाली मैनपुरी के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमें एवं कार्यवाही

74–श्री राम औतार शाक्य

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनपद मैनपुरी में थाना कोतवाली मैनपुरी के अन्तर्गत अपराध संख्या–397ए/97, 397बी/97, 397सी/97, 397डी/97, 397ई/97, 397एफ/97, 397जी/97 एवं 399/97 मुकदमें मई, 1997 में पंजीकृत हुये हैं ? यदि हां, तो उन मुकदमों में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

सुश्री मायावती–

जनपद मैनपुरी में थाना कोतवाली के अन्तर्गत अपराध संख्या–397ए/97, 397बी/97, 397सी/97, 397डी/97, 397ई/97, 397एफ/97, 397जी/97 एवं 397/97 तथा 399/97 पंजीकृत हुए ।

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' पीछे पृष्ठ 95 पर)

पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित लखनऊ पत्नी बाबादीन ग्राम-उत्तर-गांव थाना जगदीशपुर का कब्जा दिलाये जाने सम्बन्धी पत्र एवं कार्यवाही

75–श्री तेजभान सिंह

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को संबोधित लखनऊ पत्नी बाबादीन ग्राम-उत्तरगांव थाना जगदीशपुर का दिनांक 27-2-97 का प्रार्थना-पत्र जिसमें थानाध्यक्ष जगदीशपुर को आदेशित किया गया था और जिसमें अपनी डिग्री शुदा भूमि का कब्जा दिलाये जाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसको कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–
जी हां ।
जी हां ।
माह जुलाई, 1996 में ।
प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र के दुद्धी तहसील मुख्यालय पर एक अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायालय स्थापित किये जाने की मांग

76–श्री विजय सिंह–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के दुद्धी तहसील मुख्यालय पर एक अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायालय की स्थापना हेतु शासन से स्वीकृति एवं मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन हो जाने के बावजूद अभी तक स्थापित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या निकट भविष्य में उक्त दोनों न्यायालयों की स्थापना हो जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

इस संबंध में मा० मुख्य न्यायाधीश को संबोधित बार एसोसियेशन दुद्धी के प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी जिस पर मा० उच्च न्यायालय का अभिमत मांगा गया था । उक्त अभिमत प्रतीक्षित है ।

मा० उच्च न्यायालय का अभिमत/संस्तुति प्राप्त हो जाने पर ही शासन द्वारा इस पर विचार किया जा सकना सम्भव होगा ।

जनपद सोनभद्र की तहसील दुद्धी में भारतीय वन अधिनियम के मुकदमें की सुनवाई पूर्व की भांति किये जाने की व्यवस्था की मांग

77–श्री विजय सिंह–

क्या न्याय मंत्री को ज्ञात है कि जनपद सोनभद्र की तहसील दुद्धी में भारतीय वन अधिनियम 5/26 के मुकदमें मुंसिफ मजिस्ट्रेट दुद्धी द्वारा सुने जाते थे ? यदि हां, तो क्या अब यह मुकदमें मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सोनभद्र के यहां सुने जाने के कारण दुद्धी तहसील के किसानों व आदिवासियों को काफी दूर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनता की कठिनाई को देखते हुए पूर्व की भांति उक्त मुकदमें की सुनवाई दुद्धी में किये जाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

तहसील दुद्धी में थाना शक्तिनगर, अनपरा, बीजपुर, पीपरी, कोन तथा दुद्धी आते हैं । थाना शक्तिनगर, अनपरा तथा पिपरी यद्यपि दुद्धी के करीब है फिर भी यातायात की सुविधा को देखते हुए वादकारियों को दुद्धी की अपेक्षा राबर्ट्सगंज पहुंचना अधिक सुविधाजनक है । कार्य की अधिकता के कारण सम्भव नहीं है ।

सिविल जज (जू० डि०)/मजिस्ट्रेट दुद्धी के न्यायालय में 4000 से अधिक वाद लम्बित होने की वजह से प्रशासनिक नियंत्रण के आधार पर तहसील दुद्धी के भारतीय वन अधिनियम की धारा 5/26 के संस्थित होने वाले फौजदारी वादों को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सोनभद्र के न्यायालय में सुनवाई हेतु आदेश पारित किया गया है ।

थाना निचलौल में दर्ज दलित उत्पीड़न का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन

78–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि दलित उत्पीड़न का मुकदमा संख्या–3/97 थाना निचलौल, दिनांक 2-1-97 में घटना के 4 दिन बाद दर्ज करने एवं जांच अधिकारी द्वारा वादी उत्पीड़ित व्यक्तियों की बिना शिकायत सुने अपराधियों द्वारा 31-10-96 को सम्मानित किये जाने के उपकार स्वरूप मुकदमा समाप्त कर दिया गया ? क्या नियमों के अन्तर्गत जांचकर्ता के लापरवाही के कारण उनके ऊपर भी आरोप के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जायेगा ? क्या समाप्त मुकदमा पुनर्जीवित करके पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने की कार्यवाही होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । दिनांक 30-12-96 की घटना के संबंध में तहरीर क्षेत्राधिकारी को दी गयी । जिस पर क्षेत्राधिकारी द्वारा थानाध्यक्ष निचलौल को मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया, जिसके आधार पर दिनांक 2-1-97 को अभियोग पंजीकृत हुआ । यह सही नहीं है कि अपराधियों द्वारा दिनांक 30-10-96 को जांच कर्ता को सम्मानित किया अतएव उपकार स्वरूप मुकदमा समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जांचकर्ता द्वारा लापरवाही बरते जाने की बात सत्य नहीं है ।

अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है ।

न्यायालय के आदेश पर ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टाउन एरिया अमेठी जिला सुल्तानपुर में आलू उत्पादकों के लिये शीतगृह की व्यवस्था किये जाने की मांग

79–श्री रामहर्ष सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आलू भण्डारण शीतगृह टाउन एरिया अमेठी जिला सुल्तानपुर में प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ? यदि नहीं,तो क्यों ? सरकार उक्त एरिया के आलू उत्पादकों के साथ आलू के रख-रखाव हेतु क्या कार्यवाही करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

शीतगृह निर्माण के लिये कोई प्रस्ताव/प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

उक्त क्षेत्र में शीतगृह स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव/आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बदायूं के बबराला काण्ड की जांच अध्यक्ष राजस्व परिषद् से कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

अब मैं आगे की सूचनायें लेता हूं । (कांग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर (व्यवधान) ..... मुझे जितनी भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मैं उन सभी सूचनाओं की ग्राह्यता पर उन माननीय सदस्यों को सुनूंगा ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने आश्वासन दिया था कि बबराला काण्ड के संबंध में जांच संबंधी निर्देश आपने दिये, उसे मैं सुन लूंगा और दूसरा उसके बाद महामहिम राज्यपाल व मुख्य मंत्री के बीच जो अधिकारों का विवाद हुआ है, उसे सुन लूंगा । इसलिये मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि पिछले दिनों बबराला काण्ड के ऊपर जो चर्चा हुई थी और उस समय आपने आश्वासन दिया था सचिव स्तर से या प्रमुख सचिव स्तर से इसकी जांच करवा ली जाय परन्तु उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड से इसकी जांच करवा लेंगे । मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड से इसकी जांच करवा ली जाय परन्तु एक सप्ताह के अन्दर इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिये । आपने भी उस समय यह कहा था कि यह जांच आखिरी नहीं होगी अन्तरिम होगी और उसके बाद जो तथ्य उभरकर आयेंगे उसके अनुरूप कार्यवाही की जायेगी । इसलिये मान्यवर, आप इस संबंध में सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल जी बबराला काण्ड के ऊपर वृहस्पतिवार को चर्चा नहीं हुई थी बल्कि नियम–311के अन्तर्गत अपने जो सूचना दी थी, उसकी ग्राह्यता पर मैंने आपको सुना था । यह मैंने इसलिये स्पष्ट किया कि विधान सभा के जो हमारे अभिलेख हैं, वह दुरुस्त रहें ।

मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को सुझाव दिया था कि वह सचिव या प्रमुख सचिव स्तर से इसकी जांच करवा लें ? तो उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड से इसकी जांच करवा लेंगे । उस समय जब इस पर और विचार विमर्श हुआ तो उस समय मैंने यह भी कहा था कि अभी अध्याय समाप्त नहीं हुआ है और जो भी अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं, पहले उनकी जांच का सार तो इस विधान सभा में प्रस्तुत हो जाय ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, पहले आप यह तो निश्चित करवायें कि जांच किस ऐंजेन्सी से करवाई जा रही है ?

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं कि बबराला काण्ड वाले प्रकरण पर वह अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड से जांच करवा रहे हैं या फिर मैंने जो सुझाव दिया था, कि सचिव यां प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी से जांच करवा ली जाय, उसके अनुसार जांच करवा रहे हैं ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, जिलाधिकारी स्तर पर एक कमेटी बनाई गई थी, और इस पर जांच कार्यवाही हो रही थी ।

(व्यवधान)

मान्यवर, आपने जो निर्देश दिये हैं, सरकार उसी के अनुरूप जांच करायेगी ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी पर हम लोग नहीं मानेंगे । जो तय किया गया था कि अध्यक्ष,राजस्व परिषद् से जांच करायी जायेगी और उसकी रिपोर्ट अन्तरिम होगी वह फाइनल रिपोर्ट नहीं होगी अतः हमारी मांग है कि इसकी जांच अध्यक्ष, राजस्व परिषद् से ही करायी जाये ।

श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, इससे नीचे हम लोग मानने के लिये तैयार नहीं हैं । यह [x x x] बोल रहे हैं । इस तरह से सदन नहीं चलेगा । यह तथ्यों को छिपाना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप तो पुराने व्यक्ति हैं आपको यह नहीं कहना चाहिये कि इस तरह से सदन नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, न तो कोई चीज सरकार छिपाना चाहती है और न ही किसी को बचाना चाहती है । जो आपकी पीठ से निर्देश हुए हैं उसी के अनुरूप सरकार जांच करेगी ।

श्री धनीराम वर्मा–

यह अपनी बात से पीछे हट रहे हैं और माननीया मुख्य मंत्री जी भी उठकर चली गयी हैं । यह कह कर बदल रहे हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह एक गम्भीर मामला है और मैंने उस दिन भी आपसे कहा था । जब यह तय हुआ था कि यह कलेक्टर का मामला है कमिश्नर का मामला है, तो इसमें न मजिस्ट्रेट जांच कर पायेगा और न कलेक्टर जांच कर पायेगा । तो आपके कहने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अध्यक्ष, राजस्व परिषद् से इन्क्वायरी कराने की बात स्वीकार कर ली थी । हम लोग जज से इन्क्वायरी की बात कर रहे थे और यह भी कहा गया कि वह फाइनल रिपोर्ट नही होगी । फिर यह आज क्यों नहीं उसको स्वीकार कर रहे हैं ? जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने स्वीकार किया था कि अध्यक्ष, राजस्व परिषद् से जांच करायी जायेगी और एक सप्ताह के अन्दर उसकी रिपोर्ट सदन के अन्दर भी आयेगी उस पर वह अडिग रहें ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि जब यह प्रकरण आया था तो मैंने सचिव या प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी से जांच कराने का सुझाव दिया था । विचार-विमर्श के उपरान्त माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात पर सहमत हो गये थे कि अध्यक्ष, राजस्व परिषद से इसकी जांच करा ली जायेगी और एक सप्ताह के अन्दर उसकी रिपोर्ट सदन के अन्दर रखी जायेगी । यह अपनी बात से मुकर नहीं रहे हैं । अगर यह हटेंगे तो यह सदन है, अध्यक्ष पीठ के निर्देश हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं कह देता हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

अगर हट नहीं रहे हैं तो इसका निर्णय करा दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आपकी पीठ से जो निर्देश दिये गये हैं जिस स्तर के अधिकारी से कहेंगे उस स्तर के अधिकारी से जांच करा ली जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर (एडवोकेट)–

मान्यवर, आप निर्देशित करें कि अध्यक्ष, राजस्व परिषद् से इसकी जांच करवायें । उससे नीचे की जांच में हम सहमत नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहें और मुझे भी कुछ कहने का अवसर दें ।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, दो मिनट में कहना चाहूंगा । मेरा कहना है कि यह सदन नियमों से चलता है, परम्पराओं से चलता है और सदन कहीं विश्वास से चलता है । मान्यवर, उस दिन की कार्यवाही में, सभी ने सुना था, राजस्व परिषद के अध्यक्ष से जांच कराने में आपत्ति नहीं थी । आज कोई प्रकरण नहीं है । सरकार को गम्भीर होना चाहिये और सरकार का यह प्रयास होना चाहिये कि सदन चले, लेकिन सरकार की ओर से जानबूझकर यह कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से सदन न चले । सरकार बचना चाहती है,

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसको आगे न बढ़ायें आप अपनी पीठ से निर्देश दें कि राजस्व परिषद के अध्यक्ष से जांच कराकर एक सप्ताह के अन्दर बतायें ।

श्री अध्यक्ष–

दो बातें हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी.....

(व्यवधान)

आप लोग ही बोल लें और मैं अपने कक्ष में विश्राम करूं । सचिव या प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी से जांच करा लें और आपका कहना था कि यदि यह लोग चाहें तो अध्यक्ष राजस्व परिषद् से जांच करा ली जायेगी । आज इनकी सहमति राजस्व परिषद् के अध्यक्ष से जांच कराने की है । आपने एक बात कह दी और उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो मेरा पूरा विश्वास है, जो आपने अपने भाषण में बात कही थी, राजस्व परिषद् के अध्यक्ष से जांच कराने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो भी पीठ निर्देशित करेगी, सरकार उसका अक्षरशः पालन करेगी । आपने निर्देश दिया था, आपकी अनुमति होगी और सदन सहमत होगा, इन शब्दों का प्रयोग किया था । उस दिन जो स्थिति थी, न माननीय सदस्यगण सहमत थे और न आपकी पीठ से ही निर्देश आया । मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो निर्देश पीठ से आयेगा सरकार उसका अक्षरशः पालन करेगी । जो आपके निर्देश होंगे, उसके अनुसार जांच हो जायगी और उसके बाद यदि आवश्यकता हुई तो फिर जांच हो जायेगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षणनहीं नहीं किया ।

(विपक्ष के कई सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये और डा० वक़ार अहमद शाह सहित कई माननीय सदस्य वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को एक बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 12 बजकर 32 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक स्थगित कर दी।

एक बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 15 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।

1 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई।)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सदन को बता दें कि क्या हुआ ? आप बता दें या संसदीय कार्य मंत्री जी बता दें।

श्री बी० आर०. वर्मा–

मान्यवर, पिछले दिन भी मैंने कहा था कि अध्यक्ष पीठ से जो निर्देश हुआ है उसका अक्षरशः पालन सरकार करेगी। मैंने यह भी कहा था कि यदि आपकी अनुमति हो तो राजस्व परिषद् के अध्यक्ष से भी सरकार जांच कराने में नहीं हिचकेगी। सरकार किसी को बचाना नहीं चाहती है और न कुछ छिपाना चाहती है। जो दूध का दूध और पानी का पानी है वह साफ हो जाय। सरकार सच्चाई को छिपाना नहीं चाहती है और न किसी को बचाना चाहती है इसलिये आज भी हम इस राय के हैं और उस दिन जो कहा था कि अध्यक्ष पीठ का जो निर्देश होगा सरकार उसका अक्षरशः पालन करेगी।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सदन को इसलिये स्थगित किया था कि विधान सभा के अभिलेखों को निकाल कर मैं उनका अध्ययन कर लूं। यह बात सत्य है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उस दिन यह कहा था कि "आपकी अनुमति हो तो" मैंने कार्यवाही निकाल कर देखा। उसमें "आपकी अनुमति हो तो" शब्द है। अब लगता है कि किसी औपचारिकता वश कुछ भ्रम रह गया। आज स्थिति स्पष्ट हो गई है। आपने अनुमति मांगी है, अनुमति मैं दे रहा हूं कि आप राजस्व परिषद् के अध्यक्ष से इस कांड की जांच करायें। (मेजों की थपथपाहट)।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, शिरोधार्य है।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, हम लोगों ने समय की बात उठाई थी।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय संवेदनशील है, जांच अच्छी तरह से हो, विस्तार से हो इसकी अपेक्षा हमको, आपको, सब लोगों को है। इस सदन का जो अभी तक का कार्यक्रम स्वीकृत हुआ है वह 12 अगस्त तक का है। 7–8–9–10 अगस्त को सदन की बैठक नहीं है। 4 दिन के अवकाश का लाभ भी मिल जाय इसलिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं अपेक्षा करुंगा कि सदन को इस जांच की प्रगति से अवश्य अवगत करा दें और इस सत्र में अवगत करा दें। अब मैं इस प्रकरण को समाप्त कर रहा हूं।

विभिन्न सूचनाओं के संबंध में जानकारी

श्री अध्यक्ष–

मेरे सामने नियम 311 की कई सूचनायें हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूचनायें हैं । मैं ग्राह्यता पर सबको सुनूंगा । एक बात के बारे में आपका मार्गदर्शन मैं जरूर चाहूंगा । निधन के निर्देश आज कुछ हैं, निधन के निर्देश पहले ले लूं या सूचनायें पहले ले लूं ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

पहले निधन के निर्देश ले लें ।

महामहिम उपराष्ट्रपति श्री के० आर० नारायणन के भारत के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने पर बधाई का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

इसके साथ ही साथ एक और प्रस्ताव है । भारत के सर्वोच्च पद पर एक निर्वाचन हुआ है । उस संबंध में माननीय श्री तिवारी जी ने निवेदन किया था । माननीया मुख्य मंत्री जी सहमत हैं, मा० नेता विरोधी दल सहमत हैं कि एक बधाई का प्रस्ताव अपने होने वाले नव निर्वाचित राष्ट्रपति के लिये करें ।

कुं० रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, पहले शपथ का कार्य हो जाने दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बधाई का प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीया मुख्य मंत्री जी की ओर से यह प्रस्ताव आ रहा है ।

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं ।

"यह सदन महामहिम उप राष्ट्रपति श्री के० आर० नारायणन के राष्ट्र के महामहिम राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देता है एवं शुभकामनायें अर्पित करता है और आशा करता है कि उनके यशस्वी मार्ग निर्देशन में राष्ट्र सुखी एवं समृद्धिशाली होगा और भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा । यह हर्ष का विषय है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति प्रथम बार भारत का प्रथम नागरिक के रूप में देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ है ।"

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन् बड़े हर्ष की बात है कि हमारी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बी०एस०पी० और भा०ज०पा० सब लोगों ने मिलकर महामहिम उप राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति पद के लिये चुना है । सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि आज भारत में एक दलित वर्ग का एक व्यक्ति महामहिम राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुआ है जिसने महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया है । जैसा कि वह चाहते थे कि इस देश में जब राष्ट्रपति के पद पर कोई दलित वर्ग का व्यक्ति आसीन होगा तो उन्हें प्रसन्नता होगी । मैं इस संदर्भ में अगली कड़ी में कहना चाहता हूं कि मेरी शुभ कामनायें हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि महामहिम राष्ट्रपति जी को ऐसी शक्ति दें कि उनके नेतृत्व में हमारा देश बड़ा समृद्धशाली हो और साथ ही साथ हमारे देश को आगे बढ़ने का विशेष अवसर प्राप्त हो । इन्हीं शब्दों के साथ अपनी शुभकामनायें अर्पित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्ताव का समर्थन भी तो कर रहे हैं ।

श्री हरीश चन्द्र "हरीश जी"–

श्री के० आर० नारायणन जी के महामहिम राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने से हम सब प्रसन्न हैं और मैं समझता हूं कि इस देश की संस्कृति और संविधान की मान्यताओं की पूर्ति हुई है। संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग, वर्ण, जाति, सम्प्रदाय अथवा लिंग का हो उसे इस देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने की सुविधा है। आज इस मान्यता की पूर्ति हुई है। देश के उन लोगों को जिन्हें लगता था कि मैं इस स्थान पर पहुंच सकूंगा कि नहीं उनके मन की शंका निर्मूल हुई है। यह पूरा सदन इससे प्रसन्न है और इस प्रस्ताव का हम तहेदिल से समर्थन करते हैं तथा महामहिम पद पर निर्वाचित होने के लिये उनको बधाई देते हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह गौरवशाली क्षण है जब यह सम्मानित सदन भारत के प्रथम नागरिक के रूप म निर्वाचित होने पर महामहिम राष्ट्रपति श्री के० आर० नारायणन को बधाई दे रहा है। मान्यवर, बधाई मैं सिर्फ इसलिए उनको नहीं देता हूं कि वह इस पद पर आसीन हुए हैं बधाई मैं उनको इसलिए देना चाहता हूं कि वह इस पद पर सर्वथा योग्य भी थे। उन्होंने एक विद्वान राजनयिक के रूप में एक विद्वान भारतीय विदेश सेवा अधिकारी के रूप में देश की अतुलनीय अविस्मरणीय सेवा की। श्री के० आर० नारायणन जी के सर्वोच्च पद पर आसीन होने से गांधी जी का सपना पूरा हुआ वहीं गरीब तबके के व्यक्ति को वहां पहुंचने का अवसर मिला है यह गर्व का विषय है मैं उनको बधाई ही नहीं देना चाहता हूं अपितु शुभकामनायें भी अर्पित करना चाहता हूं कि उनका नेतृत्व मजबूत हो। उनके नेतृत्व में भारत मजबूत बने उनके नेतृत्व में भारत की अखण्डता बनी रहे। भारत विश्व की महाशक्ति के रूप में उभर कर आये।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं श्री के० आर० नारायणन जो उपराष्ट्रपति थे उनका चुनाव राष्ट्रपति के पद पर हुआ वह भारी मतों से जीते मैं उन्हें अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से बधाई देना चाहता हूं। मुबारकवाद देना चाहता हूं। इससे यह साबित होता है कि एक गरीब आदमी जो सपना देखता है देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने का वह साकार होता है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही प्रसन्नता के क्षण हैं जब यह सदन राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित महामहिम उप राष्ट्रपति श्री के० आर० नारायणन को बधाई देने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। मैं अपने दल की तरफ से महामहिम उप राष्ट्रपति श्री के० आर० नारायणन के प्रति शुभकामनायें व्यक्त करता हूं। जैसा कि हमारे विद्वान साथियों ने इस निर्वाचन पर अपने विचार रखे। इसमें दो राय नहीं है कि इस देश को स्वाधीनता और स्वराज्य दिलाने वाले पूज्य बापू ने यह सपना देखा था और विचार व्यक्त किया था कि इस देश के अन्दर सचमुच स्वराज तब फलीभूत होगा जब हिन्दुस्तान के सर्वोच्च पद पर दलित परिवार का व्यक्ति पदासीन होगा। श्री बी० पी० सिंह ने भी इसका प्रयास किया था कि देश के सर्वोच्च पद पर दलित व्यक्ति आसीन हो। देश के सर्वोच्च पद पर श्री के० आर० नारायणन का निर्वाचन किया गया है। मैं अपनी तरफ से तथा अपने दल की तरफ से जो प्रस्ताव बधाई से संबंधित आया है उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। ऐसे यशस्वी, तेजस्वी राष्ट्रपति के नेतृत्व में निश्चित ही न केवल इस देश का विकास होगा बल्कि यह देश आने वाले दिनों में दुनिया के पैमाने पर एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा।

• श्री रामजग–

–मान्यवर, दलित परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति श्री के० आर० नारायणन राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए इसके लिए पूरा राष्ट्र खुशी मना रहा है हमें इस बात की विशेष खुशी है कि हमारे वामपन्थी मोर्चा, संघ मोर्चा और दूसरे दलों के समर्थन से उन्हें इतने मत मिले कि दूसरे देशों का सब रिकार्ड टूट गया । मुझे उम्मीद है देश की अखंडता और एकता कायम करने में राष्ट्रपति महोदय की ख्याति अर्न्तराष्ट्रीय जगत में बढ़ेगी ।..

अन्त में मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की तरफ से राष्ट्रपति जी को शुभ कामनायें प्रेषित करता हूं और प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, नेता सदन ने जो प्रस्ताव महामहिम राष्ट्रपति श्री के० आर० नारायणन के निर्वाचित होने पर प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । श्रीमन्, अब तक इस पद पर शिक्षाविद्, लेखक और राजनेता कें रूप में अनेक महान व्यक्ति बैठे हैं लेकिन इस बार हमें गर्व है कि इस पद पर ऐसे व्यक्ति ने स्थान पाया है जो सुयोग्य हैं, सरकारी सेवाओं में उन्हें बहुत अवसर मिले हैं और अपने अध्ययन एवं लगन से आज इस स्थिति में आकर उन्होंने गौरवमय पद प्राप्त किया है । वह नीचे से उठकर इस सर्वोच्च पद पर आज आयें हैं । इसलिये देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और हमें आशा है कि देश के विकास में इनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा । इस शुभकामना के साथ मैं उन्हें बधाई देता हूं । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव नेता सदन ने प्रस्तुत किया है और जिसका समर्थन माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दल के माननीय नेताओं ने किया है उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हनुमान प्रसाद कुरील, श्री राम समुझ तिवारी, श्री हरीश भारती, श्री बैजूराम, श्री महन्थ दीप नारायण बन तथा श्री गंजी प्रसाद के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अत्यन्त दुख के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि इस सदन के 6 भूतपूर्व सदस्य हमारे बीच में नहीं रहे हैं । इनमें से कई सदस्य ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था । कई नेता ऐसे थे जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए देश और प्रदेश की सेवा की, ऐसे लोग आज हमारे बीच से उठ गये हैं लेकिन उन्होंने जो अच्छे कार्य किये हैं जिनके कारण वे हमेशा याद किये जाते रहेंगे ।

श्रीमन्, भूतपूर्व सदस्य श्री हनुमान प्रसाद कुरील जी का निधन 14 मई, 1996 को हो गया । इनका जन्म 1927 में कानपुर नगर में हुआ था । उन्हें हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी का ज्ञान था । वे वर्ष 1985 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र बिल्हौर जिला कानपुर देहात से कांग्रेस (आई०) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । उनकी राजनीति में विशेष रुचि थी । उनके निधन से जनपद कानपुर के एक कुशल राजनीतिज्ञ को खो दिया है । कृपया उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारे दल व सदन की शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य श्री राम समुझ तिवारी का निधन 22 सितम्बर, 1996 को हो गया । वे लगभग 80 वर्ष के थे । उनका जन्म 1 जून, 1916 को सिद्धार्थनगर में हुआ था । वह 1974 में इस

• वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

सदन के सदस्य रहे थे। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और सहकारी संस्थाओं से जुड़े थे। मान्यवर, उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारे दल व सदन की शोक संवेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य श्री हफीज भारती का निधन 31 अक्टूबर, 1996 को आजमगढ़ में हुआ था। वह 1985 में इस सदन के सदस्य चुने गये थे। स्व० भारती जीवन पर्यन्त दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के हित के लिये संघर्ष करते रहे थे। मान्यवर उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी शोक-संवेदनायें आप पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य श्री बैजूराम का निधन 7 फरवरी, 1997 को हो गया। वे 92 वर्ष के थे। उनका जन्म 1905 में जनपद सीतापुर में हुआ था। वह वर्ष 1952, 1957 तथा 1962 में इस सदन के सदस्य रहे थे। स्व० बैजूराम एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वह आज हमारे बीच नहीं हैं। मान्यवर, उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी व हमारे दल की शोक-संवेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें।

श्री महन्थ दीप नारायण का निधन 9 मई 1997 को गोण्डा में अपने आवास में आत्महत्या करने से हो गया। उनका जन्म 1932 में हुआ था। वह वर्ष 1969 वर्ष 1974 तथा 1980 में इस सदन के सदस्य रहे थे। वह लोक सभा के भी सदस्य रहे। वह सदा साम्प्रदायिक एकता के पक्षधर रहे। कृपया उनके शोक-संतप्त परिवार तक हमारे दल तथा सदन की संवेदना पहुंचाने की कृपा करें। भूतपूर्व सदस्य श्री गंजी प्रसाद का निधन एक जून, 1997 को हो गया इनका जन्म 1924 को हुआ था वह 1974, 1977 तथा 1989 में इस सदन के सदस्य रहे वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके निधन से जनपद चंदौली ने एक महान् राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके शोक-संतप्त परिवार तक हमारे दल की ओर से तथा सदन की ओर से शोक-संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

हमारे बीच जो 6 भूतपूर्व सदस्य नहीं रहे वह कभी इस विधान सभा में प्रदेश व क्षेत्र की समस्याओं और खुशहाली के लिये अपनी बात मजबूती से रखते थे आज वह हमारे बीच नहीं हैं। यह सही है कि इस संसार के प्राणी मरणशील हैं जो आया है वह कभी न कभी जाएगा लेकिन दुख तब होता है और ऐसे व्यक्तियों के लिये होता हैं जिन्होंने समाज की महान सेवा की। एक कमी जो उनके स्वर्गीय हो जाने के कारण होती है उसकी भरपाई के लिये दूसरे अन्य साथियों से अतिशीघ्र होने की आशा नहीं होती है और होती भी है तो समाज और प्रदेश को एक पीड़ा होती है और साथ ही साथ ऐसा गम ऐसे व्यक्तियों को होता है जिनके बीच से वह सदस्य विदा होता है। श्रीमन् हमारे सभी 6 सदस्य इस माननीय सदन के सदस्य थे और हमारे बीच में बैठकर प्रदेश और क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहे। अपने क्षेत्र में विद्यालयों को खोलकर, सहकारी आन्दोलन में भाग लेकर और अनेक सामाजिक क्रिया कलापों में भाग लेकर जिन्होंने समाज, देश और प्रदेश की बड़ी सेवा की।

आज वह हमारे बीच नहीं है इसलिये उनके सन्निकट रहने वाले और हम सभी बहुत दुखी हैं और अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। इसी संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वह सदस्य हमारे बीच नहीं हैं लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने समाज की जो सेवा की है, उन्होंने जो अपना एक रास्ता बनाया था वह छोड़कर चले गये हैं। उनके नैतिक मूल्य जिन पर वह चलते थे आज भी हमारे सामने हैं तथा समाज के सामने हैं। उन सब पर हम लोग चलकर निश्चित तौर पर प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में कार्य करेंगे। इतना ही नहीं जो सदस्य आज हमारे बीच नहीं हैं उनमें से कई सदस्य ऐसे भी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देश को आजाद कराने में हिस्सा लिया। हम सब लोगों को इस विधान सभा में बैठने के लिये एक रास्ता बनाया अगर उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा न लिया होता तो आज हम सब इस विधान सभा में यहां पर न बैठे होते। मान्यवर, मैं और मेरा दल इन सभी 6 सदस्यों के प्रति शोक-संवेदना अर्पित कर रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरा और मेरे दल की संवेदनायें उन सभी के परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री हरीश चन्द्र (हरीश जी)–

मान्यवर, श्री हनुमान प्रसाद जी कुरील, श्री राम समुझ तिवारी, श्री हफीज भारती, श्री बैजूराम, श्री महन्थ दीप नारायण बन, श्री गंजी प्रसाद, ये सभी इस सदन के सम्मानित सदस्य थे और इनका इस संसार से बिछड़ जाने के कारण निश्चित रूप से हमने बहुत कुछ खोया है । श्री राम समुझ तिवारी जी, बैजू राम जी और श्री गंजी प्रसाद जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । श्री महन्थ दीप नरायण जी और श्री बैजू राम जी 3 बार इस सदन के सदस्य रह चुके हैं । श्री राम समुझ तिवारी जी का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान था, वह धरती से जुड़े हुए थे और सहकारिता क्षेत्र में भी अग्रणी रूप से भाग लिया था । इसी के साथ हफीज भारती साहब मुबारकपुर टाऊन एरिया के 3 वर्षों तक लगातार अध्यक्ष थे और उनकी सेवाओं को आज तक उस क्षेत्र के लोग याद करते हैं । इन सभी दिवंगत 6 माननीय सदस्यों के प्रति मैं अपनी ओर से और अपने दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से संवेदना प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इनके शोक-संतप्त परिवार तक हमारी और हमारे दल की संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद कुरील, श्री राम समुझ तिवारी, श्री हफीज भारती, श्री महथ दीप नारायण बन, श्री गंजी प्रसाद जी और श्री बैजूराम जी, भूतपूर्व माननीय सदस्यों के प्रति जो श्रद्धांजलि के शब्द माननीया नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने-आपको और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । इन सभी महानुभावों ने अपने कार्यकाल में क्षेत्र की ओर समाज की सेवा की है और उनकी सेवायें अनुकरणीय हैं । विशेष रूप से मैं बन साहब का जिक्र करना चाहूंगा, वे इस सदन के सदस्य थे, लोक सभा के सदस्य थे, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े थे । इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा और मेरे दल की शोक-संवेदनायें इन सभी पूर्व माननीय सदस्यों के परिवार तक भिजवाने का कष्ट करें ।

* श्री कौकव हमीद–

मान्यवर, अभी जिन 6 दिवंगत माननीय सदस्यों का जिक्र आया, जो इस विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं वे आज हमारे बीच में नहीं है, जिनकी कमी उनके परिवार वाले और इलाके वाले भी महसूस कर रहे हैं । मैं आपसे उनके परिवार तक अपनी व अपने दल की शोक-संवेदनायें भिजवाने की गुजारिश करता हूं ।

श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री हनुमान प्रसाद कुरील, श्री राम समुझ तिवारी, श्री हफीज भारती, श्री बैजूराम, श्री महन्थ दीप नारायण बन और श्री गंजी प्रसाद जी आज हमारे बीच में नहीं हैं । उनके निधन पर माननीया नेता सदन, आदरणीय नेता विपक्ष और नेता कांग्रेस पार्टी के व्यक्त विचारों से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए जनता दल की ओर से और अपनी तरफ से शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि यह संवेदना के भाव उनके परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राम जग–

मान्यवर, हमारे इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री हनुमान प्रसाद कुरील, श्री राम समुझ तिवारी, श्री हफीज भारती, श्री बैजूराम, श्री महन्थ दीप नारायण बन और श्री गंजी प्रसाद जी के निधन पर माननीया नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता भाजपा माननीय नेता कांग्रेस आई,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय नेता किसान कामगार पार्टी और माननीय नेता जनता दल ने जो अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, जो 6 भूतपूर्व विधायकों के निधन हुए इसमें हमारे कुछ साथी ऐसे थे जिन्होंने आजादी के आन्दोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी, उनकी सेवाएं हमेशा याद की जायेंगी। इस सदन के भूतपूर्व जिन 6 विधायकों का निधन हुआ है उनके विधन से अपूर्णीय क्षति हुई है, उनकी सेवाओं को यह समाज हमेशा याद करेगा। उनके निधन से इस प्रदेश के गरीबों, दलितों का हितैषी हमेशा के लिये हमारे बीच से उठ गया है। मैं निवेदन करता हूं कि मेरी तरफ से और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से मेरी जो संवेदनाएं हैं उनके परिवार तक भेजने की कृपा करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विपक्ष, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि नेताओं ने जो विचार शोक-संतप्त परिवारों को श्रद्धांजलि के रूप में प्रकट किये हैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सदन के पूर्व सदस्य जिनका निधन हुआ है श्री हनुमान प्रसाद कुरील जी, श्री राम समुझ तिवारी जी, श्री हफीज भारती जी, श्री बैजूराम जी, श्री महन्थ दीप नारायण बन जी और श्री गंजी प्रसाद जी इन सबने हमारे प्रदेश की सेवा अपने राजनीतिक जीवन में, अपने राजनीतिक विचारों से और सामाजिक क्षेत्र में अपने सामाजिक विचारों से, प्रदेश को आर्थिक समायोजन में अपने इन विचारों से जो हमारे प्रदेश की सेवा की है वह हमेशा याद की जाती रहेगी और उनके विचारों से जो हम लोग लाभान्वित हुए थे, वह आज नहीं हैं उसका हमें खेद है।

मेरी ओर से व हमारे दल की ओर से उन शोक-संतप्त परिवारों को शोक-संवेदनाएं भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

इस सदन के 6 पूर्व सदस्यों का निधन हो गया है। हम आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इनमें से कुछ माननीय सदस्य ऐसे थे, जो पुरानी पीढ़ी से जुड़े थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। कुछ ने किसान आन्दोलन और सहकारिता आन्दोलन से अपने को सम्बद्ध किया था। किसी ने साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष प्रारम्भ किया और किसी ने इस सदन की सेवा के साथ-साथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, श्रमिक आदि क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान दिया। मैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय दूसरे दल के नेताओं ने दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी जिन भावनाओं को व्यक्त किया है, उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। इस सदन के द्वारा जो शोक-संवेदनायें व्यक्त की गई हैं, उसको उनके परिवार तक पहुंचाऊंगा। मेरा निवेदन है कि हम सब दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये खड़े होकर दो मिनट का मौन रखें।

(सभी माननीय सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए)

[illegible]

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री हरिकृष्ण शास्त्री जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका निधन 17 जून, 1997 को हो गया। इनका जन्म 21 फरवरी, 1938 को इलाहाबाद में हुआ था। यह 1967, 1980 तथा 1985 में लोक सभा के सदस्य रहे। स्वर्गीय शास्त्री जी केन्द्र में मंत्री रहे वह राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड, काफी बोर्ड, डाक तार बोर्ड, राष्ट्रीय स्टेडियम समिति, अखिल भारतीय खेल परिषद् के सदस्य भी रहे। वह कृषक भारतीय कोआपरेटिव लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे। इनके निधन से देश ने एक कुशल प्रशासक को खो दिया।

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि कृपया इनके शोक-संतप्त परिवार तक हमारे दल व सदन की शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन् योग्य पिता के योग्य पुत्र स्वर्गीय हरिकृष्ण जी शास्त्री अल्पायु में ही हमसे विदा लेकर चले गये। इनके संबंध में जो शोक-संवेदना हमारी नेता सदन ने प्रकट की हैं, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए आगे की कड़ी में कहना चाहता हूं। स्वर्गीय शास्त्री जी भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री और अनेक मुख्य पदों पर रहकर इस देश और समाज की बहुत बड़ी सेवा करके हमसे विदा ले गये। अगर वह समाजसेवी नहीं थे, देश को आगे बढ़ाने में उनका हाथ नहीं था तो तीन बार वह लोक सभा के सदस्य चुने ही नहीं जाते। श्रीमन् उन्होंने बड़ी ईमानदारी, दृढ़ता और सतर्कता के साथ, जिस पद पर भी वह रहे हैं, कार्य किया। हमारे समाज और देश के लिये एक ऐसा रास्ता छोड़कर चले गये हैं, अगर उस रास्ते पर हमारे देश के समाजसेवी और राजनेता चलेंगे तो निश्चित तौर से हमारा समाज और देश समृद्धशाली होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी और से और मेरे दल की ओर से जो ये संवेदना के भाव प्रकट किये गये हैं, उन्हें आप शास्त्री जी के परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री हरीश चन्द्र (हरीश जी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन व नेता विरोधी दल के श्री हरिकृष्ण शास्त्री जी के निधन पर जो संवेदना के भाव प्रकट किये हैं, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। स्व० हरिकृष्ण शास्त्री जी पूर्व प्रधान मंत्री हुतात्मा स्व० लाल बहादुर शास्त्री जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्होंने भी सार्वजनिक क्षेत्र में जनता की सेवा की, जिस कारण वह लगातार तीन बार लोक सभा के लिये चुने गये। कांग्रेस संसदीय दल के अनेक पदों पर रहकर उन्होंने दल की अच्छी सेवा की और राष्ट्रीय स्तर के अनेक बोर्डों और उच्च पदों पर रहकर अपना योगदान दिया। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। हम सबकी शोक-संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री हरिकृष्ण शास्त्री जी के निधन पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो भाव यहां पर प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री हरिकृष्ण शास्त्री जी, इस देश को "जय जवान जय किसान" का नारा देने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्व० श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिस तरह से विपन्नता के दिन गुजारे, इन सबके बावजूद भी श्री हरिकृष्ण शास्त्री जी ने, जो हमारे बीच हरि भाई के नाम से जाने जाते थे, अपनी क्षमता व योग्यता से शिक्षा पूरी की थी और तकनीकी ज्ञान हासिल करके वह आये परन्तु लाल बहादुर शास्त्री जी के असमय निधन हो जाने के कारण उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिये उन्हें सक्रिय राजनीति में प्रवेश करना पड़ा। वह क्षमतावान थे।

जिस पद पर भी वह रहे चाहे वह संसदीय सचिव के रूप में रहे हों, चाहे वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपमंत्री रहे हों, संयुक्त मंत्री रहे हों, अपनी पूरी शक्ति के साथ उन्होंने पार्टी को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया। विशेष रूप से जब उन्हें स्वर्गीय राजीव गांधी जी के मंत्रिमण्डल में कृषि राज्यमंत्री जी के रूप में कार्य करने का अवसर मिला तो उन्होंने हरित क्रान्ति के माध्यम से इस धरती पर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया और उनके समय में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये, जिसके कारण आज हमारा देश उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उनकी सेवाओं को विस्तार देने के लिये पिछली कांग्रेस सरकार ने उन्हें कृषकों का उपाध्यक्ष भी बनाया था। वह हमेशा किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों के लिये संघर्ष करते रहे। मैं अपनी ओर से अपने दल की ओर से अपने इस अनन्य साथी

की अन्तिम विदाई पर शोक-संवेदना प्रकट करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे संवेदना के ये भाव उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री कौकब हमीद–

श्री हरिकृष्ण शास्त्री स्व० लाल बहादुर शास्त्री जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और एक उमदा दोस्त भी थे। उनके निधन से जो कमी उनके परिवार में और उनकी पार्टी में हुई है वही उनके दोस्तों को भी उनकी कमी खली है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की तरफ से गुजारिश करूंगा कि हमारी और हमारे दल की शोक-संवेदनाएं उनके शोक संतप्त-परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री हरिकृष्ण शास्त्री के निधन पर मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जैसा कि माननीय नेता, सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनके विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी तथा हमारे दल की शोक-संवेदनाएं उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राम जग–

मान्यवर, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री हरिकृष्ण शास्त्री जी, जो कि तीन बार सांसद रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, के निधन से अपूर्णनीय क्षति हुई हैं। उन्होंने विभिन्न पदों पर रहकर सेवाएं की जिससे राष्ट्र का निर्माण हुआ। आज माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य नेताओं ने जो उदगार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप कृपया उनके शोक-संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष तथा नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य नेताओं ने जो विचार श्री हरिकृष्ण शास्त्री जी के निधन पर व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री शास्त्री जी ने अपने जीवन में इलाहाबाद लोक सभा से प्रतिनिधि के रूप में तथा मंत्रिपरिषद् में मंत्री के रूप में जो सेवाएं की है उसे सदैव याद रखा जायेगा। उनके निधन से पूरे देश को क्षति हुई है। हमारी तथा हमारे दल की शोक-संवेदनाएं उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

मात्र 59 वर्ष की आयु में श्री हरिकृष्ण शास्त्री जी का निधन हो गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व० लाल बहादुर शास्त्री जी के वे ज्येष्ठ पुत्र थे। मेरी उनसे चार-पांच बार की मुलाकात है। सबसे पहले मेरा उनसे परिचय तब हुआ जब वह 1967 में लोक सभा के लिये इलाहाबाद से लड़ रहे थे। एक बहुत सरल व्यक्तित्व था उनका, इस आयु में जब उनके अनुभवों की आवश्यकता थी, तब ईश्वर ने उन्हें उठा लिया हमारे बीच से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संयुक्त सचिव, केन्द्र में राज्य मंत्री के रूप में और विभिन्न निगमों से सम्बद्ध अनेक पदों पर आसीन रहकर जनता की सेवा की है। उनके निधन से हमने एक कुशल नेता खो दिया है। माननीय नेता सदन माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने जो उदगार उनके प्रति व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। उन सभी की भावनाओं को शोकाकुल परिवार को पहुंचा दूंगा। हम सब 2 मिनट मौन होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मामला है।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत ....

श्री राजेन्द्र यादव–

मैं अपने दल का अकेला विधायक हूं, लेकिन शोक संवेदनायें व्यक्त करने के लिये मुझे मौका नहीं दिया गया, यह मेरी शिकायत है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी भावनाओं से अवगत करा दिया जायेगा।

नियम 311 के अन्तर्गत, 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) द्वारा अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग कर रहे किसानों पर फायरिंग तथा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में है और इस सूचना को दिया है माननीय प्रमोद कुमार, माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल, माननीय फतेह बहादुर सिंह, श्री अमर मणि, श्री राम आसरे पासवान, श्री जगदम्बिका पाल, श्री हरि शंकर तिवारी, सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री विनय कुमार पान्डेय, श्री सतीश शर्मा और श्रीमती गौरी देवी ने इसके साथ ही साथ माननीय श्री शिव प्रताप शुक्ल ने भी इस समस्या पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये पत्र दिया है। माननीय नेता विरोधी दल भी कुछ कहना चाहते थे।

नेता, विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

एक परम्परा रही है। नियम 311 की एक सूचना के बारे में अवगत कराया गया है। तो अन्य सूचनाओं के बारे में भी अवगत करा दिया जाये। तब मैं राय दूंगा कि कौन पहले लें ?

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री धनीराम वर्मा जी, डा० अशोक बाजपेयी, श्री अवधेश प्रसाद, श्री अम्बिका चौधरी, श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री वकार अहमद शाह, श्री उदय राज यादव और कुंवर रेवती रमण सिंह की विधान सभा का सत्र आहूत किये जाने की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् सरकार द्वारा 5 अध्यादेशों के प्रख्यापन का प्रस्ताव राज्यपाल महोदय को भेजे जाने तथा श्री राज्यपाल द्वारा उसे अस्वीकार कर दिये जाने के फलस्वरूप उनके प्रमुख सचिव के स्थानान्तरण के बारे में है।

तीसरी सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी और श्री सतीश शर्मा की डा० अम्बेडकर उद्यान एवं संकुल योजना के निर्माण पर असंवैधानिक रूप से किये जा रहे व्यय के बारे में है।

चौथी सूचना श्री कौकब हमीद की ईद-मिलाद-उन-नबी के अवसर पर पुराने लखनऊ शहर में जुलूस-ए-मोहम्मदी पर अनावश्यक पाबंदी लगा दिये जाने के बारे में है। अब मैं पहली सूचना लेता हूं।

श्री धर्नीराम वर्मा–

मान्यवर, एक राय और है..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जिस क्रम में सूचना आई है उसी क्रम में सूची में रखी जाती है।

श्री धनीराम वर्मा–

मैं कह रहा था, सर्वप्रथम जब विधान सभा का कार्य प्रारम्भ होता है उस समय जो सूचना दी जाती है, जो नियम 56 में ग्राह्य की जाती है उसको भी 311 में जोड़ते हुए लिया जाता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना कार्य-स्थगन की है वह क्रम संख्या 12 पर है। जब वह मद आयेगी उस समय सुनूंगा।

श्री अमर मणि–

बृहस्पतिवार को जब यह मामला हमने उठाया था आपने कहा था "गीडा" पर हम सुनेंगे।

* श्री जगदम्बिका पाल–

हम चाहते हैं जैसे सदन में बबराला पर सब एक मत थे उसी तरह गीडा पर भी हैं।

श्री अध्यक्ष–

उनकी तरफ से कोई व्यवधान नहीं है। (व्यवधान) माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी कुछ सुझाव दे रहे हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीया गौरी देवी कई दिन से यह प्रश्न उठाना चाहती थी क्योंकि यह उनके क्षेत्र का मामला है, गीडा उन्हीं के क्षेत्र में आता है। नियम 56 में भी दिया है उसे भी इसमें स्वीकार कर लें। माननीया गौरी देवी जी का मामला भी उसी 311 में स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

आपने शायद सुना नहीं सतीश शर्मा जी के बाद मैंने इन्हीं का नाम पुकारा था।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, हमें मौका दिया जाय। पहले हमें सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं गीडा के बारे में ही ले रहा हूं। (व्यवधान) माननीय अमर मणि जी आपकी अनुमति हो तो पहले उन्हीं को सुन लूं।

श्री अमर मणि–

सूचना तो मान्यवर, हमारी है उस दिन भी आपने कहा था सुनेंगे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वह एक दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगी, माननीया गौरी देवी को पहले सुन लें उसके बाद विस्तार से आपको कहने का अवसर मिलेगा।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) द्वारा अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग कर रहे किसानों पर पुलिस फायरिंग तथा सम्बन्धित विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र कौड़ीराम में एक हजार एकड़ जमीन ले ली गयी जिसमें से 425 एकड़ जमीन अधिग्रहीत कर ली गयी है। मान्यवर, इसमें किसानों का शोषण किया गया है जिसके विरोध में किसानों ने 23 जून को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया उनकी मांग है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कि बाजार भाव पर उनकी जमीन का मुआवजा दिया जाय । वह शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग कर रहे थे उन निहत्थे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बड़े शर्म की बात है कि पुलिस ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया उनकी छाती और जांघ पर प्रहार किया और दुर्व्यवहार किया । यहां तक कि 80 साल की बुढ़िया को भी पुलिस ने नहीं बख्शा और उसको भी पुलिस ने मारा । वह रो रो कर मुझे अपनी चोट दिखा रही थी । मैं मौके पर गयी थी सैकड़ों राउंड गोलियां चलीं । सी० ओ० सहजनवां, एस० ओ० सहजनवां, चौकी इंचार्ज पिपरौली ने सैकड़ो राउंड गोलियां चलायीं जिससे दर्जनों लोग घायल हुए । मेरे मकान के नजदीक सदर अस्पताल है । तमाम लोग मेरे पास आये और मुझसे कहा कि आप चलकर लोगों की मरहम पट्टी करवायें । मैं सदर अस्पताल में गयी, मैंने देखा कि तमाम लोगों को चोटें आयी थीं जिनमें 4-5 महिलायें थीं । पुलिस की गोली से सत्य नारायण सिंह की मृत्यु हुई । मैंने अस्पताल जाकर लोगों की मरहम पट्टी करवाई । डाक्टरों ने चोटों का मुआयना किया और कहा कि यह चोटें गोली से आयी हैं । उसके बाद मैं घटना स्थल पर गयी । जुड़ियाने गांव, जहां पर किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मीटिंग कर रहे थे वहां पर एक तरह से छावनी बनाकर कम से कम 250 पुलिस वालों ने लोगों को चारों तरफ से घेर कर मारा । जब मैं गांव गयी तो वहां पर कम से कम 3-4 सौ लोग इकट्ठे हो गये और सभी लोग बड़े सहमें हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मातम हो रहा है । मुझे वहां महिलाओं ने अपनी साड़ी उठाकर कर अपनी चोटों को दिखाया तमाम लोगों ने अपनी-अपनी चोटों को मुझे दिखाया । सत्य नारायण सिंह के सर में छर्रे लगे जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। मैं आपको गोलियां दिखाना चाहती हूं जो वहां पर चलायी गयी हैं ।

(माननीया श्रीमती गौरी देवी ने गोलियां सदन में दिखायीं)

मैंने वहां स्वयं देखा कि जनता बड़ी भयभीत थी । मैं यह गोलियां अपने हाथ से चुनकर लायी हूं । मैंने वहां पर सी० ओ० से कहा कि आपने निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर कोई बहादुरी का काम नहीं किया है । गोरखपुर में डकैती, चोरियां रोकने का काम आप करते तो मैं आपको बहादुर समझती कि आपने बहादुरी का काम किया है ।

श्री अमरमणि–

मान्यवर, 10 मिनट हो गये हैं ।

श्रीमती गौरी देवी–

आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीया गौरी देवी, इस प्रकार आपस में आप बात न करें । अध्यक्ष की ओर मुखातिब होकर अपनी बात कहें ।

श्रीमती गौरी देवी–

मैंने सी० ओ० से पूछा कि आपने यह गोलाबारी क्यों की है तो उन्होंने कहा विधायका जी यह तो आये दिन होता है । मान्यवर, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि निहत्थे लोगों पर इस प्रकार से गोली चली और सत्य नारायण सिंह की मौत हुई । मैं मांग करती हूं कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाय । किसानों को सही उचित मुआवजा मिले । एक बात और जरूरी है कि श्री सत्य नारायण सिंह जो मारे गये हैं उनके परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाय । उनके लड़के को नौकरी दी जाय और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हजार रुपये दिये जायं । किसानों को उचित मुआवजा दिया जाय । मैं एक और मांग करती हूं शासन से कि सी० बी० आई० जांच के लिये आप कहें ताकि सारी बात, तथ्य सामने आ जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती गौरी देवी–

जिस जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और मुआवजा नहीं मिला है उसको मुआवजा दिया जाय। नई जमीन ली जा रही है नाली बनवाने के लिये। खुदाई हो रही है तो जब तक किसानों को उचित मुआवजा न मिले। नई जमीन न ली जाय। मैं मांग करती हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी से घोषणा करवायें कि नई जमीन किसानों की न ली जाय तब तक कि उचित मुआवजा न मिले। जितनी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है उसका पैसा-पैसा जब तक न दे दिया जाय तब तक नई जमीन न ली जाय मेरी यही मांग है। जो अधिकारी किसानों पर गोली चलाये हैं उनको निलम्बित किया जाय। उनको सजा दी जाय, उनको जेल भेजा जाय।

* श्री अमर मणि–

मान्यवर, यह 23 जून की घटना निहायत ही शर्मनाक, दर्दनाक और जालिमाना है। गोरखपुर में निर्मम, निरीह किसानों पर गोलियों और लाठियों की बौछार से त्राहि-त्राहि मच गयी। जैसा कि श्रीमती गौरी देवी जी ने बताया पुलिस के लोग एकाएक जीप और ट्रकों में भर कर आये। गीडा में पूंजीपतियों द्वारा बड़े-बड़े उद्योग लगाये गये हैं। इन्हीं के इशारों पर यह लाठी गोली चलाई गई है। वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। यह आज की बात नहीं है। वहां पर सालों साल से यह होता आ रहा है। जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी और कल्याण सिंह जी उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने जो रास्ते में धरने पर लोग थे उन्हें आश्वासन दिया था कि एक लाख रुपये जमीन का मुआवजा दिया जायेगा। आज यह भाजपा और बसपा की मिलीजुली सरकार है। सरकार अपने वायदे से मुकर रही है। हम चाहते हैं कि कल्याण सिंह जी आप संख्या में अधिक हैं और सरकार चला रहे हैं आप दबाव डालें कि एक से ढाई लाख रुपये तक मुआवजा दिया जाय। जब से गीडा की स्थापना हुई है समय-समय पर वहां के किसानों ने आन्दोलन किया है और अपनी उचित मांगों को रखने का प्रयास किया है। यह सरकार जो बसपा और भाजपा की है यह गोली बरसा रही है। गोली और बारूद, लाठी और डंडे का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ था। आन्दोलन किये गये तो उन्हें शांतिपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया है। इस बर्बर सरकार ने निरीह किसानों पर 23 जून को गोली चलवाई उसमें एक किसान नेता की मृत्यु हो गयी। मृत्यु के बाद हमारे संस्कार में है कि परिजनों को नियमों और कानूनों के बाद मृतक की लाश दे दी जाती है। पर इस सरकार के [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

[× × ×] शब्द निकाल दीजिये। यह शोभनीय नहीं है।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, भोर में चार बजे पोस्टमार्टम के बाद ले गये। मान्यवर, पोस्टमार्टम करने के बाद कफन भी नहीं देने की कोशिश किया। बोरे में लाश को भरकर सरयू जी में दहा दिया राप्ती भी नहीं ले गये क्योंकि जानते थे कि राप्ती में क्रियाकर्म होगा या फेंक देंगे तो हजारों हजार आन्दोलित किसान उस लाश को ढूंढ निकालेंगे और प्रदर्शन होगा यह जानकर सरकार ने डेढ़ सौ किलोमीटर पर बोरे में लाश बांधकर फेंक दी। यह जघन्य हत्या का मामला है। वहां पर किसी तरह से भी 27 हजार रु० एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं है। वहां के किसानों ने जो गोरखपुर से लगा हुआ है जहां 27 हजार रु० एकड़

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मुआवजा दिया गया है उसमें किसानों ने मांग की है कि एक लाख रुपया कम से कम मुआवजा दिया जाए। साढ़े तीन लाख मुआवजा बाजार भाव से मिलेगा। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं कि जो जघन्य हत्या हुई है, गौरी देवी जी ने कहा है कि चौकी इंचार्ज, सी० ओ० ने ऐसा किया तो आप जानते हैं मान्यवर, कि गोली चलाने का आर्डर दरोगा या सिपाही नहीं दे सकता है जिस तरह से बर्बर गोली की बौछार हुई है यह आई० जी०, डी० आई० जी०, कमिश्नर जो ऊंचे स्तर के अधिकारी हैं उनके आर्डर से हुई है।

यह गोलियों की बौछार पूंजीपतियों ने आई० जी०, डी० आई० जी०, कमिश्नर, आदि से मिलकर कराई है। वहां के किसानों को 27 हजार रुपया कास्ट दी जा रही है उसमें कम से कम एक लाख रुपया दिया जाय। कल्याण सिंह जी बैठे हैं वह इस सरकार पर दबाव डालकर कहें, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो मूल्यवान जमीन है उसका सही मूल्य सरकार दे। पांच लाख रुपया एकड़ वह जमीन पूंजीपतियों को दी जा रही है और वही जमीन का किसानों को 27 हजार रुपया एकड़ लगा रहे हैं और यह कल्याणकारी सरकार कही जाती है। मैं अपेक्षा करूंगा कि इसमें गौड़ा के किसानों की भावनाओं को देखते हुए इस घटना की सी० बी० आई० से जांच कराई जाए और मुआवजा देने के लिए जो घायल हुए हैं उनको पचास हजार और जो मरे हैं उनको एक लाख रुपया मुआवजा दिया जाए।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान मर्माहत है पिछले 28 दिन से धरना चल रहा है वहां राजनैतिक आन्दोलन नहीं है और न ही किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा यह चलाया जा रहा है। कई गांव की 10 हजार एकड़ जमीन प्रभावित हो रही है वह किसानों से ली जा रही है। किसान उद्वेलित हैं जो किसान अपनी फसल का उत्पादन करता है उस पर जो उसको मिलना है उतना उसको सरकार द्वारा जमीन का मुआवजा दिया जा रहा है, किसानों को मुआवजा देने का जो सवाल है, और किसानों को नौकरी देने का सवाल है उसमें कहना चाहूंगा कि गौड़ा की स्थापना पूर्वी उत्तर प्रदेश को तथा नोएडा की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए की गई उस समय यह फैसला श्री नारायण दत्त तिवारी और श्री वीर बहादुर सिंह जी के जमाने में लिया गया था। जब गौड़ा की स्थापना हुई तो माननीय कल्याण सिंह ने पांच करोड़ रुपये की घोषणा की थी और मुआवजे के रूप में एक लाख रुपया एकड़ मुआवजा देने की बात कही थी। उन किसानों की जमीन का मुआवजा बेल्ट सिस्टम से दिया जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गौड़ा क्षेत्र को विकसित करने के लिए, उसका औद्योगीकरण करने के लिए एक भू-खण्ड का अधिग्रहण हो रहा है कुछ हिस्से में 27 हजार रुपया एकड़ कुछ में 40 हजार रुपया और किसी में कुछ दिया गया है भूमि अधिग्रहण करने का। जबकि जो मुआवजा दिया जाता है वह एक दर से दिया जाता है लेकिन इस दस हजार एकड़ भूमि में बेल्ट का सिस्टम बनाया गया है जो साढ़े तीन लाख रुपया बाजार की दर है वह दी जानी चाहिए किसान भूमिहीन हो जायेगा।

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सूर्य प्रताप शाही पीठासीन हुए)

इसलिए साढ़े तीन लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाय। मान्यवर, पहली बार ऐसा हुआ है किसानों ने शांतिपूर्वक धरना दिया लेकिन उनके ऊपर गोली चलाई गई। 24 ता० के समाचार पत्रों में आया है कि गोरखपुर में किसानों के ऊपर कोई गोली नहीं चलाई गई है बल्कि टीअर गैस चलाई गई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब खरैला के किसानों, गोरखपुर, पर जब गोली नहीं चलाई गई है तो श्री सत्य नारायण जिसकी जमीन ली गयी है उसने अस्पताल में किस तरह दम तोड़ दिया। मान्यवर, श्री सत्य नारायण की लाश को छिपाने के लिए रात के 12 बजे पोस्टमार्टम किया गया और उसकी लाश सरयू नदी में डाल दी गयी। वह हिन्दू था इसलिए उसका दाह संस्कार हिन्दू रीति रिवाज से किया जाना चाहिए था लेकिन वह भी नहीं किया गया। मान्यवर, गोरखपुर में इस तरह की शर्मनाक घटनाएं किसानों के साथ की जा रही हैं। मान्यवर, गोरखपुर में 76 गांव के किसानों की जमीन

ली जा रही है लेकिन किसानों के परिवार वालों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है बल्कि दूसरे प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इसलिए वहां के लोग उद्वेलित और आन्दोलित हैं। मान्यवर, वहां सभी दल के नेता जा चुके हैं और वहां की स्थिति के बारे में जानते हैं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

सारे तथ्य आ चुके हैं इसलिये आप अपना भाषण बंद करें। यह चर्चा नहीं हो रही है बल्कि ग्राह्यता पर आपको अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरी दो मुख्य मांगें हैं। पहली मांग यह है कि जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गयी है उनके परिवार में किसी एक को नौकरी दी जाय और दूसरी मांग यह है कि साढ़े तीन लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाय। तीसरी मांग यह भी है कि जो वहां फायरिंग की गयी है उसकी न्यायिक जांच कराई जाय और मृतक के परिवार वालों को पांच लाख रुपये मुआवजा दिया जाय। मेरी यह भी मांग है कि बेल्ट सिस्टम क, ख, ग को समाप्त करके एकरूपता लाकर साढ़े तीन लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाय। मैं मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक करके इस पर चर्चा करायें।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, जब पिछला सत्र समाप्त हो रहा था तो 25 तारीख को इस सदन में नियम 300 के अन्तर्गत इसी गौड़ा के प्रश्न पर मैंने नोटिस दिया था और नोटिस स्वीकृत भी हो गई थी उस नोटिस के अनुसार अगर शासन के द्वारा कार्यवाही की गई होती तो गोरखपुर में यह जो काला इतिहास लिखा गया है वह न लिखा गया होता। हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं। अपने हक के लिये जब कोई किसान, पत्रकार, मजदूर धरना प्रदर्शन करता है उस पर लाठियां और गोलियां चलाई जाती हैं। मेरा अनुरोध है कि आप शासन को निर्देशित करें, अध्यक्ष पीठ से निर्देश दें ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। पिछले सत्र के समय मेरी नोटिस जो स्वीकृत की गयी थी उसके अनुरूप अगर कार्यवाही की गयी होती तो सदन में आज गौरी देवी न बोलती और हमारे पाल साहब को भी न बोलना पड़ता। आप जानते हैं कि पूर्वांचल काफी पिछड़ा हुआ इलाका है।

श्री अधिष्ठाता–

आप अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, क्या आपकी उस कुर्सी पर बैठकर भावनाएं बदल गयी हैं, वहां पर लाठी और गोली चलवाई गई। मेरा यह कहना है कि आये दिन शासन के द्वारा आन्दोलनकारियों पर, चाहे, किसान हों या मजदूर हों, पत्रकार हों या कोई अगर अपने हक के लिये धरना प्रदर्शन आयोजित करता है इस प्रकार का रास्ता अख्तियार करता है महात्मा गांधी जी के रास्ते के अनुरूप जिनकी फोटो आपके पीठ के पीछे लगी है, जिसका हमारा अधिकार होता है तो इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। कल्याण सिंह जी ने ही गौड़ा की स्थापना के शिलान्यास के समय कहा था कि किसानों को अधिकतम मुआवजा दिया जायेगा। पश्चिमी जिलों की जमीन जहां ऊसर है वहां पर मुआवजा 3 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलता है। इस बात का मैं सदन में प्रमाण-पत्र दे दूंगा। पूर्वी जिलों के किसान अपना हक मांग रहे हैं। शासन की नीति है कि जिस क्षेत्र के रजिस्ट्रेशन के समय जो शासन द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है उसी के अनुसार रेट दिया जायेगा। वह रेट नहीं दिया जा रहा है। यह दो तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? पश्चिम के किसानों को 3 लाख रुपया प्रति एकड़ और पूर्व के किसानों को 27 रुपया प्रति एकड़ दिया जा रहा है। वहां के किसानों ने क्या गुनाह किया है। वहां पर मुआवजे के साथ-साथ नौकरी भी नहीं दी जा रही है। इसकी जांच करवाई जाए।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय गोरखपुर के गीडा के प्रकरण पर चर्चा हो रही है आप इसकी ग्राह्यता पर सुन रहे हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे जिन पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार रखे उससे पता चलता है कि यह कितनी बर्बर और अमानवीय घटना घटित हुई । पूरा प्रदेश जानता है कि यह भाजपा-बसपा गठबन्धन की सरकार है । इस सरकार ने यह मुनादी की थी और प्रदेश को आश्वस्त किया था कि अब प्रदेश में विधि का शासन होगा, अपराध नहीं होंगे तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज जो भाजपा-बसपा सरकार है किस अपराध को समाप्त करने की बात करती है जबकि सरकार की ही एजेन्सी ने वहां पर अत्याचार किए । निहत्थे किसान और मजदूर जो अपनी जायज बात के लिए धरना दे रहे थे उन पर लाठी गोली चलवाई तो मान्यवर, इससे महत्व का प्रश्न और क्या हो सकता है ? जहां एक किसान की जान चली गई तथा किसानों की बहुमूल्य जमीनें 27 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अधिग्रहीत कर ली गई । आज किसान आन्दोलन कर रहे हैं यह उनका अधिकार है । लेकिन सरकार की देख-रेख में उन पर गोलियां चलवाई गई । अधिष्ठाता महोदय मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इससे निर्मम अत्याचार और क्या हो सकता है ? मान्यवर, बदराला काण्ड पर जब चर्चा हो रही थी तो अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि शांति पूर्ण आन्दोलनकारियों से निपटने के बारे में सरकार की ओर से गाइड लाइन बनाई जाए । मान्यवर, सत्यनारायण जिसकी गोली लगने के कारण मौत हो गई उसकी लाश को पुलिस ने अपनी कस्टडी में दफना दिया उसकी लाश को उसके परिवार वालों को नहीं दिया ।

* श्री विनय कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, गीड़ा प्रकरण की ग्राह्यता पर बोलने के लिए जो आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । आज हम अपनी आजादी की 50वीं गांठ मना रहे हैं लोकतंत्र में हर जनता का मौलिक अधिकार है कि वह शांतिपूर्वक धरना या प्रदर्शन कर सके । आज जब गोरखपुर के किसान अपने हकों के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए, अपनी उपजाऊ जमीन के मुआवजे के लिए धरना व प्रदर्शन कर रहे थे तो यह बैशाखी सरकार जो निरंकुश होती जा रही है उसने आजादी की पचासवीं वर्ष गांठ पर शांतिपूर्ण आन्दोलनकारियों पर लाठियां और गोली चलवाई । जैसा कि गौरी देवी ने अभी बताया उन्होंने बड़े दुख के साथ अपनी बात रखी ।

श्री सतीश शर्मा–

मान्यवर, जून के महीने में जिस तरीके से शांतिपूर्वक किसान आन्दोलनकारियों पर आंसू गैस और गोलियों की बौछार की गयी जिसकी वजह से सत्यनारायण सिंह की मृत्यु हुई । सत्यनारायण सिंह की लाश को जिस तरीके से चुपके से पोस्टमार्टम कराकर सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया गया । मैं कहता हूं कि कोई अपराधी जिसको फांसी की सजा दे दी जाती है उसकी भी लाश को उसके परिवार को सौंप दी जाती है लेकिन बड़े शर्म का विषय है कि एक किसान नेता की हत्या कर दी गयी और उसकी लाश को उसके परिवार को न देकर सरयू नदी में बहा दिया गया । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर चर्चा और इसकी न्यायिक जांच करायी जाये । इसको हाईकोर्ट के जज को सौंप देना चाहिए । यही मेरा निवेदन है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, गोरखपुर के स्थानीय विधायक हैं वह कुछ तथ्य रखना चाहते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दी है, 311 के अन्तर्गत नहीं । परन्तु इस पर अपना स्पष्टीकरण जरूर देना चाहता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह गलत परम्परा है ।

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह किस हैसियत से बोल रहे हैं, इनको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, इस पर चर्चा स्वीकार कर लें । चर्चा स्वीकार करने से पहले कैसे बोलने लगे ?

कार्य-स्थगन का प्रस्ताव सत्तारूढ़ दल के सदस्य के द्वारा लाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह आशा और अपेक्षा करता हूं कि आपकी पीठ से जो भी निर्णय होंगे । वह दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर होंगे । यह परम्परा रही है कि 311 और 56 के अन्तर्गत कोई सूचना आयी है तो पहले आप उसकी ग्राह्यता के सन्दर्भ में सुनते हैं और अगर आप उस पर या उस पीठ पर जो भी सुशोभित होता है, वह इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि यह ग्राह्य है तब प्रस्ताव और चर्चा के रूप में आती है । हम ग्राह्यता के पक्ष में बोलते हैं तो हम प्रस्ताव रखते हैं । सरकार का यह दायित्व है कि उस विभाग का मंत्री या अन्य मंत्री सरकार का पक्ष रख सकता है, दोनों को सुनने के बाद आप यह कर सकते हैं । हमने यह सूचना दी, सूचना पर हमारे हस्ताक्षर हैं ।

हमारा प्रथम अधिकार है कि हम ग्राह्यता के संबंध में अपने विचार रखें । मान्यवर, जब माननीय सदस्य बोलने खड़े हुये तो पहले कहा कि ग्राह्यता के संबंध में बोलेंगे फिर कहा कि स्पष्टीकरण देगें । मैं आपकी पीठ से व्यवस्था चाहता हूं कि क्या मंत्री को स्पष्टीकरण देने का अधिकार होगा या किसी भूतपूर्व मंत्री को स्पष्टीकरण देने का अधिकार होगा ? आप जो कुछ कर रहे हैं वह एक इतिहास बनने जा रहा है । या तो माननीय सदस्य को अपने सम्मानित मंत्री अथवा मंत्रि-मंडल पर विश्वास नहीं रह गया है या उनकी क्षमता और योग्यता पर विश्वास नहीं रह गया है । हो सकता है मंत्री चूंकि बसपा के हैं और माननीय सदस्य भाजपा के, इसलिये विश्वास न करें । मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं और आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या ग्राह्यता के संबंध में नियम 311 पर चर्चा हो रही है तो उसमें सत्तारूढ़ दल का सदस्य भी कार्य-स्थगन ला सकता है, अगर ला सकता है तो क्या आप व्यवस्था देने की कृपा करेंगे कि क्या उसे बोलने का अधिकार है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी, शिव प्रताप शुक्ल जी, ग्राह्यता पर नहीं बोल रहे थे ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x] क्योंकि आप ग्राह्यता पर बुलवा कर स्पष्टीकरण दिलवा रहे हैं।

(कांग्रेस के कई सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे)

मान्यवर, गलतियां इन्सान से होती हैं, आपसे भी भूल हो सकती है, लेकिन आप इस भूल को दोहरायेंगे, चल देंगे तो उस पीठ का अपमान होगा, जिसके लिये इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा।

(समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य अपने-अपने स्थानों से एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री सुरेन्द्र नाथ (बेल से)–

मान्यवर, नियमों की अवहेलना हो रही है।

श्री अधिष्ठाता–

किसी भी नियम की अवहेलना नहीं है, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री जगदम्बिका पाल (फ्लोर से)–

मान्यवर, 311 कार्य-स्थगन का विषय है या तो वह कह दें कि हमारा विश्वास इस मंत्रिमण्डल से उठ गया है हम सरकार के खिलाफ सेंसर मोशन लाते हैं।

(घोर व्यवधान)

(सदन के फ्लोर पर आये हुए विधायकगण बराबर नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष के अनेक सदस्य भी सदन के फ्लोर पर आ गये।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को सवा तीन बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 2 बजकर 55 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।

तत्पश्चात् 3 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई)

(श्री अमर मणि तथा उनके साथ कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर "लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी" के नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

नोट :–[x x x] का अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(सदन के फ्लोर पर आए हुए कांग्रेस के सदस्य वापस अपने-अपने स्थानों पर चले गए

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, आप माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी को अधिष्ठाता के रूप में इस गरिमामयी पद पर बैठालकर चले गये। x x x।

श्री अध्यक्ष–

आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, आप ग्राह्यता पर सुन रहे थे और चर्चा नहीं हो रही थी परन्तु [x x x]

श्री अध्यक्ष–

मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं। जो भी आक्षेपात्मक व अनपेक्षित बातें। श्री अधिष्ठाता। के लिए कही गई हैं उन्हें मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, श्री शाही जी ने श्री शिव प्रताप शुक्ला को स्पष्टीकरण के रूप में अथवा चर्चा के रूप में अनुमति दे दी। चर्चा की अनुमति पीठ ने दी नहीं थी तो फिर स्पष्टीकरण देने का प्रश्न कहां से उठता है ? इसलिए मान्यवर, जब तक श्री सूर्य प्रताप शाही जी अपने [x x x] के लिए क्षमा याचना न करें तब तक आप उनको। x x x।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं किया जा सकता है।

श्री पारसनाथ यादव पर ए० के० 47 से हुए आक्रमण विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को सुने जाने की मांग

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, यह सदन नियमों के अन्तर्गत चलता है और उसी के तहत हम अपनी समस्यायें इस आदरणीय सदन में उठाते हैं पिछली 17 ता० को नियम 56 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण सूचना दी थी परन्तु किसी कारण वश सदन अव्यवस्थित हो जाने के कारण वह विषय उस दिन नहीं आ पाया। आज पुनः नियम 311 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न होते हैं, अन्य नियमों को निलम्बित करके उन्हें सुना जाता है। आज आपकी पीठ से यह कहा गया है, प्रश्नकाल के बाद 311 ले लिया जायेगा। हमारी नियमावली में नियम 301, 300, तथा नियम 56 जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसे कब लिया जायेगा ? मैंने नियम 56 के तहत जो विषय उठाया है उसका संबंध इस आदणीय सदन में बैठे सभी माननीय सदस्यों के जीवन से जुड़ा हुआ है। दिनांक 25-5-97 को मेरे ऊपर ए० के०–47 से आक्रमण हुआ और में बाल-बाल बचा। दिनांक 17 तारीख को मेरी सूचना सुनी नहीं गई। आज आप उसे सुन नहीं रहे हैं तो फिर उसे आप कब सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं।

नोट :–[x x x] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि नियम 56 की सूचना को 311 के साथ-साथ जोड़ लिया जाय । यह मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी नियम–311 आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है और माननीय सदस्यों ने भी पढ़ा है । मेरे पास जब भी किसी विशेष नियम के अन्तर्गत सूचना आती है और उस विषय से संबंधित दूसरे माननीय सदस्य दूसरे नियमों के अन्तर्गत सूचना देते हैं और आग्रह करते हैं कि दूसरे नियम के अन्तर्गत सूचना है लिहाजा हमें भी सुन लिया जाय, तो मैं सुन लेता हूं । दिनांक 17 तारीख को श्री शिव प्रताप शुक्ला जी ने भी गीडा के संबंध में सूचना दी थी । आज भी वह सूचना मेरे पास है । मेरे पास पत्र रखा हुआ है । उन्होंने कहा है कि जब नियम–311 के अन्तर्गत सूचना आयेगी उस वक्त मुझे भी सुन लीजियेगा । उन्होंने लिखकर निवेदन किया था । उनका पत्र यहां पर रखा है । उनको सुनने का अवसर दिया गया । यह तो सुविधा के लिए किया गया था । चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्य हों या उस पक्ष के माननीय सदस्य हों, अगर उन्होंने सुनने के लिए अवसर मांगा है तो उन्हें अवसर दिया गया है [x x] मुझे बड़ा दुख है कि [x x x x] पीठासीन अधिकारी के ऊपर, अधिष्ठाता मण्डल के ऊपर आक्षेप लगा है । भविष्य में इस प्रकार के आक्षेप नहीं लगने चाहिए । (व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम–301 के अन्तर्गत सूचना पढ़ी तो जा सकती है लेकिन उस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया जा सकता है । ऐसा नियमावली और संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी बात सुन ली है । आप कृपया बैठ जायें । मैं इसको विवाद के रूप में नहीं बनाना चाहता हूं । अगर मैं नियमों का कड़ाई से पालन करूंगा, तो आप लोग ही कहेंगे । अभी तक यह नियम था कि नियम–311 की सूचना आती थी तो उसका निस्तारण दूसरे कक्ष में हो जाता था । किसी एक सूचना पर यदि चार-पांच सदस्यों के हस्ताक्षर होते थे तो उनमें से एक दो को सुन लिया जाता था । परन्तु अब मैं स्पष्ट व्यवस्था के रूप में अभिलेख में दर्ज करा रहा हूं कि यदि किसी सूचना पर एक से अधिक माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे तो कितने सदस्यों को सुना जाय ? यह मेरे विवेक पर होगा और इसका निर्णय मैं अपने कक्ष में करूंगा ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जो रूलिंग आपने दी है उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह आप प्रोसीडिंग में नोट करा देंगे तो यह व्यवस्था भी करायें कि विधान सभा कम से कम 90 दिन चले और जो बजट सत्र होता है वह भी कम से कम 29 दिन तक चले । आज हो यह रहा है कि 12 दिनों में बजट पास हो रहा है । विधायकों को अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिल पायेगा । वह अपनी बात किस नियम के अन्तर्गत कहेगा ? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया पुनर्विचार कर लें ।

नोट :–[x x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

*श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, आपने एक व्यवस्था दे दी। आपकी ही व्यवस्था के आधार पर नियम 301 के अन्तर्गत बोलने के लिये खड़ा हुआ था। मैंने दो दिन पहले निवेदन किया था। माननीय सदस्य गौरी देवी पहले बोली हैं, जबकि माननीय सदस्य अमर मणि का पहला नाम है। मैं भी वहां का हूं और किसानों से जुड़ा हुआ हूं। वह आन्दोलन कर रहे हैं, तो इसके संबंध में मैं भी कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य चिल्लूपार ने मेरा नाम लिया, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया जायेगा, तो वैसे ही वह व्यक्ति अपनी बात कहने का अधिकारी हो जाता है। वह इस बात का अधिकारी हो जाता है कि वह अपना स्पष्टीकरण पेश करे। मान्यवर, मैं आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि पीठ का अपमान हुआ है, वह नहीं होना चाहिए। खेद तो ऐसे लोगों को व्यक्त करना चाहिए। मान्यवर, जुड़ियान गांव में...

श्री अध्यक्ष–

आप उसका जिक्र न करें। जो आक्षेप लगाये गये हैं, वह कार्यवाही के अंग नहीं होंगे, वह निकाल दिये जायेंगे। जो भी पीठासीन होगा, वह किसी भी विषय पर किसी भी सदस्य को विचार व्यक्त करने के लिये समय दे सकता है। अब मैं इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त करता हूं। अब इस विषय पर चर्चा नहीं होगी।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में आपकी आज्ञा से अधिष्ठाता के रूप में माननीय शाही जी बैठे थे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उस प्रकरण को समाप्त कर दिया है। मैंने उस पर अपनी व्यवस्था दे दी है। मैंने कह दिया, वह बात खत्म हो गयी।

डा० अम्मार रिजवी–

मेरा निवेदन है कि कम से कम वीकर सेक्शन के लोगों पर भी नजर रहे। मान्यवर, मैंने नियम-300 में एक औचित्य का प्रश्न दिया था और वह प्रश्न संबंधित है कल जो बजट आ रहा है उससे। कल जो बजट आ रहा है, वह संवैधानिक तरीके से नहीं आ रहा है। इसके बारे में प्रश्न दिया है। सदन की कार्यवाही से ऐसा लगता है कि वह प्रश्न नहीं आयेगा, तो क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बजट आने से पहले मुझे सुन लिया जाये, जिससे वित्तीय संकट से बचा जा सके ?

श्री धनीराम वर्मा–

मैंने देखा है। उसके संबंध में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर क्या बता रहे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मेरी लिखित सूचना है, कृपया बता दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैं तय करूंगा कि किसको बोलना है । यह मैं तय करूंगा ।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) द्वारा किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग कर रहे किसानों पर फायरिंग एवं लाठी चार्ज विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

जब गोली और लाठियों से हमला किया गया और उसको जब मैंने अखबारों में पढ़ा तो 16 तारीख को स्वयं गीडा के किसानों से बात करने के लिये गोरखपुर पहुंचा ।

रात में जब साढ़े 10 बजे में वहां पहुंचा तो लगभग 2, 3 हजार लोग जिसमें बच्चे स्त्री और पुरुष अपनी गाथा सुनाने के लिये वहां मौजूद थे । मान्यवर, इसमें दो तीन बिन्दु उभर कर आते हैं यह गीडा की घटना क्यों हुई और आखिरकार दोषी कौन है ? गीडा में किसानों का अनशन चल रहा था, प्रशासन ने यह देखा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहे ।

श्री धनीराम वर्मा–

मैं जोर से बोल रहा हूं । वहां के अधिकारियों डी० एम०, एस० पी०, कमिश्नर, डी० आई० जी० आदि ने यह सोचा कि माननीय मुख्य मंत्री वहां दूसरे दिन आने वाली हैं अगर यह अनशन चलता रहेगा तो उनकी बदनामी होगी, उन्हें खुश करने की वजह से यह अपराध किया गया और किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गयीं । ऐसे मामलों में पुलिस और पी० ए० सी० पहले गोलियां चलाती थी लेकिन वहां पर जो कारतूस मिले हैं वह अधिकारियों के पास जो हथियार होते हैं 9 एम० एम० जो दूसरे किसी के पास नहीं हो सकते हैं वह चलाई गयी । यह हथियार किसी दूसरे के पास नहीं हो सकते हैं । जब अधिकारी स्वयं गोलियां चलायेंगे तो जनता का क्या हश्र होगा ? इस घटना से संबंधित मुख्य बात यह है कि श्री सत्यनारायण और श्री दिवाकर सिंह पानी पीने के लिये गये थे श्री सत्यनारायण ने हैण्डपम्प चलाया और श्री दिवाकर पानी पी रहे थे । उस समय जो गोली मारी गयी वह श्री दिवाकर को निशाना बना कर मारी गयी क्योंकि वह आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे लेकिन वह बच गया और श्री सत्यनारायण घायल हो गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गयी । उसका उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ और लाश लाई गयी जिसे उसके घरवालों तक को नहीं दिखाया गया । इतना ही नहीं दुख की बात यह है कि लाश को अंतिम सैय्या तक नहीं दी गयी, बोरे में हाथ पैर तोड़ कर भर कर सरयू में प्रवाहित कर दिया गया । हिन्दू संस्कृति के अनुसार उसका दाह संस्कार होना चाहिए था उसे भी नहीं किया गया । तो कितना अत्याचार वहां के प्रशासन के अधिकारियों ने किया । मेरी मांग है कि इसकी जांच किसी हाईकोर्ट के जज से करवा ली जाय तथा पीड़ित किसान श्री सत्यनारायण के परिवार को तथा इस घटना में घायलों को मुआवजा दिया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

इस पर हमें भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

जैसा मैंने कहा आज के बाद नियम 311 की सभी सूचनाओं को मैं कक्ष में निस्तारित करूंगा । कोई भी आक्षेपात्मक भाषा का प्रयोग माननीय सदस्य न करें तो अच्छा रहेगा क्योंकि वह कार्यवाही का अंग नहीं रहेगा (व्यवधान) माननीय प्रमोद कुमार तिवारी जी को सुन लेता हूं आज जिनकी सूचना है

उनको सुन रहा हूं वर्ना उनको भी नहीं सुनता । माननीय प्रमोद कुमार तिवारी जी आप कुशल वक्ता हैं दो मिनट में अपनी बात कह दें । वह इस पर बोल चुके हैं की आवाज आने पर (व्यवधान) माननीय प्रमोद कुमार तिवारी जी क्या मेरी अनुपस्थिति में आप इस पर बोल चुके हैं ? मैं बीच में चला गया था ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैंने व्यवस्था के रूप में प्रश्न उठाया था । श्रीमन्, गीडा अपनी जगह में महत्वपूर्ण समस्या है । अगर पीठ पर आक्रोश होगा तो हमारा संरक्षण नहीं हो सकेगा, आप या कोई भी व्यक्ति जो पीठ पर बैठेगा उनको शांति से हमारी बात सुननी चाहिये । नियम 311 या 56 को कैसे चलायेंगे इसे सोचने की आवश्यकता है ? यहां पर नियम 301 में जो अनुमति प्रदान थी । मेरा इतना ही निवेदन है कि नियम 311 पर जब चर्चा चल रही थी तो जिनके हस्ताक्षर थे उनको बोलने का अवसर मिलना चहिए । बाकी आपकी इच्छा पर है किस को बोलने दें, जो इस पीठ पर बैठा है उस व्यक्ति का निर्णय है किसको बोलने दें ।

आप कृपा पूर्वक कार्यवाही निकाल कर देख लें । कांग्रेस के सदस्य बोल रहे थे और मैं बोलने के लिये खड़ा था इससे पूर्व ही मा० शिव प्रताप शुक्ल जी को बुला लिया गया । हम लोग बोल लेते और फिर वह अपनी बात कहते । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नियम–56 और नियम 311 में यह परम्परा नहीं रही है कि सत्ता पक्ष के सदस्य बोलें । माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने स्पष्टीकरण के रूप में अपनी बात कही तो मान्यवर, नियम 301 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण देने की परम्परा नहीं है । स्पष्टीकरण देने का अधिकार नाम लेने पर भी नहीं हुआ करता है । स्पष्टीकरण देने का अधिकार यदि किसी पर कोई आरोप लगाया जाता है तब होता है । स्पष्टीकरण देना चाहते तो मंत्री जी स्पष्टीकरण देते भूतपूर्व मंत्री जी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं थी । इसमें मैं नहीं समझता कि कोई अनुचित बात कही गयी है ।

आप जिस पीठ पर बैठे हैं उस पीठ के दिमाग में यदि कोई ऐसी बात है तो नहीं होनी चाहिये । हम लोगों ने जो कहा है वह नियमों के अनुसार कहा है, नियमों के लिये कहा है और नियमों के अन्तर्गत कहा है कोई ऐसी बात नहीं कही गयी है जो अपमानजनक हो । पीठ पर बैठकर यदि कोई नियमों के विरुद्ध जा रहा है तो उसे हम उठायेंगे चाहे उसके लिये हमें सदन से चले जाना पड़े, सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देना पड़े । सदन की पीठ नियमों के विरोध में जायेगी तो हम उसे उठायेंगे उसकी हमें चाहें जो कीमत चुकानी पड़े । हमारी बात ही जाती उसके बाद अगर स्पष्टीकरण के लिये वह अपनी बात उठाते तो ठीक होता । उनका तो नाम ही नहीं लिया गया सिर्फ इतना ही कहा गया कि वह उस जनपद के रहने वाले हैं, सिर्फ इतने से उनको स्पष्टीकरण का अधिकार नहीं मिल जाता, उसके बाद क्या परिस्थितियां हुयीं, कैसे हुआ, उन्होंने क्या बात कही, मैं नहीं जानता ? मैं समझता हूं कि यह आपका जो क्षणिक रोष है वह समाप्त हो जायेगा । विपक्ष को आप कृपा पूर्वक सुनते हैं तो मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं करता हूं । जहां तक गीडा का प्रश्न है उसके सब तथ्य यहां आ चुके हैं । मुझे ग्राह्यता के संदर्भ में दो बातें कहनी हैं, एक तो यह घटना जब घटित हुयी है उसके बाद सदन पहली बार बैठा है । इसमें तात्कालिकता है । इसके पहले कोई अवसर नहीं मिला था कि हम इस बात को उठाते । इसकी तात्कालिकता को आप स्वीकार करें । दूसरी बात लोक महत्व के प्रश्न की है । पूर्वांचल इस प्रदेश का भाग है, सबसे दिक्कत हमेशा से यह रही है कि जब भी अपने अधिकारों के लिये, वहां के लोग अपनी बात कहने के लिये खड़े होते हैं तो उनको गोलियां मिलती हैं । वहां का किसान अपनी मांगों के संबंध में फरियाद कर रहा था । क्या वह उसके अधिकार में नहीं है कि यदि उसकी जमीन ली गयी है तो वह उसका मुआवजा चाहे, मुआवजा मांग कर वह कौन सा पाप कर रहा था ? मुआवजे के बदले

उसकी गोलियां दी गयीं तो क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं है कि दोषी अधिकारियों को सजा दें ? बजाय अधिकारियों को सजा देने के सरकार खुद कटघरे में खड़ी हो जाय यह उचित नहीं है ।

अगर सरकार ने वहां के दोषी अधिकारियों को सजा दी होती तो हम प्रशंसा करते । श्री सत्य नारायण सिंह अपनी फरियाद कर रहे थे, अगर किसी कर्मचारी ने उनको गोली मारी तो उसको दंडित करना चाहिए । मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि क्या यह इत्तफाक नहीं है कि यह 23 तारीख की घटना है और 24 तारीख को माननीया मुख्य मंत्री का गोरखपुर जाना होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन इस डर से कि मुख्य मंत्री आयेंगी उनके सामने धरना, प्रदर्शन हो रहा होगा तो न जाने किसको निलम्बित किया जाय या न जाने किसकी छुट्टी की जाय इस डर से प्रशासन ने धरना, प्रदर्शन समाप्त करने में जल्दी दिखायी और इसीलिये सत्य नारायण सिंह की हत्या की गयी ? मेरी एक बात का जवाब दे दें । जब उनकी मृत्यु हो गयी तो उनका दाह संस्कार गोरखपुर में क्यों नहीं किया गया ? उनको टुकड़ों-टुकड़ों में काट कर अयोध्या में बहा दिया गया ।

मान्यवर, इस हत्या के जो लोग जिम्मेदार हैं उनको बचाने का प्रयास यह सरकार कर रही है । इसी से पता चलता है कि यह सरकार न्यायप्रिय सरकार नहीं है । मान्यवर, इस घटना की जूडिशियल जांच कराई जानी चाहिए । सी० बी० आई० से जांच करवा लें और दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाय ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, शुक्ला जी को भी बोलने का अवसर दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

एक अवसर और दूं जिससे एक और व्यवस्था पैदा हो जाय ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, नियम 311 में इस विषय पर माननीय सदस्य अपनी बातों को ग्राह्यता पर बोल रहे थे । किसी भी रूप में देखा जाय तो इसका सत्यता से लेशमात्र भी सरोकार नहीं है । जो आरोप सरकार पर लगाये गये हैं वह निराधार हैं और उसमें कोई तथ्य नहीं है । जो लोग आज इसे इस तरह से अतिरंजित करके बात प्रस्तुत कर रहे हैं उनको भी मुआवजा या गीडा प्रकरण का निस्तारण करने का मौका जनता ने दिया था । उनकी भी सरकार बनी थी । अगर उन्होंने इसका निस्तारण किया होता तो यह प्रकरण आज निस्तारण के लिये न आता । यह जो बसपा और भाजपा की सरकार है यह किसी भी समस्या को टालना नहीं चाहती । समस्याओं का निस्तारण चाहती है । निस्तारण के तहत यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है । लोग न्यायालय गये हुए हैं । अगर कानून बाधक नहीं हुआ तो सरकार मुआवजे के निर्धारण का कार्य करेगी और उस पर पुनः विचार करेगी किसानों की भावनाओं को सुनेगी और समझेगी । कानून बाधक नहीं हुआ तो जो इस समस्या का मूल है उसका निस्तारण करेगी ।

(व्यवधान)

यह किसी भी रूप में समस्या नहीं है । इसलिये ग्राह्य करने योग्य नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों को जिनके इस सूचना पर हस्ताक्षर थे, सुनने के पश्चात् मैं समझता हूं कि यह नियम 311 के अन्तर्गत निरस्त करने के योग्य है इसलिये मैं इसे निरस्त करता हूं । अग्राह्य करता हूं ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य सदन के वैल में आकर नारे लगाने लगे ।)

श्री जगदम्बिका पाल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(मा० सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगाते रहे)

श्रीमती गौरी देवी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने स्थान पर चले जायं । आप अपनी बात सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उठायें

(व्यवधान)

माननीय सदस्य जो वेल में बोल रहे हैं उनको लिखा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

कृपया अपने-अपने स्थान पर जाएं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि विवाद आप हल कर लें । खाली सरकार के ऊपर न छोड़ें यह सरकार संवेदनशील नहीं है । जब निरीह किसानों पर गोली चली, कई किसान घायल हैं मैं चाहूंगा कि वह किसान मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे थे, शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसमें आप सरकार से कह दें कि बाजार मूल्य से सरकार मुआवजा दे दे । और इसकी आप उच्च स्तरीय जांच करा दें । जो मामला है इसमें आप पांच लाख रुपया मुआवजा दिलाएं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप जो बाजार मूल्य कह रहे हैं यह कैसे तय होगा ? भूमि अधिग्रहण अधिनियम में यह प्रक्रिया है । बचराला कांड में उच्च न्यायालय ने भूमि के मुआवजे की दर निर्धारित कर दी थी । इसमें पता नहीं है कि क्या दर निर्धारित हुई ?

(व्यवधान)

सदन में इस बात के बारे में कोई वक्तव्य नहीं आया है । ऐसी नहीं है कि हर प्रकरण में निर्देश हो, तथ्यों में भिन्नता होती है ।

(शोर व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, इस घटना की जांच होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम 311 की सूचना निरस्त कर दी है ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर लगातार नारे लगाने लगे जिससे व्यवधान बना रहा ।)

श्रीमती गौरी देवी–

माननीय, इस मामले की सी० बी० आई० की जांच कराई जाए ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । दूसरी सूचना ...

(घोर व्यवधान)

माननीय धनीराम वर्मा जी एवं कुछ अन्य मा० सदस्यों ने विधान सभा का सत्र आहूत किये जाने की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् सरकार द्वारा 5 अध्यादेशों के प्रख्यापन का प्रस्ताव राज्यपाल महोदय को भेजे जाने तथा श्री राज्यपाल द्वारा उसे अस्वीकार कर दिये जाने के फलस्वरूप उनके प्रमुख सचिव के स्थानान्तरण के बारे में सूचना दी है इसे अस्वीकार किया जाता है ।

(कतिपय सदस्यों के सदन के फ्लोर पर नारे लगाने से व्यवधान बना रहा ।)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री सुरेन्द्र नाथ एवं श्री सतीश शर्मा ने डा० अम्बेडकर उद्यान एवं संकुल योजना के निर्माण पर असंवैधानिक रूप से किये जा रहे व्यय के बारे में सूचना दी है इसको निरस्त किया जाता है । श्री कौकव हमीद की सूचना ईद-मिलाद-उन-नवी के अवसर पर पुराने लखनऊ शहर में जुलूस-ए-मोहम्मदी पर अनावश्यक पाबन्दी लगा दिये जाने के बारे में है इसको भी निरस्त किया जाता है।

(घोर व्यवधान)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21 जुलाई, 1997 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए सात सूचनायें स्वीकार की गयी । जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी हैं (घोर व्यवधान) वह हैं श्री राम विशुन आजाद, श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री पारस नाथ यादव, श्री बिन्दु लाल, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री शिव प्रताप शुक्ल, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी । (स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

तहसील मुख्यालय मनकापुर, जनपद गोण्डा में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद–

। महोदय, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर, जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर में मुंसिफ कोर्ट न होने से वादकारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है । वर्तमान समय में वादकारियों को उतरौला जाना पड़ता है, जो तहसील मनकापुर से काफी दूरी पर है । जनपद गोण्डा का विभाजन होने से तहसील मनकापुर में मुंसिफ कोर्ट का खुलना अति आवश्यक हो गया है । इस समस्या को लेकर अधिवक्ता संघ मनकापुर ने 25-6-97 को चक्का जाम आन्दोलन किया था और जिला प्रशासन के आश्वासन के बावजूद अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई ।

नोट :–| | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इसके पश्चात् अधिवक्ता संघ मनकापुर ने और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 11-7-97 को मनकापुर रेलवे स्टेशन पर रेल चक्का जाम आन्दोलन किया और अभी तक तहसील मुख्यालय पर अधिवक्ता और सपा कार्यकर्ताओं द्वारा क्रमिक अनशन चलाया जा रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय महत्वपूर्ण प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं मांग करता हूं कि जनहित में तहसील मुख्यालय मनकापुर पर मुंसिफ कोर्ट तत्काल खोलने हेतु आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।]

बस्ती जनपद के दुधोरा बी० डी० बन्धे के कटान को रोकने के लिये सरकार द्वारा धन की व्यवस्था करने एवं ठेकेदारों का बकाया भुगतान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखपाल पाण्डेय–

[महोदय आपका ध्यान महत्वपूर्ण विषय घाघरा के कटान से दुधोरा व धुआपार आदि गांव तथा बधुआ पार से धुसवा बन्धा कटकर 200 गांव जलमग्न होने की सम्भावना निश्चित हो गयी है तथा बन्धे की दूरी केवल 100 मीटर रह गयी है। बाढ़ विभाग द्वारा सुरक्षा कार्य शून्य है, टी० ए० सी० कमेटी ने उक्त बन्धे की सुरक्षा हेतु 7 (सात) स्पेयर बनाने की संस्तुति किया था परन्तु स्पेयर के स्थान पर 8 डैम्पनर स्वीकृति किया गया। उस डैम्पनर का निर्माण नहीं हो रहा है। कटान तेज रफ्तार से चल रही है। चौरासी लाख आठ हजार रुपया जनवरी, 97 को डैम्पनर के लिये स्वीकृत हुआ। आज तक 8 लाख रुपये बाढ़ खण्ड के लिये रिलिज किया गया है। गत वर्ष कटान के रोकथाम हेतु 18 लाख रुपये तथा रामपुर मकदूमपुर बांध जिला बस्ती गत वर्ष के कटान के रोकथाम के लिये की गयी कार्यों का 34 लाख रुपया बकाया है। इससे ठेकेदारों द्वारा बाढ़ नियंत्रण कार्य भी नहीं हो पा रहा है।

अतः आपके माध्यम से सदन से मांग करता हूं कि दधौरा बी० डी० बन्धे के कटान को रोकने के लिये सरकार धन देकर कटान रोकने की कार्यवाही करे तथा विक्रम जोत धुसवा बन्धे पर 18 लाख रुपये तथा रामपुर मकदूमपुर बन्धे पर 34 लाख कटान निरोधक कार्य करने वाले ठेकेदारों का पुराना भुगतान कराकर युद्ध स्तर पर कटान रोकने, के कार्य कराने के लिए सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं जनपद जौनपुर में मड़ियाहूं बाई पास बनवाने एवं दो माह पूर्व बनी सड़क को ध्वस्त हो जाने की जांच करवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पारसनाथ यादव–

[महोदय, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित जौनपुर मिर्जापुर मार्ग में अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही करने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं का हृदय मड़ियाहूं कस्बा जिसकी आबादी लगभग 30–35 हजार है, सड़क के नाम पर मिर्जापुर जौनपुर मार्ग कस्बे के मध्य से होकर जाता है उक्त मार्ग पर आवागमन का बोझ इतना है कि आये दिन जाम एवं सड़के क्षतिग्रस्त होती रहती है। मड़ियाहूं बाईपास की स्वीकृति पिछली सरकार द्वारा की गयी। मिट्टी का काम पूरा हो चुका है लेकिन वर्षों से गिट्टी एवं पक्के कार्य रुके पड़े हुये हैं। विगत दो माह पूर्व कस्बे की सड़क की मरम्मत हेतु धन दिया गया लोक निर्माण विभाग द्वारा उसकी मरम्मत करायी गयी लेकिन पहली ही बरसात में सड़क में जगह-जगह गड्ढे हो गये और पानी से भर गया जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी गयी लेकिन जिला स्तर से लीपापोती हो रही है।

नोट :–] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः अनुरोध है कि उक्त सड़क के साथ मड़ियाहूं बाइपास तत्काल बनवाया जाये तथा दो माह पूर्व बनी सड़क पहली बरसात में ध्वस्त हो गई उसकी जांच कराकर दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाये ।]

जनपद बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर एवं पचपेड़वा नगर व देहात में बिजली की नियमित आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिन्दु लाल–

[मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान जनपद बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर व पचपेड़वा नगर व देहात क्षेत्र में बिजली की अघोषित कटौती की ओर दिलाना चाहता हूं । बिजली कटौती का समय जो निर्धारित है वही बहुत ज्यादा है, लेकिन उस निर्धारित समय के बाद भी अक्सर बिजली सप्लाई काट दी जाती है, और कभी-कभी तो कई दिनों तक सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसके कारण इस तराई क्षेत्र में पीने का पानी भी नहीं मिल पाता और रोज प्रयोग आने वाली वस्तु के छोटे-छोटे उद्योग जैसे आटा चक्की, तेल के स्पेलर, बिजली न मिलने के कारण नहीं चल पा रहे हैं, वही ट्यूबवेल न चल पाने से किसान भी प्रभावित हो रहा है । इस भीषण गर्मी में लोग रात भर सड़कों पर बिजली आने का इन्तजार करते रहते हैं, जिसको लेकर तुलसीपुर पावर हाउस पर लोग धरना, प्रदर्शन व बाजार बन्दी तक कर चुके हैं । अघोषित बिजली कटौती से लोगों में बहुत आक्रोश है, किसी दिन कोई बड़ी घटना हो सकती है ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या की ओर ध्यान देकर व ठीक ढंग से बिजली सप्लाई करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करें ।]

फिरोजाबाद नगर में नालों की सफाई न होने से उत्पन्न जल भराव की समस्या के निदान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[महोदय, फिरोजाबाद नगर की आबादी आज चार लाख से ऊपर है इस सम्पूर्ण आबादी में जल निकासी के दो ही प्रमुख नाले हैं, जिनके द्वारा गन्दा, मैला, वर्षा, कल-कारखानों का पानी जमुना नदी में छोड़ा जाता है । मुख्य नाला एवं नाला जोसियान दोनों एक ही स्थान पर ही रेलवे लाइन की पुलिया पर गिरते हैं यह नाले वैसे पड़े हैं और अतिक्रमण में नालों को छोटा कर बहाव में अवरोध पैदा कर रहे हैं । सीवेज अटा पड़ा है पानी खींचने की क्षमता खो बैठा है । पम्प हाउस में पानी खींचने की क्षमता नहीं है नाले और नालियां उफान पर रहते हैं दो बूंद पानी पड़ने पर सड़कें और गलियां बाढ़ का रूप लेकर नदी बन जाती हैं । बच्चे और बच्चियों का स्कूल पहुंचना दूभर हो जाता है हर मां बाप अपने बच्चे की जान के खतरे को अनुभव पर स्कूल को दौड़ता है ।

जलभराव की भयानक स्थिति से जनता में भारी आक्रोश है आये दिन जलभराव से छुटकारा पाने के लिए सड़क जाम जैसे आन्दोलन होते रहते हैं । करबला मोहल्ला, चंदवार गेट, पेमेश्वर गेट, रसूलपुर, मथुरा नगर, गालिबनगर आदि की गली और सड़कें, नालियां जलभराव से ग्रसित हैं । मैला और कूड़े से सड़ांध की दुर्गन्ध से किसी भी भयानक बीमारी के फूट पड़ने की आशंका में जनजीवन अस्त-व्यस्त है । अध्यक्ष, नगर पालिका अकर्मण्य और मूकदर्शक हैं । सड़ांध से स्थिति भयानक बन गयी है ।

अस्तु जल निकासी हेतु नालों की सफाई न करने के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही, नये सीवेज के निर्माण तथा नाला चन्देवारगेट, नाला पेमेश्वरगेट, नाला करबला से एस० एन० मार्ग, नाला रसूलपुर के

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

तत्काल निर्माण हेतु कराने की परम आवश्यकता है । अतः अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश निर्गत करने की कृपा करेंगे । ।

गोरखपुर जनपद में सहजनवां के पास किसानों के आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

। गोरखपुर जिला में सहजनवां के पास स्थित गोरखपुर आद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह ने अपने कर कमलों से शिलान्यास किया था तथा उसी समय इस प्राधिकरण को 5 करोड़ रुपया दिया था । जमीन के मुआवजे के रूप में श्री कल्याण सिंह ने घोषणा की थी कि सर्किल रेट के आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जायेगा । इसी के अनुरूप 1 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से ग्राम जुड़ियान के किसानों को मुआवजा दिया गया, परन्तु बाद में भाजपा शासन के बाद किही गल्तियों के कारण एक एकड़ की जगह हेक्टेयर हो गया, जिससे मुआवजे की राशि कम हो गयी । यही मुआवजा कम होना किसानों के आन्दोलन का कारण बन गया । समय-समय पर किसान वहां स्थापित उद्योगों को हटाने तथा श्री कल्याण सिंह द्वारा घोषित मुआवजे की राशि को पाने के लिए आन्दोलन करता रहा है । इधर विगत एक माह से गीडा किसानों का आन्दोलन चल रहा है । प्रशासन तथा किसान के संघर्ष, में श्री सत्यानारायण सिंह नामक किसान की मृत्यु हो गयी है । स्थिति अत्यन्त तनावपूर्ण है । इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं तथा किसानों के लिए एक लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजे तथा उद्योगों को सब्सिडी की मांग कर रहा हूं, जिससे यह क्षेत्र तनाव मुक्त हो । ।

मेरठ महानगर में नालों की सफाई एवं सीवर व्यवस्था ठीक करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

। श्रीमन्, मेरठ महानगर की जल निकासी व्यवस्था पूर्णतः ठप्प है । समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है । मूलतः यह व्यवस्था 50 हजार की आबादी पर वर्ष 1950 की है । अब 15 लाख की आबादी है पर मुख्य नाले वही तीन हैं । सीवर व्यवस्था चरमरा गयी है । 2 सीवेज पम्पिंग स्टेशन बाधित विद्युत आपूर्ति के कारण पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जनेरेटर व्यवस्था नहीं है ।

शहर के नाले आठ फिट से 10 फिट तक सिल्ट से भरे हैं । नगर निगम साधनों का रोना रोकर नाले साफ नहीं कर रहा है । वर्षा ऋतु आ गयी है एक घन्टे की वर्षा में 3 फुट से 5 फुट तक जलभरव मेरठ की सड़कों तथा मोहल्लों में हो जाता है । कई-कई घन्टे पानी भरा रहता है । लगभग आधा शहर जल भराव की भीषण समस्या से ग्रसित है, तत्काल व्यवस्था न होने पर जन स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है । महामारी फैलने की सम्भावना है । सरकार मूकदर्शक है, नगर निगम कंगाल है तत्काल नाला सफाई एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशन पर जनेरेटर व्यवस्था की आवश्यकता है । ।

(घोर व्यवधान होने पर)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम-300 के अन्तर्गत जितनी सूचनायें हैं उनको अस्वीकार किया जाता है ।

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एवं विपक्ष के अधिकतर माननीय सदस्य सदन के वेल में नारे लगाने लगे जिससे व्यवधान बना रहा।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत राज्याधीन सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन विधेयक, 1997

डा० लक्ष्मीकांत वाजपेयी–

माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत राज्याधीन सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत राज्याधीन सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत राज्याधीन सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश बेरोजगारी निवारण विधेयक, 1997

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बेरोजगारी निवारण विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी निवारण विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बेरोजगारी निवारण विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

(श्री रघुबर दयाल वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

(कई सदस्यों द्वारा लगातार वेल में उपस्थित रहने व नारे लगाने से सदन में घोर व्यवधान जारी रहा)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 5.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तत्पश्चात् 5 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–311 के अन्तर्गत जो सूचना दी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

(कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं । मैंने मद संख्या–12 में पहले माननीय सदस्य का नाम लिया था । माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी अपनी सूचना की ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पाठ्य पुस्तकों का अभाव है जिस, कारण से छात्रों को घोर असुविधा हो रही है ।

पाठ्य पुस्तकों के उत्पन्न किये अभाव से छात्र बिना पढ़ाये लौट रहे हैं ।

(कांग्रेस के कई सदस्य अपनी बातों पर बल देते हुये सदन की वेल में आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

पाठ्य पुस्तकों के अभाव में छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है, अभिभावक भी परेशान हो रहे हैं जबकि संविधान का संकल्प है कि सबको शिक्षा दी जायेगी और निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी । आज प्रदेश में जो स्थिति है उससे प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, और माध्यमिक शिक्षा सभी प्रभावित हैं । परीक्षा शुल्क में वृद्धि, फीस में वृद्धि और पाठ्य पुस्तकों के कृत्रिम अभाव से जन मानस डोल उठा है बढ़ा परीक्षा शुल्क, फीस वृद्धि तुरन्त वापिस ली जावे । निःशुल्क किताबें उपलब्ध करावें ।

(कांग्रेस के माननीय सदस्य वेल में नारे लगाते रहे)

मान्यवर, जो सम्पूर्ण प्रदेश में पाठ्यपुस्तकों के अभाव से असुविधा हो रही है, उससे उत्पन्न स्थिति का परीक्षण और जांच हो तथा उससे निपटने के लिये सदन का कार्य स्थगित कर चर्चा करायी जाये ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर सदन को व्यवस्थित बनायें तभी आपकी बात सुनी जा सकती है ।

(कांग्रेस के सदस्यों द्वारा वेल में नारे लगाते रहने पर)

कतिपय सदस्यों को सदन त्यागने हेतु श्री अध्यक्ष का निर्देश

श्री अध्यक्ष–

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 299 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित माननीय सदस्यों को सदन त्यागने हेतु निर्देश देता हूं :–

सर्वश्री अमर मणि, प्रमोद कुमार, राम आसरे पासवान, नरेश चन्द्र अग्रवाल, विनय कुमार पाण्डेय, सुरेन्द्र नाथ, जगदम्बिका पाल और सतीश शर्मा ।

सदन 5.30 बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

(इस समय 5 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 5 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 5 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। 6 बजे अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है.....

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले जिन माननीय सदस्यों को सदन त्याग करने के लिए कहा था वह सदन त्याग कर दें। मैं सदन के अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

(कांग्रेस के कई मा० सदस्य यह कहते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये कि हम सबको एक साथ सदन से निकाल दें)

श्री अध्यक्ष–

यदि आप लोग यह चाहते हैं तो मैं भी वह कर दूंगा। परन्तु सदन के अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सभी माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करते रहने के कारण घोर व्यवधान बना रहा)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

(फ्लोर से) मान्यवर, हम लोग मरसी पर नहीं आये हैं हम यहां जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आये हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने जिन माननीय सदस्यों का नाम पुकारा था वह सदन त्याग कर दें।

आप लोग सदन को एक प्रकार से व्यवस्थित ढंग से चलाने में सहयोग करें। मैं फिर आपसे कह रहा हूं।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए कांग्रेस के सदस्य नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग तो अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

मैं सदन को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

इसके बाद सदन 6 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।

लखनऊ
दिनांक 21 जुलाई, 1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 74 का उत्तर आगे पृष्ठ 57 पर)

विधान सभा 1997 के द्वितीय सत्र के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–74 के उत्तर का संलग्नक

उक्त मुकदमों में अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :–

1—मु० अ० सं० 397ए/97 धारा 435 भा०दं०वि० थाना कोतवाली में कुल 8 अभियुक्त प्रकाश में आये थे। सभी के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं।

2–मु०अ०सं० 397बी०/97 धारा 436 भा०दं०वि० थाना कोतवाली में कुल 13 अभियुक्त प्रकाश में आये जिसमें 9 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। शेष 4 में से 3 की गिरफ्तारी स्थगित है तथा एक झूठा पाया गया।

3–मु०अ० सं० 397सी/97 धारा 394/436 भा०दं०वि० विवेचना से धारा 147/435 भा०दं०वि० तरमीम हुआ जिसमें 13 अभियुक्त प्रकाश में आये। यह अभियोग अभी विवेचनाधीन है।

4–मु०अ०सं० 397डी/97 धारा 302 भा०दं०वि० बनाम अराजक तत्व अज्ञात पंजीकृत हुआ था जिसमें बाद विवेचना अन्तिम रिपोर्ट मय जुर्म खारिजा के प्रेषित की गयी।

5–मु०अ०सं० 397ई/97 धारा 394 भा०दं०वि० में पंजीकृत हुआ जो विवेचना से धारा 147/435 भा०दं०वि० तरमीम किया गया। इसमें 13 अभियुक्त प्रकाश में आये जिसमें 12 के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया तथा एक झूठा पाया गया।

6–मु०अ०सं० 397एफ/97 धारा 147/504/506 भा०दं०वि० में 13 अभियुक्त प्रकाश में जिसमें सभी के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

7–मु०अ०सं० 397जी/97 धारा 395/436 भा०दं०वि० विवेचना से धारा 147/435 भा०दं०वि० में तरमीम हुआ जिसमें 13 अभियुक्त प्रकाश में आये। इनमें 12 के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किये गये तथा एक झूठा पाया गया।

8–मु०अ०सं० 397/97 धारा 302/307 भा०दं०वि० में चार अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था जिसमें बाद विवेचना सभी के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं।

9–मु०अ०सं० 399/97 धारा 147/323/504/307 भा०दं०वि० बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। विवेचना के बाद क्राईम रिपोर्ट लगा दी गयी है।

पी० एस० यू० पी०–एल 288 विधान सभा (656)–1997–813 (डी० टी० पी०) ।